षष्ठम् माला, खंड 13, अंक 35, मंगलवार, 11 अप्रैल, 1978/21 चैत्र, 1900 (शक)

Sixth Series, Vol. XIII, No. 35, Tuesday, April 11 , 1978/Chaitra 21, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[छटा सत्र
Sixth Session]

[खंड 13 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIII contains Nos.31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price ; Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debatef and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 35, मंगलवार, 11 अप्रैल, 1978/21 चैत्र, 1900 (शक)

No. 35, Tuesday, April 11, 1978/21 Chaitra, 1900 (Saka).

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 678, 680 से 682, 685 से 687, 690 692, 695 और 689	Starred Questions Nos. 678, 680 to 682, 685 to 687, 690, 692, 695 and 689	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 677, 679, 683, 684, 688, 691, 693 और 694	Starred Questions Nos. 677, 679, 683, 684, 688, 691, 693 and 694 .	14—18
अतारांकित प्रश्न संख्या 6371 से 6414, 6416 से 6500 और 6502 से 6530	Unstarred Questions Nos. 6311 to 6414, 6416 to 6500 and 6502 to 6530	18—111
बनारस में श्री जगजीवन राम का पुतला जलाये जाने के कथित समाचार के बारे	Re. Reported burning of effigy of Shri Jagjivan Ram at Banaras . .	111—112
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	112
नियम 377 के अधीन सूचनाओं के बारे	Re. Notices under rule 377.	112
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of urgent public importance . . .	112—119
5 अप्रैल, 1978 के बेलाडीला लौह अयस्क खान क्षेत्र में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई	Police firing at the Bailadila Iron ore Mines on 5-4-78 . . .	112
श्री डी० जी० गवई	Shri D.G. Gawai.	112
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik.	112
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe.	116
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	Shri Y.P. Shastri.	117
श्री दया राम शाक्य	Shri Daya Ram Shakya.	118
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertaking	119
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	119

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
नियम 377 के अधीन मामले :	Matters under rule 377 . . .	119
(1) मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, बरेली को, हिन्दुस्तान स्टील संयंत्रों द्वारा बेन्जीन की सप्लाई का मामला	(i) Supply of Benzene by Hindustan Steel Plants to M/s Synthetics and Chemicals Ltd. Bareilly.	119
श्री सुरेन्द्र विक्रम	Shri Surendra Bikram.	119
(2) गांधी दर्शन के सात कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का समाचार	(ii) Reported sacking of seven employees of Gandhi Darshan.	119
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe.	119
(3) मदुरै जिले में दिसंदूर गांव में कृषकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का समाचार	(iii) Reported Police firing on agriculturists in Vedasandur Village in Madurai District.	119
श्री आर० पी० स्वामीनाथन	Shri R.V. Swaminathan.	119
(4) भारतीय रेलों में अस्थाई अधिकारियों की सेवा शर्तें	(iv) Service conditions of temporary officers in Indian Railway.	
डा० वसंत कुमार पंडित	Dr. Vasant Kumar Pandit	119
अनुदानों की मांगे 1978-79	Demands for Grants, 1978-79	120—131
शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय	Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture.	120
श्री राम नरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha.	120
प्रो० दलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty.	120
श्री मुकुन्द मंडल	Shri Mukunda Mandal.	122
श्री विजय कुमार मलहोत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	123
श्री आर० कोलथाईवेलु	Shri R. Kolanthaivelu.	123
श्री ए०ई०टी० बैरो	Shri A.E.T. Barrow	124
श्री भानु कुमार शास्त्री	Shri Bhanu Kumar Shastri.	125
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu.	125
श्री बलबीर सिंह	Shri Balbir Singh.	126
श्री चरण नरजरी	Shri Charan Narzary.	126
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe.	127
श्री एस० एस० दास	Shri S.S. Das	128
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi.	128
श्री ए० सुन्ना साहिब	Shri A. Sunna Sahib.	128
श्री चन्द्र शेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh.	129
श्री फिरंगी प्रसाद	Shri Phirangi Prasad.	130
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri G. Narsimha Reddy.	130
श्री रूप नाथ सिंह यादव	Shri Roop Nath Singh Yadava.	131
श्रीमती पी० चौहान	Shrimati P. Chavan.	131

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 11 अप्रैल, 1978/21 चैत्र, 1900 (शक)
Tuesday, April 11, 1978/Chaitra 21, 1900 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Construction of an overbridge in Gorakhpur District

*678. **Shri Phirangi Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether people have to cross about 1 1/2 furlong railway lines to the western side from the North-Eastern Railway headquarter in Gorakhpur district in Uttar Pradesh for going to a big fair held at the Yogiraj Shri Gorakhnathji temple for many days in January every year and many accidents took place there; and

(b) if so, whether survey has been conducted recently to construct an over bridge at this place to enable the people to go across the railway line; and

(c) if so, the full details thereof and when this work is likely to be completed ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Phirangi Prasad : In part (a) of the question, I asked whether the fair is held there and the people have to cross the railway line or not to attend the fair. The Hon'ble Railway Minister belongs to Basti but in the reply, he has denied any knowledge of these facts. That fair starts on the 14th January. Will the Hon'ble Minister clarify whether it is a fact or not ?

Shri Sheo Narain : The fair is held there in the month of January. My friend has stated that no accident took place there during the last five years. There is level crossing. People are demanding an over-bridge there. Uttar Pradesh Government have not paid their share. We have given our share. Uttar Pradesh Government has to share 50 per-cent of the expenditure and 50 per cent share will be borne by us. We will have the bridge constructed but if the Uttar Pradesh Government does not give its share, we are helpless.

Shri Phirangi Prasad : May I know the number of accidents that took place on the level crossing ? According to my information, on the 14th January, 1978, a truck rammed into a State Road Transport bus, killing one person and injuring 6 persons. As such, will the Hon'ble Minister persuade the Uttar Pradesh Government to pay their share ? Will he let me hnow the exact expenditure involved in it ?

Shri Sheo Narain : I require notice for the question. The information is not witb me.

Shri Harikesh Bahadur : At Gorakhpur North Eastern Railway headquarters, 25,000 employees are working. An over-fly bridge is absolutely necessary in Gorakhpur. Has he written to the Uttar Pradesh Government to pay their 50 per cent share ? We have been persistently requesting the Government in this regard. What action has been taken by Government in the matter ?

Shri Sheo Narain : The State Government is not under us. We can issue directives to that Government. We can give our share. Tomorrow, I will speak to the Railway Minister to write to the Chief Minister to provide funds for the Gorakhpur.

Provision of Diesel Engines to Kirti Express, Somnath Mail and Saurashtra Mail

*488. **Shri Dharmasingbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Kirti Express (Porbandar-Mehsana), Somnath Mail (Veraval-Ahmedabad) and the Saurashtra Mail (Veraval-Viramgam) do not have diesel engines and if so, the reasons therefor;

(b) when diesel engines are proposed to be provided to these three trains and when the demand of Saurashtra people is to be met; and

(c) whether there is any proposal to increase the speed of the above three trains and if so, the nature thereof and when and how speed will be increased together with their present speed ?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) Yes Sir, due to limited availability of diesel locomotives and speed restrictions on account of track conditions which will decelerate the train.

(c) Within the existing conditions of track and traction, all feasible efforts are made to reduce the journey time of the trains. However, Viramgam-Okha-Porbandar section is being converted into broad gauge and after conversion the speed on these sections will improve.

Shri Dharamsinghbhai Patel : When will the diesel engines be provided to the said three trains and when will their track conditions improved ?

Shri Madhu Dandavate : If we provide diesel engines to narrow-gauge and meter-gauge trains, we have to reduce their speed. I do not want that the speed should be reduced due to dieselisation but at the time of conversion, this dieselisation can be of help.

We have started work at Veeramgam-Okha-Porbandar section. An expenditure of Rs. 60 crores is involved in it. We have so far spent 20.3 crores. A sum of Rs. 7.93 crores has been sanctioned for the coming year. It is hoped that this conversion will be completed by 1981. Then we shall provide diesel engines. Then the speed can increase.

Shri Dharamsinghbhai Patel : The Hon'ble Minister has stated that all feasible efforts are made to reduce the journey time of the trains. Porbandar-Mehsana Kirti Express train No. 35 reaches Jaitalsar Junction at 6.15 P.M. and departs therefrom at 6.45 P.M. Then it reaches Rajkot at 9.05 P.M. and departs thereform at 9.45 P.M. Then it reaches Bankaner at 10.45 P.M. and leaves that station at 11.20 P.M. It halts at Jaitalsar Junction for half an hour, at Rajkot for 40 minutes and Bankaner for 35 minutes. Similarly, it halts at Surendranagar for 20 minutes and at Veeramgam for 20 minutes. Its total halt period is 135 minutes, which is on a high side. Similarly the halting time of Somnath Mail and Saurashtra Mail is also very much on the high side. Will the Hon'ble Minister take certain steps to reduce the halting time of these trains and if so, when ?

Prof. Madhu Dandavate : Some members are of the opinion that we can reduce the journey time by reducing the halting time. But difficulty is that every line has a definite line capacity and on account of this capacity being inadequate, we are at times asked to run the trains at slow speed. Therefore, the train has to halt for a longer period at the station because at the other stations, line is not clear. Saturation capacity being inadequate, we cannot change this arrangement. However, we are contemplating to adjust the capacity and to reduce the halting time of the train at every station by increasing the line capacity.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओखा से पोरबन्दर तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में अभी बहुत समय लगेगा इस दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं जहां पर रेल यात्रा में बहुत अधिक समय लगता है ? उन्होंने उत्तर दिया है कि लाइन के बदले जाने पर ही स्थिति सुधरेगी ।

अध्यक्ष महोदय : ये क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित विशिष्ट प्रश्न है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : ये सभी गाड़ियां सौराष्ट्र क्षेत्र में ही हैं । मैंने इन गाड़ियों से यात्रा की है । मैंने गत एक वर्ष में कई बार इन गाड़ियों के बारे में प्रश्न उठाये हैं । ये गाड़ियां बहुत अधिक समय लेती हैं । क्या वह सौराष्ट्र क्षेत्र में इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे जहां पर गाड़ियां बहुत अधिक लेट चलती हैं तथा अधिक समय लेती हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक सौराष्ट्र क्षेत्र का संबंध है इसके लिये कुछ अल्पकालीन और कुछ दीर्घकालीन परियोजनाएं हैं । जहां तक बदलाव योजना का सम्बन्ध है हमने 1981 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस तारीख तक यह अवश्य पूरा हो जायेगा । मैं माननीय सदस्य को यह स्मरण करा दूं कि कुछ समय पूर्व उन्होंने एक ऐसा ही प्रश्न पूछा था और जब मैंने विस्तृत उत्तर दिया तो उन्होंने सभा में यह कहा था कि "मैं उत्तर से पूर्णतया सहमत हूं और मैं और कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता।" इसके बाद भी यदि कोई कमी रह जाती है तो मैं उसे दूर करने के लिये पूरा प्रयास करूंगा ।

अमरीका के न्यायालय में अमरीकी औषध फर्मों के विरुद्ध दीवानी मामलों पर व्यय

*181. **श्री वसत साठे**: क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फाइजर, साइनैमाइट, स्क्विब, ब्रिस्टल एण्ड मायर्स, अपजोन और ओलिन नामक छह अमरीकी औषध निर्माता कम्पनियों के विरुद्ध व्यापक रूप से एण्टी-बायोटिक औषधियों के मूल्य निर्धारित करने का कथित षड्यंत्र रचने और अन्तर्देशीय तथा विदेशी खरीदों पर अधिक पैसा वसूल करने पर अमरीका के धोखा धड़ी विरोधी कानूनों के अन्तर्गत अमरीका की अदालतों में दायर किये गये दीवानी मामलों पर 11 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की है, और

(ख) यदि हां, तो दायर किए गए मामलों का मामलेवार महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है ये मामले कितने समय से विचाराधीन पड़े हैं, ऐसे प्रत्येक मामले पर अब तक कितना व्यय किया गया है और आगे क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है, 1978-79 के लिए इस मद में क्या व्यवस्था की गई है अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा और अब तक कितना हर्जाना वसूल किया जा चुका है अथवा कि जाने की संभावना है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

नवम्बर, 1977 के अन्त तक हमारे कानूनी सलाहकार की फीस और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर 1,32,592.31 अमेरीकी डालर अथवा लगभग 12.05 लाख रुपये खर्च हुए थे ।

(ख) 11-10-74 को अमेरीकी न्यायालय में 6 अमरिकी मुददालेह कम्पनियों के खिलाफ संयुक्त रूप से एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था । वर्ष 1978-79 के दौरान इसके लिये 3.5 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी । तथापि इस राशि में से अभी तक कोई खर्चा नहीं किया गया है।

जनवरी, 1978 में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद कि क्लेटन अधिनियम की व्याख्या के अनुसार विदेशी राष्ट्र भी एक "व्यक्ति" है अतः वह यू० एस० एण्टी ट्रस्ट लॉ के अन्तर्गत

हानि के लिये दावा कर सकता है, भारत सरकार कानूनी सलाहकार के परामर्श से हानि के बारे में अमेरिकी न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिये कार्यवाही कर रही है ।

श्री वसंत साठे : मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी क्षति होने का अनुमान है ? कितनी राशि आपको मिलने की आशा है ?

दूसरी बात यह कि आप हमें मामले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ब्योरा दें । अर्थात् इन फर्मों के विरुद्ध वास्तव में कितना चार्ज है । जिसके लिये आपने मुकदमा दायर किया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्षति सम्बन्धी ब्योरा तैयार किया जा रहा है और सही राशि के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने में सरकार को कुछ समय लगेगा ।

श्री वसंत साठे : अनुमान बता दीजिए । आपने 1974 में मुकदमें दायर किये थे । बिना क्षति का अनुमान लगाये आप कैसे मुकदमा दायर कर सकते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : शुरु में प्रश्न यह था कि क्या हम मुकदमा दायर कर सकते हैं और क्या हमें 'एन्टी-ट्रस्ट ला' की परिभाषा में 'एक व्यक्ति' माना जा सकता है । यह एक कानूनी प्रश्न तथा व्यावहारिक प्रश्न था जिसका फैसला अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने अब किया है और अब हमें उचित न्यायालय के समक्ष हानि के बारे में मुकदमा दायर करना है । हमें विभिन्न स्रोतों से पता लगाना है कि एण्टी-बायोटिक औषधियों का कुल कितना आयात किया गया जिसके लिये आप से अधिक पैसा वसूल किया गया । मूल बात यह है कि उनसे अधिक पैसा वसूल किया गया । यह 1953-54 से 1963-64 की अवधि से सम्बन्धित है और हमें विभिन्न स्रोतों--मिलिटरी, रेलवे, सीपीसी या एस० टी० सी० तथा चिकित्सा स्वास्थ्य संगठन जैसे अन्य संगठनों से यह पता लगाना है कि कुल कितना आयात था और क्या वे केनालाइज्ड मदें या गैर-केनालाइजड मदें थीं । हमें कुल राशि मालूम करनी होगी ।

श्री वसंत साठे : कुछ मोटा अनुमान तो आपका होगा ही ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इस समय मोटा अनुमान भी नहीं दे सकता क्योंकि बचाव पक्ष इसे हमारे विरुद्ध उपयोग कर सकता है । इस चर्चा से वे यह कह सकते हैं कि शुरु में आप ने 'X' राशि बताई थी और बाद में 'Y' राशि बता रहे हैं । अतः मैं यह नहीं बता सकता । परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मामला दायर करने के तुरन्त बाद मैं सभा को सूचित करूंगा कि हमने इतनी राशी के लिये मुकदमा दायर किया है

श्री वसन्त साठे : जैसाकि आपने अभी बताया है कि क्या यह क्लेटन एक्ट है जिसके अधीन आपने मुकदमा दायर किया है । क्या आपके मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक राष्ट्र 'एक व्यक्ति' है या किसी दूसरे मामले में दिया है । यदि आपके मामले में निर्णय दिया गया है तो आप इन्तजार क्यों करते हैं ? आपने अपना मामला तैयार कर लिया होगा तथा ब्रीफ तैयार कर लिया होगा । वह ब्रीफ क्या है ? उसका उल्लेख क्यों नहीं किया जा सकता ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अमरीकी अपील कोर्ट के सामने दो मामले होने के कारण हमें कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी । ये दो मुद्दे हैं :-

(i) क्या एक विदेशी राष्ट्र एक व्यक्ति हो सकता है जैसाकि अमरीकी एन्टीट्रस्ट ला में परिभाषा दी गई है जिसके अधीन बचाव पक्ष के विरुद्ध अमरीकी कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है ।

(ii) क्या एक विदेशी राष्ट्र अपने नागरिकों के दावों के सरकारी प्रतिनिधि के रूप में अमरीकी कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है

4

इन दो मुद्दों के आधार पर हमें यह कार्यवाही करनी पड़ी । अपील कोर्ट ने पहला मुद्दे का निर्णय दिया : जी हां, विदेशी राष्ट्र व्यक्ति भी हो सकते हैं । दूसरे मुद्दे पर उन्होंने हमारे विरुद्ध निर्णय दिया । हम क्षति के लिये एक मुश्त अपील दायर नहीं कर सकते, अर्थात् उस अवधि में व्यक्तिगत रूप से किये गये आयात एक ऐसा मामला नहीं हो सकता जिसके लिये हम हानि का मुकदमा दायर करें। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति व्यक्तिगत मामले दायर करें । परन्तु यदि सरकार ने किसी ऐजेन्सी के माध्यम से आयात किया है तो हम ऐसा कर सकते हैं । अतः प्रश्न सिद्धान्त का है जिसमें हम अमरीकी अपील कोर्ट में एक पार्टी बने ।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि मुकदमे बाजी पर भारी धन व्यय किया जा रहा और मुकदमेबाजी के लिये अमरीका में कोई स्थायी मशीनरी नहीं है और बहुत से मामले हार गये हैं क्योंकि मुकदमे की अवधि समाप्त हो गई और अनेक अधिकारियों को यहां से जाकर वहां पर महीनों रुकना पड़ता है, क्या मंत्री जी का विचार वाशिंगटन या न्यूयार्क में मुकदमेबाजी के लिये स्थायी मशीनरी की व्यवस्था करने का है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । इस विशेष मामले में 1974 में व्यवस्था की गई थी । अमरीका में सोलिसिटर की कम्पनी—बलोअर्स से करार किया गया है। उन्हें भुगतान कर दिया गया है । एक अधिकारी उन्हें मामला बताने के लिये वहां 10 दिन के लिये गया था ।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : एक अधिकारी वहां गत 10 महीनों से रह रहा है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इसकी जांच करूंगा । मेरी जानकारी में यह अवधि 10 दिन है।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : यदि आप चाहते हैं तो मैं नाम बता सकता हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य विधि मंत्री रह चुके हैं । शायद उनके समय में वह अधिकारी 10 महीनों के लिये वहां रहे हैं । वह ज्यादा जानते होंगे ।

कुतुब एक्सप्रेस का नई दिल्ली स्टेशन तक बढ़ाया जाना

*682. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतुब एक्सप्रेस को नई दिल्ली स्टेशन तक बढ़ाये जाने की जनता की निरन्तर और काफी समय से चली आ रही मांग के बावजूद सरकार ने उस मांग को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ख) क्या हजरत निजामुद्दीन पर इस रेल गाड़ी के समाप्त हो जाने के कारण अब इसका अनुकूल-तम से कम उपयोग हो पा रहा है और इस रेल गाड़ी को रद्द करने का इसे आधार बनाया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) नयी दिल्ली पर टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण नयी दिल्ली आने-जाने के लिए कुतुब एक्सप्रेस का चालन-क्षेत्र का बढ़ाया जाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

(ख) जी नहीं । इस गाड़ी को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु मई 1978 से जबलपुर आने-जाने के लिए इस गाड़ी का चालन-क्षेत्र बढाया जा रहा है ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : कुतुब एक्सप्रेस को हजरत निजामुद्दीन से नई दिल्ली तक बढ़ाने सम्बन्धी एक बहुत ही उचित तथा लम्बे अरसे से चली आ रही मांग को व्यावहारिकता के आधार पर रद्द कर

दिया गया है । मैं यह बताना चाहता हूं कि समय, कठिनाई तथा असुविधा के अलावा हजरत निजामुद्दीन से नई दिल्ली तक टैक्सी का किराया या अन्य व्यय आगरा से हजरत निजामुद्दीन तक दूसरे दर्जे के रेल किराये के बराबर बैठता है । यदि आप के पास सामान भी है तो मुसीबत और भी अधिक बढ़ जाती है। कल हम तीन संसद सदस्यों को सवारी मिलने में 45 मिनट लग गये थे । इस मांग को रद्द कर दिया गया । क्यों ? क्या मंत्री जी ने हमारे सुझाव पर विचार किया है ? हमने सुझाव दिया था कि श्रीनगर एक्सप्रेस को हजरत निजामुद्दीन से नई दिल्ली तक और कुतुब एक्सप्रेस को दूसरी दिशा में बढ़ाया जा सकता है । इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। आगरा-मथुरा-दिल्ली मार्ग पर यातायात की प्रणाली बम्बई-पूना मार्ग की तरह है । वहां पर उपलब्ध सुविधा यहां भी दी जानी चाहिये । हमारी यह मांग है ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : इस गाड़ी को नई दिल्ली तक ले जाने की हमारी पूरी इच्छा होने के बावजूद भी हमारे सामने ऐसा करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां है । ऐसा करने के लिये हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त टर्मिनल सुविधा हो और टर्मिनल सुविधा का अर्थ यह नहीं कि केवल प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाई जाये । टर्मिनल सुविधा में अधिक प्लेटफार्म, अधिक सफाई लाइनें, गाड़ी खड़ी करने की अधिक लाइनें, अधिक शंटिंग सुविधा, लोको शेड जहां पर इंजन बदला जाये, होती हैं । इस समय नई दिल्ली पर टर्मिनल क्षमता चरम बिंदु पर है । वहां पर अतिरिक्त गाड़ी ले जाने के लिये कोई जगह नहीं है । परन्तु हम वैकल्पिक सुझाव पर विचार करेंगे ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : मैंने एक सुझाव दिया है । इससे श्रीनगर से आने वाले यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वे बारास्ता नई दिल्ली से निजामुद्दीन आयेंग । कुतुब एक्सप्रेस को उल्टी दिशा में बढ़ाया जा सकता है । क्या मैं उनसे आश्वासन ले सकता हूं ? क्या मंत्री जी हजरत निजामुद्दीन से नई दिल्ली के लिये एक सम्पर्क गाड़ी की व्यवस्था करेंगे ताकि वर्तमान कठिनाई दूर की जा सके दूसरे, क्या वह आगरा और हजरत निजामुद्दीन के बीच गाड़ी में दूसरे दर्जे की दो बोगियां जोड़ेंगे, यदि गाड़ी को जबलपुर तक बढ़ाया जाता है । आगरा अब मध्यवर्ती स्टेशन के स्थान पर एक टर्मिनल स्टेशन बन गया है । वहां पर रिजर्वेशन और गाड़ी में स्थान पाने में होने वाली कठिनाई का आप बखूबी अन्दाजा लगा सकते हैं।

Shri Laxmi Narain Naik : I thank the Hon'ble Minister for extending Kutub Express upto Jabalpur. I want to know whether this train will stop only at Karavi, Banda and Harpalpur stations which fall between Manikpur and Jhansi. There are some other big stations like Atrva, Mahoba, Moranipur between these two places. I want to know whether the Hon. Minister will consider to stop this train at above mentioned stations.

Prof. Madhu Dandavate : There are two types of demands made by the hon. members. Some M.Ps. want that the speed of trains should be increased. While other M.Ps. want that there should be more halts, specially of those trains which run through their constituencies. We have fixed some norms in this respect. We will consider the demands keeping in view those norms and thereafter if it is found feasible we will certainly provide halt.

Shri Ramji Lal Suman : Mr. Speaker I want to raise a point of order. Kindly listen me. This question of stoppage of trains is not a national issue. This is related to my and Shri Shambhu Nath Chaturvedi's constituency....(*interruption*). This affects my constituency. Therefore let me ask question.

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया है ।

Shri Ramji Lal Suman : This train has special importance for my constituency. Therefore kindly let me ask questions.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Ramji Lal Suman : How far it is justified. I will not sit down.

Janta Trains to be run in 1978-79

†*685. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Janta trains to be run throughout the country in 1978-79;

(b) whether Government propose to introduce Janta trains on the Amritsar-Moradabad-Howrah line/route keeping in view the importance thereof; and

(c) if so, by what time ?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) During 1978-79 so far, 145/146 Madras-Ahmedabad Navajivan Express has been introduced as a classless train from 6-4-78. The proposals for introduction of additional classless trains will be examined at the time of revision of time-table in October, 1978.

(b) and (c) Introduction of an additional train between Howrah and Amritsar is not operationally feasible, at present.

Shri Rajender Kumar Sharma : The Hon. Minister has said that an additional train between Howrah and Amritsar is not operationally feasible, at present. Amritsar-Howrah route in Moradabad Division has been neglected during the last 30 years. I want to tell the Hon. Minister that this demand is justified. The traffic on this route has increased to such an extent that the introduction of a Janata train has become absolutely necessary there. I want to know whether the Hon. Minister will ensure us to introduce a Janata train on this route keeping in view the increasing traffic and on the basis of figures of traffic.

Prof. Madhu Dandavate : The figures furnished by the hon. member are correct and the traffic density is considerably high. At present about 76 passenger trains pass through Amritsar railway station and this is our only difficulty. The hon. members will be glad to know that we are examining to run new Janata trains like "Geetanjali". Although these trains will be second class trains, but there will be first class facilities in these trains. The fare will be charged of second class. Such new trains will be run upto Howrah, Patna, Varanasi, Lucknow, Ludhiana and Jammu and from Bhubaneshwar to Secunderabad, Secunderabad to Bombay, Porbander, from Bhavnagar to Ahmedabad.

Shri Rajender Kumar Sharma : I congratulate the Hon. Minister for making statement. The Minister has said that the trains in large number pass through Amritsar station. I want to make it clear that the trains start from Amritsar mostly pass through Delhi. As I have already pointed out. Moradabad Division and Lucknow Division have always been ignored during the last 30 years. He is agreed to link Amritsar with more trains under the future schemes. I congratulate him for this assurance. During the day time there is not a single train in Moradabad Division which goes to Lucknow or Howrah or Amritsar side. Keeping it in view whether the Minister will introduce new trains in that division so that people may get trains during the day time for going to Lucknow, Howrah and Amritsar side.

Prof. Madhu Dandavate : This is a suggestion for action.

Shri N. K. Shejawalkar : There are only two lines from Delhi to Bombay. For the last 50 years no efforts have been made to increase the number of rail lines between Delhi and Bombay. Besides this, the capacity of the Central Terminal at Bombay is less. Therefore, I want to know whether the Hon. Minister will consider to take immediate action to run more trains there ?

Prof. Madhu Dandavate : When Shri Shejawalkar got up, I had guessed that what question he is going to ask. The capacity of Central Terminal at Bombay is less. But the south bound trains which pass through Bombay V.T. are passing through Dadar also. The capacity of Dadar has also reached at complete saturation point. We are considering whether it is possible to run a train from Kalayan or Nasik to Delhi.

नमक उद्योग के लिये माल डिब्बों का आबंटन

*686. **श्री अनंत दवे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीधाम चैम्बर आफ कामर्स से नमक के माल डिब्बों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) चैम्बर द्वारा या माल डब्बों के बारे में बताया गया ब्यौरा क्या है ;

(ग) नमक उद्योग तथा 'खनिज' उद्योगों को माल डिब्बे न मिलने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) चैम्बर ने प्राथमिकता श्रेणी-ई के अन्तर्गत बिना कार्यक्रम के आधार पर नमक की ढुलाई के लिए माल डिब्बों के विशेष दैनिक कोटे का अनुरोध किया है और इस प्रयोजन के लिए बड़ी लाइन और मीटर लाइन—दोनों पर प्रतिदिन 100 माल डिब्बे आबंटित करने का सुझाव दिया है ।

(ग) और (घ) सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, बिना कार्यक्रम के आधार पर नमक की ढुलाई के लिए पश्चिम रेलवे की बड़ी लाइन पर 20 माल डिब्बों और मीटर लाइन पर 25 माल डिब्बों का कोटा आबंटित किया गया है । ये कोटे आबंटित करने से सम्बन्धित आदेशों का पालन किया जा रहा है । कुछ क्षेत्र से खनिज पदार्थों की ढुलाई माल आने के साथ-साथ हो रही है।

Shri Anant Dave : I congratulate the Hon. Minister because he has not left no scope to ask supplementary questions. He has accepted our all demands. But this much I would like to know whether we will be supplied wagons for minerals also. They have made wagons available for salt.

Prof. Madhu Dandavate : He has asked this question for question sake. Otherwise I have given him satisfactory reply. The ceiling of ten acres should be reduced to 3 acres and the land less than 3 acres should be brought under Cooperative. In this way that should be brought under Zonal system. There should be no difficulty in issuing licences. For the time being we have decided to supply wagons on ad-hoc basis. We will provide wagons for minerals also.

प्रो० आर० के० अमीन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चूंकि 60 प्रतिशत से अधिक नमक उत्पादन गुजरात में होता है और वह भी तटीय क्षेत्र के पश्चिमी भाग में केन्द्रित है तो क्या वह वहां एक बड़ी या मीटर लाइन का निर्माण करेंगे ताकि नमक को अन्य भागों में पहुंचाना आसान हो सके। क्या वह इस पर विचार करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान यह सही है कि गुजरात में नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिएं। जहां तक लाइन को बदलने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि वह चाहते हैं कि लाइन को बदला जाये तो फिर उन्हें काफी समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। बजाय लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के माल डिब्बों के आवटन का यह फार्मूला बेहतर होगा और मेरा विचार है कि इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा।

इराक में रेल लाइन का निर्माण

*687. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** :

श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ईराक ने बगदाद-हसाइबाह-अकशात रेल लाइन के निर्माण के लिये एक रेल ठेका देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस पेशकश को स्वीकार किया है,

(ग) किये गये करार का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारतीय रेलवे ने 1978-79 के लिये किसी अन्य देश के साथ कोई ऐसा ठेका किया है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई प्रयास करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विश्व के आधार पर ईराक सरकार द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना के उत्तर में रेल इण्डिया टैक्नीकल एंड इकनामिक सर्विसेज (राइट्स) और इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकोन) जो कि रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रम है, ने मिलकर बगदाद-हसाईबाह-अकशात रेलवे लाइन के निर्माण के लिए बोली लगाई थी। जब कभी निविदायें जारी की जाएंगी ये कम्पनियां अन्य विकासशील देशों द्वारा आयोजित रेल परियोजनाओं का निर्माण भी आरम्भ करने को तैयार हैं।

किन्तु अभी तक ऐसी विदेशी रेल परियोजनाओं का कोई ठेका नहीं मिला है ।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ईराक के स्टेट रेलवे आरगैनाइजेशन के प्रेजीडेंट श्री जासिम तथा ईराक के उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के कुछ सदस्य माननीय मंत्री जी से मिले और उनसे बातचीत की ?

प्रो० मधु दंडवते : उनके साथ जो बातचीत हुई है, वह अनौपचारिक रूप से हुई है। उन्होंने केवल इतना संकेत दिया है कि वे हमारा एक दल और आगे बातचीत करने के लिए बुलायेंगे। उन्होंने जो निमन्त्रण दिया है, उसके अनुसार रेल प्रशासन की ओर से विशेषज्ञों का एक दल 19 और 20 अप्रैल को बगदाद जायेगा। हमने पहले ही एक विश्व निविदा पेश कर दी है, कुछ और भी देश जिन्हे अपनी निविदाएं पेश की हैं और विभिन्न देशों द्वारा पेश की गई निविदाओं पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात् ईराक सरकार किसी देश को यह कार्य करने के लिए कहेगी। हमारा दल 19 और 20 अप्रैल को वहां जा रहा है और मुझे आशा है कि हम अपने काम में सफल होंगे।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : ठेके के बारे में क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि यदि ठेका हमें मिल जाता है तो क्या विशेषज्ञ कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को ईराक या उन देशों में भेजेंगे जहां ठेके लिए हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : अभी तो हमारा ठेका स्वीकृत भी नहीं हुआ है फिर कैसे मैं इसका जवाब दे सकता हूं ।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : यदि ठेका स्वीकार कर लिया जाता है ।

प्रो० मधु दंडवते : ठेका स्वीकृत किए बिना ब्यौरे देना अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के विरुद्ध है । सगाई हुई नहीं है और आप दम्पति के भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं ।

Shri Yuvraj : May I know in view of expanding scope of collaborations, offer has been given by the Indian Railway construction company of Indian Railway to construct 700 metres Bandar-Abhas-Vaja railway line in Iran.

Prof. Madhu Dandavate : Informal deliberations and discussions are going on in regard to the suggestions received but I can give the details only after the contract is entered into.

ग्रेड दो के क्लर्कों की ग्रेड एक में पदोन्नति

***690. श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेड दो के उन क्लर्कों को, जो अन्य डिवीजनों से नए मुगलसराय डिवीजन में आए हैं, क्लर्क ग्रेड एक में पदोन्नत करने के मामले में कोई एक समान नीति का पालन नहीं किया जा रहा है और प्रशासनिक हित में अन्य डिवीजनों से तबादले पर आए कर्मचारियों की वरीयता की उपेक्षा करके दानापुर डिवीजन के क्लर्कों को प्राथमिकता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) तबादले पर मुगलसराय आने वाले कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर देने के मामले में प्रशासन की क्या नीति है और अनधिकृत रूप से कब्जा किए गए क्वार्टरों का वास्तविक कब्जा उन्हें देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मुगलसराय मंडल के गठन में, मंडल कार्यालय के लिए लिपिक वर्गीय कर्मचारी-संख्या दानापुर और धनवाद मंडलों की वर्तमान लिपिक वर्गीय कर्मचारी संख्या का विभाजन करके प्राप्त की जानी थी। दानापुर मंडल के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की ओर से व्यक्तियों के साथ पदों के स्थानान्तरण का विरोध होने के कारण अभी तक यह विभाजन पूरा नहीं हो पाया है । इस बीच, काम की जरूरी आवश्यकताओं के लिए अन्य कार्यालयों से वालंटीयर लिये गये हैं। मुगलसराय मंडल के कर्मचारियों की संख्या के अन्तिम निपटारे तक अन्य मंडलों से स्थानान्तरित लिपिक अलग रखे गये हैं। प्रत्येक समूह के उनके अपने यूनिट के पदों पर ही पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। रिक्त होने वाले लिपिक ग्रेड-1 के पदों को दानापुर मंडल के मूल कर्मचारियों की संख्या में से ही भरा जा रहा है । इससे उन वालंटीयरों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उनका अपने मूल कार्यालय में लियन है और उनकी पदोन्नति की सम्भाव्यताएं सुरक्षित हैं।

स्थानीय वरीयता अर्थात् मुगलसराय के कार्यालय में लगने की तारीख के आधार पर अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ, अन्य मण्डलों से स्थानान्तरित कर्मचारियों को भी क्वार्टर दिये जाते हैं। जिन कर्मचारियों ने अनधिकृत रूप से क्वार्टरों में कब्जा किया हुआ है उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाई की जा रही है ।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी कोई विवाद की संभावना होती है, सदैव एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाता है इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे क्लर्कों की संख्या कितनी है जो विभिन्न मण्डलों से मुगलसराय मण्डल में स्थानान्तरित किए गए हैं और कितने मामलों में संयुक्त वरीयता के सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : दानापुर से मुगलसराय मण्डल कार्यालय को स्थानान्तरित किये जाने वाले 565 पदों के मुकाबले 400 कर्मचारियों को स्थानान्तरित करना पड़ेगा। जब आदेश जारी किए गए थे तो कर्मचारियों ने स्थानान्तरण के आदेश स्वीकार करने से मना कर दिया। केवल लगभग 40 कर्मचारियों ने अब तक इन आदेशों को स्वीकार किया है । मुश्किल यह है कि दानापुर में नियुक्त कर्मचारियों और मुगलसराय में नियुक्त कर्मचारियों के दृष्टिकोणों में अन्तर है। यह एक जटिल प्रश्न है ।

एक ही श्रमिक संघ के सदस्यों, एक ही राजनीतिक दल से सम्बद्ध कर्मचारियों और एक ही संगठन के व्यक्तियों में भी भौगोलिक आधार पर इस विषय में मतभेद है। हम विभिन्न पक्षों में आपसी समझ पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस दौरान हमने स्थगन आदेश दे दिया है जिससे कि किसी कर्मचारी को कोई कठिनाई न हो और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विभिन्न पक्षों और संगठनों के सहयोग और परामर्श से हम समस्या का कोई हल निकाल लेंगे।

श्री ए० के० राय : नये मण्डलों में जिन कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया है, उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और डी० एस० कालोनी में उनके लिए जो क्वार्टर थे उन पर किसी और का कब्जा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मंडल कार्यालय के लिए कितने प्रतिशत क्वार्टर्स हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या क्वार्टरों पर अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा जमा रखा है। इस नये मंडल में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का प्रतिशत क्या है?

प्रो० मधु दण्डवते : क्योंकि इस सारे मामले पर अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है, अतः आवास के सम्बन्ध में काफी कठिनाई हो रही है किन्तु हमारा विचार 245 क्वार्टर बनाने का है जिससे कि समस्या को हल किया जा सके। ऐसा करने पर भी समस्या को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि सभी कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये जा सकते हैं। किन्तु समस्या को हल करने के लिए हम 245 क्वार्टर्स बनाने जा रहे हैं। इस दौरान हम स्थानान्तरण की समस्या का समाधान निकालेंगे और इसके हल होने पर ही हम आवास की समस्या को पूरी तरह से सुलझा पायेंगे। इस बीच हम आवास की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

श्री ए० के० राय : मैं केवल यह स्पष्टीकरण चाहता हूं। नियुक्त कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत के लिए क्वार्टर बनाये गए हैं और कितने प्रतिशत क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में हैं? मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि अनधिकृत कब्जा बना हुआ है मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के विचार से या उक्त रिकार्ड के अनुसार यह कितनी बड़ी समस्या है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह आंकड़े देकर कि कितने क्वार्टर अनधिकृत रूप से कब्जे में हैं मैं अनधिकृत कब्जे को वैध नहीं बनाना चाहता हूं। हमें मामले को अधिक नहीं खींचना चाहिए। हमें समस्या को सुलझाना चाहिए।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशों में कार्य

*692. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने विदेशों में कार्य करने के लिए ठेके प्राप्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, किन देशों के साथ ठेके किये गये?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे० न० बहुगुणा) : (क) और (ख) जी, हां। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को ईरान, इराक और तंजानियां में ठेके प्राप्त हुये है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कोई नये ठेके मिलने की संभावना है?

श्री एच० एन० बहुगुणा : जी हां, श्रीमान, निश्चय ही। विश्व भर में प्रयन्न कर रहे हैं और हमें कुछ और ठेके अवश्य मिलेंगे। मैं यह नहीं कह सकता, कहां।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : इस मामले में कितनी राशि के लिए ठेके किये गये हैं?

श्री पी० एन० बहुगुणा : अलग-अलग ठेके हैं। ईरान के साथ हमने 17-1-65 से ठेका किया है। यह ठेका ईरान की एक पार्टी एन आई ओ सी, अमरीका की पेट्रोलियम कम्पनी, इटली की ए जी आई पी तथा भारत की हाइड्रो कार्बन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पूरा किया जायेगा। करार पर 17-1-65 को हस्ताक्षर किये गये थे। इसमें यह कहा गया है कि इस करार के अन्तर्गत तेल की संभावनाओं का पता लगाने आदि पर आने वाली लागत इस प्रकार से वहन की जायेगी--उत्पादित तेल का 50 प्रतिशत एन ओ आई सी को मिलेगा और शेष मात्रा अन्य भागी दलों में बराबर बांट दी जायेगी। हम अन्य ठेके भी ले रहे हैं। ईराक नेशनल आयल कम्पनी ने हमें 4175 वर्गमील क्षत्र में तेल की संभावना का पता लगाने के लिए खुदाई करने के लिए कहा है। इस समझौते पर 20 नवम्बर, 1973 को दोनों सरकारों ने स्वीकृति दे दी हैं। ईराक हमें कुछ धन देगा। यह धन तेल की भागीदारी के लिए नहीं है। यह राशि कुछ विभिन्न प्रकार के कामों के लिए दी जायेगी। यह राशि हमें मिलने वाले धन की पूरी राशि नहीं है बल्कि विभिन्न लेखाओं के अंतर्गत विभिन्न मदो के लिए होगी। तीसरा ठेका हमें तंजानिया से मिला है। तेल और प्राकृतिक व गैस आयोग ने नवम्बर, 1975 में यह करार किया। यह ठेका जून, 1976 में खुदाई के काम के लिए था। इसमें भी विभिन्न कार्यों के लिए राशि दी जानी थी। यह काम भी एक मुख्यतः आधार पर नहीं था कि इतने काम के लिए कि इतना धन दिया जायेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्योंकि पूर्व सरकार के कार्यकलापों के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पर कई आरोप लगाये गए हैं, अतः विदेशी सरकारों द्वारा हमारे लिए या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए रखी जाने वाली शर्तें और की जाने वाली अदायगियों उस देश में उनके द्वारा किये जाने वाले काम के मुकाबले कहां ठहरती हैं।

श्री एच० एन० बहुगुणा : ये ठेके पहले ही हो चुके हैं और मैंने तुलनात्मक या प्रतियोगी आंकड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया है किन्तु देखने की बात यह है कि इन ठेकों से हमारा नाम विश्व के मानचित्र पर आ गया है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस देश में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से श्रेणी--और में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी विवाद और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। क्या ठेके में भारतीय कार्मिकों को नियुक्त करने के बारे में कोई शर्त रखी जाती हैं ?

श्री एच० एन० बहुगुणा : जहां तक तंजानिया और ईराक का सम्बन्ध है, सभी श्रेणियों में शतप्रतिशत भारतीय अधिकारी और तकनीकी कार्मिक होंगे। तंजानिया या ईराक का कोई अधिकारी आदि नहीं होगा हमारे कार्मिक हमारे ही उपकरणों के साथ वहां गए हैं। जहां तक ईरान का सम्बन्ध है, क्योंकि इसमें सब एक से अधिक भागीदार है, अतः हमारे अतिरिक्त और लोग भी काम पर होंगे।

श्री के० लकप्पा : इन करारों के किये जाने के बाद क्या आपने उन सरकारों से इन करारों के अंतर्गत तेल की कीमतें कम करने के लिए कहने पर विचार किया है?

श्री एच० एन० बहुगुणा : यह मामला हमारा उनके साथ ठेके करने से सम्बन्द्ध नहीं है। जैसे कि ईरान में हमने तेल की एक निश्चित मात्रा लेनी है न कि धन। उस तेल को या तो हम विश्व मूल्य पर बेच सकते हैं अथवा उसे हम अपने उपयोग के लिए ला सकते हैं। जहां तक ईराक का सम्बन्ध है, वहां हमें मात्र अपना काम करना है। तेल में हिस्सा बांटने की बात नहीं है। यही स्थिति तंजानिया के मामले में है।

Teachers for Hindi and English Media

***695. Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether separate seniority lists are maintained in respect of teachers selected for Hindi medium and for those selected for English medium;

(b) if not, the reasons therefor, when the norms of selection for them are different; and

(c) whether uniformity will be brought about in the selection of both categories of teachers ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Chaturbhuj : At present, there are separate seniority in respect of Hindi teachers and English teacher. I would like to know what efforts are being made to bring about uniformity in these lists.

श्री शिव नारायण : शिक्षा का माध्यम प्रत्येक ज़ोन में अलग अलग रहता है। अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा कुछ क्षेत्रों में बंगाली, मराठी, तेलगु आदि प्रादेशिक भाषाओं में भी छात्रों को पढ़ाना होता है।

Shri Chaturbhuj : Mr. Speaker, Sir, my question has not been replied. I wanted to know what procedure is being followed to bring uniformity in selection of Hindi and English Teachers in Railways.

Prof. Madhu Dandavate : I would like to inform the hon'ble member that we are maintaining separate list not only for Hindi teachers but also for the teachers of regional languages. It is not that lists are being maintained only in the case of English teachers. These lists are maintained separately because in different zones the teaching work is done in regional languages such as Marathi, Gujarati, Bengali and Tamil. In some places, the medium of teaching is English. We always endeavour that the way of working of all the teachers, whether they teach in English or in regional languages, should be the same. The teachers who are teaching in primary schools and are teaching in Tamil, Marathi or Bengali, wish that they may be promoted and sent to middle or High Schools. We have directed that there should not be any discrimination between teachers of English and regional languages. I want to assure that there will not be any discrimination in this regard.

Shri Chautrbhuj : There is no Director of Education in Railway Board. So, will the Minister order to appoint a Director of Education ?

Prof. Madhu Dandavate : We will consider this proposal. A firm decision must to taken to increase or reduce the members of Railway Board. We are trying to implement the well considered recommendations of the Administrative Reforms Commission. We will surely try to consider the suggestions given by the members.

Shri Ram Vilas Paswan : Is Railway Minister is aware of the fact that the previous Government appointed unqualified and persons not knowing Hindi well in Hindi Department on high posts and whether government will evolve any criteria so as to remove those unqualified personns and make new appointments on the basis of qualification.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इसके अन्तर्गत नहीं आता।

नई रेल लाइनें बिछाने की नीति

*689. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन क्षेत्रों में जहां रेल लाइनें नहीं हैं, नई रेल लाइनें बिछाने की नीति में परिवर्तन करने के बारे में सरकार सक्रियता से विचार कर रही है और आर्थिक रुप से सक्षमता के मापदण्ड का परित्याग किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब लिया जायेगा तथा नया माप दण्ड क्या अपनाया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए एक नयी नीति सरकार के विचाराधीन है। ज्योंही इसको अंतिम रूप दिया जाएगा, इस नीति को लोक सभा में घोषित कर दिया जायेगा।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या मंत्री महोदय उन दोनों को प्राथमिकता देंगे जहां सर्वेक्षण हो चुका है जैसे कि हरियाणा चन्डीगढ़ रेलवे लाइनें इसे सर्वोच्च प्राथिमिकता दी जाए ?

प्रो० मधु दण्डवते : बहुत से क्षेत्र प्रथम प्राथमिकता चाहते हैं और वह केवल एक ही को दी जा सकती है। इसके लिए हमने अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है जो रेलवे के पूंजीगत ढांचे की समीक्षा करेगी और अपने अध्ययन के आधार पर हम वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को सुझाव भेजेंगे और हम योजना की नीतियों के अन्तर्गत ही हमें काम करना है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कोई लाइन नहीं बिछाई गई है। उदाहरणतया आन्ध्र प्रदेश का तेलेगांना ऐसा ही क्षेत्र है। अतः क्या वे रामागुड्म से निजामाबाद तक करोमनगर होकर एक लाइन बिछाएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति से समय से यह मांग हो रही है और पिछले छ. वर्ष से मैं इसके लिए लड़ रहा हूं। परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : अन्य पिछड़े क्षेत्रों की लाइनों के साथ हम उस लाइन पर भी विचार कर रहे हैं जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया। एक मात्र प्रश्न अधिक धन मिलने का है उसके लिए ठोस विकल्प दिए गए है और ज्योंही वे स्वीकृत हो गए हम उस लाइन को शुरू कर सकेंगे जिसका जिक्र किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम एक्सप्रैस में अत्यधिक भीड़

677. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में वतानकुलित एक्सप्रेस (डीलक्स), पश्चिम एक्सप्रैस गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ रहती है ;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) क्या इस रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी का एक और साधारण डिब्बा लगाया जा सकता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) 25/26 बम्बई सेन्ट्रल-नयी दिल्ली/अमृतसर वातानकुल/पश्चिम एक्सप्रेस लोकप्रिय गाड़ियां हैं। गाड़ी के अनारक्षित हिस्से में कुछ भीड़-भाड़ रहती है और आरक्षित स्थान के लिए यात्री प्रतीक्षा में रहते हैं।

(ख) और (ग) इन गाड़ियों में डिब्बे बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि ये गाड़ियां पहले से ही अधिकतम डिब्बों के साथ चल रही हैं। फिर भी, इस मार्ग पर यात्रियों की मांगों को पूरा करने के लिए अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

679. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 800 करोड़ रुपये की लागत से गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव मंजूर कर दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : बम्बई हाई और दक्षिण बेसिन से प्राप्त गैस पर आधारित दो बड़े आकार के उर्वरक संयंत्रों के कार्यान्वियन का प्रस्ताव है। इन दो संयंत्रों में से प्रत्येक की प्रतिदिन 1350 मीटरी टन अमोनिया और प्रतिदिन 1800 मीटरी टन यूरिया की उत्पादन क्षमता होगी और इन दोनों पर लगभग 280 करोड़ रूपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 491 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। विभिन्न संभव स्थानों पर इन परियोजनाओं पर वातावरण के प्रभाव पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा और उसके बाद परियोजनाओं के लिए अपेक्षित स्वीकृति के लिए कार्यवाई की जाएगी परियोजनाओं का राष्ट्र कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा।

बम्बई हाई और दक्षिण बेसिन से उपलब्ध गैस पर आधारित दो बड़े आकार की परियोजनाओं को गुजरात में भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन दो परियोजनाओं का इफको और मैसर्स नैशनल फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। दोनों कम्पनियों को परियोजनाओं के लिए एक ही संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

असम में तेल क्षेत्रों से गैस पर आधारित प्रतिदिन 600 मीटरी टन अमोनिया और प्रतिदिन 1000 मीटरी टन यूरिया की क्षमता से नामरूप में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

Officers' Posts Upgraded

***683. Shri I ukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to lay a statement showing :

(a) the number of officers' posts (except medical services) upgraded on Indian Railways during the last three years and when;

(b) the number of Class II, Class III and Class IV posts (except medical posts) upgraded during the said period;

(c) whether there is difference in percentage of upgradation of posts in different classes;

(d) if so, the action being taken to bring about uniformity; and

(e) when uniformity is expected to be brought about in this regard ?

Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

(a) 23 posts of Officers upgraded since 1-4-1975.

(b) Number of Group 'C' i.e. Class III posts upgraded to Group 'B' i.e.

Class II	497
Number of posts upgraded within Group 'C' i.e. Class III . .	19,700
Number of posts upgraded within Group 'D' i.e. Class IV	9,200

(c) to (e) The posts in Group 'C' (Class III) were upgraded to Group 'B' (Class II) on the basis of worth of charge. The posts within Group 'C' (Class III) and Group 'D' (Class IV) were upgraded keeping in view the worth of charge, as well as the need to reduce inter-departmental dispartities for promotional avenues available to staff of different categories and to provide some relief to cadres with unduly flat pyramidal structures. As these upgradations were not made on percentage basis and the sanctions were issued in terms of specific numbers, no inter-group comparison is possible.

मंत्रालय तथा उसके उपक्रमों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के पदों के वर्ग

684. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **पेट्रोलियम** रसायन **और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय तथा उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं सरकार उपक्रमों में प्रत्येक वर्गी में कुल कितने पद भरे गये और उनमें अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति थे और जनता शासन को कुल अवधि में प्रत्येक वर्ग में कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया था तथा उसके क्या कारण थे ; और

(ख) प्रत्येक वर्ग के पदों पर कितनी पदोन्नतियां की गईं । पदों का दर्जा बढ़ाया गया और कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिये गये ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस मंत्रालय से संबंधित सुचना दर्शानेवाला विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। अन्य संगठनों / उपक्रमों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

संगठन का नाम	समूह	24-3-1977 तक भरे गये पदों की संख्या	स्तम्भ में से अनुसूचित जातियों से संबंधित पदों की संख्या	अनु-सूचित जन-जातियों से सम्बंधित पदों की संख्या	24-3-77 तक पुनः आरक्षित पदों की संख्या	स्तम्भ 3 में से पदोन्नति पदावनत द्वारा भरे गये पदों की संख्या	पदोन्नति गए पदों की संख्या	स्तम्भ 7 में से अनसूचित जातियों से संबंधित पदों की संख्या	अनुसूचित जन जातियों से पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पैट्रालियम विभाग	(क)	7	—	—	—	3	—	—
	(ख)	16	2	1	—	10	2	1
	(ग)	14	2	1	3	6	1	—
	(घ)	2	—	—	1	2	—	—
रसायन और उर्वरक विभाग	(क)	19	2	—	—	3	—	—
	(ख)	29	2	—	—	21	2	—
	(ग)	52	2	—	5	10	2	—
	(घ)	6	2	—	—	4	1	—

टिप्पणी:—वर्ग (क) :ऐसे पद जिनका वेतन अथवा वेतनमान अधिकतम 1300 रुपये से अधिक न हो।

वर्ग (ख) :—ऐसे पद जिनका वेतन अथवा वेतनमान अधिकतम 500 रुपये हो परन्तु 1300 रुपये से कम हो।

वर्ग (ग) :—ऐसे पद जिनका वेतन अथवा वेतनमान अधिकतम 250 रुपये हो परन्तु 900 रुपये से कम हो।

वर्ग (घ) :—ऐसे पद जिनका वैतन अथवा वेतनमान अधिकतम 290 रुपये हो अथवा इससे कम हो।

मध्य प्रदेश में रसायनिक उद्योग समूह स्थापित करना

688. **श्री सुखेंद्र सिंह :** क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में चूना पत्थर और कोयले पर आधारित एक रसायनिक उद्योग समूह स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

Indane Gas agents in Delhi

*591. **Shri Madan Tiwary :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of Indane Gas agents in Delhi at present;

(b) whether Government propose to open some other agencies to meet the increasing demand of the people in Delhi; and

(c) if so, the number thereof and by what time ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) 44.

(b) and (c) The question of opening new gas agencies in Delhi will be considered taking into account the need for handling additional quantity of LPG, as and when it is available, and reorganisation, if any, of the existing network of LPG distributorships.

बल्लभगढ़ में बर्मा शैल के डीलर के विरुद्ध शिकायतें

*693. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पैट्रोल और डीजल में मिलावट करने के बारे में बल्लभगढ़ (हरियाणा) के बर्मा शैल के एक डीलर के विरुद्ध शिकायतें मिलीं थी जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैक्टर तथा कार इंजिनों में बड़े पैमाने पर खराबी होती है ; यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाई की गई ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त डीलर का पहिले उसी अपराध के लिए चालान भी किया गया था ; यदि हां, तो उसकी डीलरशिप जारी रखने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) माननीय सदस्य के माध्यम से बल्लभगढ़ के कुछ निवासियों से बल्लभगढ़ (हरियाणा) में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० (बी०पी० सी० एल०) के एक पैट्रोल विक्रेता के विरुद्ध इस मंत्रालय में शिकायत मिली थी। यह शिकायत उक्त विक्रेता द्वारा हाई स्पीड डीजल तथा पेट्रोल में तथाकथित मिलावट से सम्बन्धित थी जिसके परिणामस्वरुप ट्रैक्टर के इंजनों को क्षति पहुंची कुछ ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस को भी शिकायत की जिसने इस फुटकर पैट्रोलपम्प से पैट्रोल के नमूने लिये। गुड़गांव पुलिस द्वारा ये नमूने भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन को भेजे गये थे और भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० द्वारा इनका विश्लेषण किया गया था। भारतपैट्रोलियम कार्पो० लि० की रिपोर्ट के अनुसार इन विश्लेषणों में यह बात पायी गयी कि हाई स्पीड डीजल के नमूने जबकि विशिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप

पाये गये और पेट्रोल के नमूने दो बातों, अर्थात् ओस्टेन नंबर अंतिम कथनांक में असफल सिद्ध हुए। पैट्रोल में लगभग 10 प्रतिशत की सीमा तक मिट्टी के तेल और तारपीन के तेल जैसे उत्पादों की मिलावट की गई प्रतीत होती है। भारत पैट्रोलियम कार्पो० लि० ने पुलिस प्राधिकारियों को अपनी परीक्षण रिपोर्ट से सूचित कर दिया है और साथ ही विक्रेता को स्पष्टीकरण देने के लिए भी लिख दिया था। विक्रेता ने यह बताते हुए उत्तर दिया था कि उसके पैट्रोल पम्प पर किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई थी। भारत पैट्रोलियम कार्पो० लि० को इस मामले की और जांच करने को कह दिया गया है।

(ख) भारत पैट्रोलियम कार्पो० लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्धित विक्रेता को विगत में मिलावट के किसी मामले में भागीदार नहीं पाया गया है।

कम्पनी कानून बोर्ड में व्यावसायिक योग्यता वाले सदस्य रखने का प्रस्ताव

*694 **श्री के० मालन्ना** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कानून बोर्ड के कुछ सदस्य कम्पनी कार्य विभाग में ऊंचे पदों पर भी आसीन हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी कानून बोर्ड के सदस्यों का कोई स्वतंत्र और पृथक स्तर नहीं है परन्तु वे कम्पनी कार्य विभाग के अभिन्न अंग हैं और वे विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री के निदेश और नियंत्रण मे कार्य करते हैं,

(ग) क्या सरकार महसूस करती है कि कम्पनी कानून बोर्ड में कम्पनी कार्यों में दक्ष चार्टर्ड अथवा कास्ट एकाउंटेन्ट्स अथवा इकानिमस्ट जैसे व्यवसायिक योग्यता रखने वाले लोगों को रखना लाभदायक होगा, और

(घ) यदि हां, तो कम्पनी कानून बोर्ड में चार्टर्ड कास्ट एकाउंटेट्स जैसे व्यावसायिक योग्यता रखने वाले लोगों को रखने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कम्पनी विधि बोर्ड के शेष 6 सदस्यों में से अध्यक्ष और तीन कम्पनी कार्य विभाग में सचिव और संयुक्त सचिव/लोक न्यासी के पदों को भी धारण कर रहे हैं।

(ख) कम्पनी विधि बोर्ड का संविधान और प्रस्थिति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ङ द्वारा शासित होता है, उपधारा 6 में व्यवस्था है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन होगा।

(ग) और (घ) वे व्यक्ति जो कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं वे पर्याप्त पृष्टभूमि रखते हैं और सम्बन्धित शिक्षा जैसे लेखाशास्त्र, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, उद्योग आदि का अनुभव रखते हैं जिससे बोर्ड में विभिन्न मामलों में जो उसके समक्ष आते हैं समन्वित राय कायम कर सकें। कम्पनी विधि बोर्ड की संरचना इन अपेक्षाओं का विस्तृत गठन करती है तथा उन सदस्यों को सम्मिलित करती है जो शास-प्राप्त लेखाविधि, और लागत तथा कर्मान्ति लेखाविधि की योग्यताएं रखते हैं।

Officers and Class III Employees in Izzatnagar Division

*6371. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 1096 on 28th February, 1978 regarding Employees of Commercial Department, Izzatnagar Division N. E. Railway and state :

(a) the number of officers and Class III employees in Izzatnagar Division who have been transferred during the academic session and whose children continue to stay at the old station of posting ; and

(b) the number of transferred employees who have been allotted quarters at the new places of their postings and whose quarters at places of previous posting have been got vacated ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) :

(a) Officers	5
Class III employees	78

(b) Out of 5 officers, 3 have been allotted bungalows at the new place of posting while 2 have been permitted to retain the bungalows at the old station.

Out of 78 Class III employees whose transfer orders were issued, only 41 had Railway quarters at the previous stations and 19 amongst them are still to carry out their transfers. The position regarding provision of quarters to the remaining is as under :—

Fourteen have been provided with quarters at the new place of posting after vacation of the quarters at the previous station of posting. Eight employees have been permitted to retain their accommodation at the old station of posting.

बालमर लारी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों का अधिग्रहण

6372. **डा० विजय मंडल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्डो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड द्वारा बालमर लारी ग्रुप की कंपनियों के अधिकांश शेयरों को बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दरों पर खरीदने का आर्थिक औचित्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : बालमर लारी एंड कम्पनी पिछले कुछ वर्षों तक एक विदेशी साम्यपूंजी वाली कंपनी थी। जहाजरानी यात्रा अभिकरण और अन्य अभिकरणों सहित इस कम्पनी की चाय व्यापार, उत्पादन क्रियाकलाप और विधि क्रिया कलापों में अभिरुचि थी। शुरु शुरु में बालमर लारी छः सहायक कम्पनियां थीं। इनमें दो कम्पनियां इस्पात के बैरल बनाने, एक स्विच गियरों सहित विद्युत उपकरण तैयार करने; एक संरचानात्मक निर्माण कार्य करने, एक आटा मिल और एक इस्पात की खिड़कियां तैयार करने वाली कम्पनियाँ हैं। इन सहायक कम्पनियों में से दो कम्पनियाँ ढंकंन ब्रादर्स द्वारा—एक आई बी पी के सार्वजनिक क्षेत्र में आने से पूर्व और दूसरे इसके पश्चात् बेची गई थीं।

बालमर लारी शेयर धारियों की संख्या निम्नलिखित थी :—

व्यावसायिक उद्यम का नाम	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
इण्डोडो-वर्मापिट्रोलियम कम्पनी	43,341	30.09
इंगलैंड की एलैक्स तथा सहयोजित	39,675	27.55
ढंकंन ब्रादर्स (गोयन्का कम्पनियाँ समूह)	32,540	22.59
953 छोटे शेयरधारी .	28,474	19.77
कुल	1,44,030	100.00

इन शेयरों के 80.23% शेयर प्राप्त करने के लिये आई बी पी द्वारा ढंकंन ब्रदस और एलेक्स लारी के शेयर खरीद लिये गये थे। इस मामले से सम्बन्धित अन्तिम बातचीत 20 मई और

1 जून, 1972 के बीच में हुई थी। ढंकंन ब्रादर्स को प्रति शेयर 95 रुपये और एलेक्स लारी को प्रतिशेयर 85 रुपये की दर से मूल्य की अदायगी की गई थी। इस प्रकार से प्रतिशेयर 89.50 रुपये की औसतन अदायगी की गई थी।

बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों द्वारा कदाचार

6373. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम ने निषिध व्यापार कदाचार में लगे बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों के बारे में कुछ मामलों की जानकारी हाल में सरकार के ध्यान में लाई गई है , और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों द्वारा किस प्रकार की प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा था और उनके विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गये और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित भारतीय कम्पनियों और एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग 1-1-1977 और 31-3-1978 के मध्य गठित जांचों को प्रदर्शित करता हुआ विवरण पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2082/78]

Railway Workshops at Gangapur

6374. Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether special arrangements are proposed to be made soon in the railway workshop at Gangapur City (Western Railway) for carrying out through repairs to wagons and if so, the details thereof ; and

(b) whether it will necessitate expansion of the workshop and if so, the extent of the likely expansion and the number of additional employees to be appointed there ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No. There is no workshop at Gangapur City.

(b) Does not arise.

रेल सुरक्षा निधि से बिहार को आबंटित राशि

6375. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सुरक्षा निधि से बिहार को 1976 के बाद से कितनी राशि आबंटित की गई है ; और

(ख) निधि से आबंटित राशि से उस राज्य में क्या सुरक्षा कार्य किये गये हैं और उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) 1975-76 से 1978-79 तक के वर्षों के दौरान रेलवे संरक्षा कार्य निधि से बिहार राज्य को आबंटित की गयी राशि नीचे दी गयी है:—

(हजार रुपयों में)

1975-76	1851
1976-77 . .	2116
1977-78 (संशोधित अनुमान)	2127
1978-79 (बजट अनुमान) . .	2127

(ख) इस राज्य में समपारों के बदले में ऊपरी सड़क पुलों के लिये निम्नलिखित परियोजनाओं को इस समय अनुमोदित किया जा चुका है और उन्हें रेल निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लागत में राज्य सरकार का हिस्सा जिसको प्रतिपूर्ति रेलवे संरक्षा कार्य-निधि से की जानी है	टिप्पणी
1.	पूर्वोत्तर रेलवे पर बेगुसराय और तिलरथ के बीच समपार संख्या 47 और 48 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।	7.36 लाख	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2.	समस्तीपुर में समपार संख्या 52 के बदले में एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।	34.85 लाख	रेलों के हिस्से का निर्माण कार्य अर्थात् रेल पथ के उस पार पुल का काम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा पहुंच मार्गों का काम प्रगति पर है और शीघ्र ही उसके पूरा हो जाने की आशा है।

उपयुक्त निर्माण कार्यों में राज्य सरकार के हिस्से की लागत लगभग 42.21 लाख रुपये बैठती है जिसकी प्रतिपूर्ति रेलवे संरक्षा कार्य-निधि से की जानी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त 1975-76 से 1977-78 तक की अवधि में बिहार राज्य में समपारों पर चौकीदार लगाने/ग्रेडों को बढ़ाने की 11 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था और इसके लिए इस निधि के 10% के बराबर धन दिया जाना था जो केवल ऐसे कार्यों के लिये ही सुरक्षित रखा जाता है। इन परियोजनाओं का काम प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

रेल गाड़ियों में स्थान

6376. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी भारतीय रेलगाड़ियों में दूसरे और पहले दर्जे में कुल कितने व्यक्तियों के बैठने और सोने का स्थान है तथा वातानुकूलित में भी कितना स्थान है: और

(ख) रेल गाड़ियों में औसतन प्रतिदिन कितने यात्री यात्रा करते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 31 मार्च, 1977 को भारतीय रेलों पर बैठने तथा सोने के उपलब्ध स्थानों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :—

दर्जा	संख्या	
	बैठने का स्थान	शायिका
वातानुकूल	3,309	3,309*
वातानुकूल कुर्सीयान	3,531	—
पहला	160,965	60,422*
दूसरा	1,906,301	149,279*

*बैठने के स्थानों में भी शामिल हैं।

(ख) 1976-77 के दौरान सरकारी रेलों द्वारा ढोये गये यात्रियों की दैनिक औसतन संख्या 90.4 लाख थी।

गाड़ी संख्या ए० जैड० बी० क्यू० के समय में परिवर्तन

6377. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे और मण्डल अधीक्षक, फिरोजपुर को इस आशय का कोई अभ्यावेदन दिया गया है कि गाड़ी संख्या ए० जैड० बी० क्यू० की समय सारणी में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाये कि वह क्वाडियां से 7.40 बजे चले और अमृतसर 9.30 बजे पहुंचे और उसका 3 ए० बी० पी० से बेर्का पर क्रास हो जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) 1-4-1978 से यह निर्धारित किया गया है कि 3 ए० बी० पी० से काठूनांगल के बजाय बोरका में मेल लेने के बाद 2 ए० बी० क्यू० कादियां से 7.20 बजे छूटेगी और अमृतसर 9.25 बजे पहुंचेगी।

आर० डी० एस० ओ० के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन करने वाले नियम

6378. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर० डी० एस० ओ० में नियुक्त सभी कामगारों की सेवा शर्तों का किन-किन नियमों से विनियमन होता है और ये कहां अन्तर्विष्ट हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के कर्मचारी भारतीय रेल स्थापना संहिता वाल्यूम I और II में निहित संगत उपबन्धों और रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अन्य नियमों और आदशों द्वारा शासित होते हैं।

अल्पसंख्यक प्रतिनिधि संस्थाओं को मान्यता

6379. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक प्रतिनिधि संस्थाओं को किन-किन नियमों के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई है और नियम किस कानून के अन्तर्गत बनाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : अल्पसंख्या के आधार पर अर्थात् किसी जाति, जनजाति, अथवा धार्मिक समुदाय के किसी प्रतिनिधि अथवा किसी संस्था या ऐसी किसी जाति, जनजाति या धार्मिक समुदाय के किसी समूह या वर्ग को मान्यता नहीं दी गयी है।

नैमित्तिक कर्मचारियों के विरुद्ध कथित भेदभाव

6380. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे नियम पुस्तिका के अध्याय XXIII के अन्तर्गत नियमित अस्थायी कर्मचारियों के और नैमित्तिक कर्मचारियों के बीच क्या भेदभाव किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : नैमित्तिक श्रमिकों को नियुक्ति सविरामी, छुट-पुट और तत्काल किस्म के निर्माण-कार्यों, जैसे बाढ़ से हुई क्षति, आदि को ठीक करने, के लिये की जाती है। उन्हें आम तौर पर दिहाड़ी के हिसाब से वेतन दिया जाता है। लेकिन, यदि वे लम्बी अवधि के लिए काम पर लगे रहें तो उन्हें निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :

(क) जिन नैमित्तिक श्रमिकों को भारतीय रेलों की चालू लाइन स्थापनाओं में लगातार चार महीने तक एक ही किस्म के काम में नियोजित किया जाता है, उन्हें अस्थायी ओहदा दे दिया जाता है और वे अस्थायी रेल कर्मचारियों को दिये गये प्रायः सभी अधिकार और सुविधाएं, जैसे छुट्टी, पास, पी टी ओ, आदि पाने के पात्र हो जाते हैं। लेकिन, वे सेवानिवृत्ति लाभ, अग्रिम, आदि प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होते।

(ख) परियोजनाओं में लगे नैमित्तिक श्रमिकों की छः माह की लगातार सेवा पूरी हो चुकने पर उन्हें वेतनमान के हिसाब से वेतन दिया जाता है, लेकिन उन्हें अस्थायी ओहदा नहीं दिया जाता और न ही वे ऊपर (क) में उल्लिखित लाभ पाने के पात्र होते हैं।

(ग) नियमित खाली जगहों में नियुक्ति के लिये नैमित्तिक श्रमिकों की छान-बीन की जाती है और उन पदों में उन्हें समाहित कर लिया जाता है। तत्पश्चात् वे नियमित रेल कर्मचारी बन जाते हैं।

अस्थाई नैमित्तिक श्रमिक

6381. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे सभी अस्थाई नैमित्तिक श्रमिकों को जिन्हें अस्थाई रेल कर्मचारियों का दर्जा प्राप्त हो चुका है, उनकी वरिष्ठता के अनुसार, उनकी सेवा अवधि के अनुसार चयन किये बिना उस सेवा में कार्य करते हुए उनके लम्बे अनुभव के आधार पर उन्हीं पदों पर अस्थाई नियमित रेल कर्मचारी के रूप में नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : बिना कोई चयन किये नैमित्तिक मजदूरों की स्थानीय रुप से नियुक्ति कार्य के प्रभारी निरीक्षकों द्वारा की जाती है। सामान्य नियम यह है कि किसी व्यक्ति के नियमित चतुर्थ श्रेणी सेवा में प्रवेश से पहले उसका चयन होना चाहिये। नैमित्तिक मजदूरों द्वारा की गयी सेवा को देखते हुए उनके पक्ष में एक विशेष रियायत यह दी गयी है कि उनका चयन जरूरी नहीं है बल्कि एक छानबीन समिति द्वारा केवल उनकी छानबीन आवश्यक है तथा उन्हें नैमितिक मजदूर के रुप में उनकी वरिष्ठता के आधार पर खपाया जाता है।

नैमितिक श्रमिकों को अस्थाई श्रमिक बनाना

6382. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे सिब्बन्दी नियम पुस्तिका के नियम 2501 के उपबन्धों के अनुरूप कितने नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थाई रेल कर्मचारी माना गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

15-20 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को स्थायी न किया जाना

6383. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में 15–20 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को अभी भी अपने--अपने पदों पर स्थायी नहीं किया गया है, जबकि काफी बाद में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कुछ अधिकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हाँ, तो किन-किन श्रेणियों में ऐसी विसंगतियों का उल्लेख किया गया है ; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) स्थायी पदों की उपलब्धता के आधार पर कर्मचारियों को, उनकी बारी आने पर स्थायी पदों पर पक्का किया जाता है।

(ख) और (ग) ऐसी कोई असंगति सरकार के नोटिस में नहीं आयी है। स्थायीकरण न हो पाने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि पदोन्नति के प्रयोजन के लिये वरिष्ठता सेवा की दीर्घता पर निर्भर करती है । भले ही किसी कर्मचारी का स्थायीकरण हो चुका हो अथवा नहीं। इसके अलावा तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी हो जाने के उपरान्त स्थायी सेवा के प्राय: सभी लाभ अस्थायी रेल कर्मचारियों को सुलभ होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रत्नगिरी में तेल की तटदूर खोज

6384. **श्री बापूसाहेब परुलेकर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री रत्नगिरी में तेल की तटदूर खोज के बारे में 15 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 296 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि: —

(क) रत्नगिरी तट से लगभग 55 किलोमीटर दूर क्षेत्र में कुएं की ड्रिलिंग के क्या परिणाम निकले ?

(ख) क्या रत्नगिरी से 55 किलो मीटर दूर इस कूएं के दक्षिण में वहाँ पर कोई भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी किया गया है; और

(ग) यदि हाँ तो उसका क्या परिणाम रहा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : रत्नगिरी तट के लगभग 55 किलो मीटर दूर क्षेत्र में कूएं की ड्रिलिंग करने पर कोई भी तेल और गैस स्रोत प्राप्त नहीं हुए।

(ख) और (ग) रत्नगिरी से मंगलोर तक फैले अपतटीय क्षेत्र में उत्तर-दक्षिण पंक्ति में किये गये भूगर्भीय सर्वेक्षण से रत्नगिरी के दक्षिण में गोआ की ओर तलछटी खण्ड संकरा होता गया है।

दहेज संबंधी विधि

6385. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि दहेज संबंधी विधि के वर्तमान उपबंध दहेज की बुराई को रोकने के लिये कारगर नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार दहेज लेने तथा दहेज देने को संज्ञेय अपराध बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) सरकार यह महसूस करती है कि दहेज की बुराई को रोकने के लिये विधि के वर्तमान उपबंध बहुत कारगर नहीं हैं।

(ख) और (ग) सरकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है जिनमें उस अधिनियम के अधीन अपराधों को संज्ञेय बनाने का प्रश्न भी सम्मिलित है।

Extension of Mehsana-Taranga Line

†**6386. Shri Motibhai R. Chaudhary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether demand has been received for the extension of Mehsana-Taranga line from Vartho to Amsaji on Western Railway;

(b) whether a small distance track already exists and it further goes across the forest and there is no question of any wastage of land;

(c) whether this line will be laid in that part which is rich in forest as well as mineral wealth; and

(d) whether lakhs of persons travel to and from Amsaji which is a famous tourist spot as a result of which there is enough passenger traffic also and if so, whether Government propose to take the decision quickly to lay this line ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) A representation was received recently in the first week of March, 1978 for the proposed extension of the line. The Railway Administration has been asked to examine the matter and submit a report. Further action will be taken on receipt of the Railway's report.

उर्वरक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता

6387. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने और कौन-कौन से उर्वरक कारखानें हैं और उनकी अधिष्ठापित क्षमता क्या है तथा 1977 के दौरान वास्तविक उत्पाद कितना हुआ ;

(ख) किन-किन राज्यों में उर्वरक कारखाने नहीं है, और

(ग) ऐसे राज्यों में इन कारखानों की स्थापना करने का यदि कोई कार्यक्रम है, तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना से संबंधित विवरण पत्र संलगन है।

विवरण-पत्र

(क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

("000" मी० टनों में)

राज्य / एकक	की स्थापिन क्षमता		1976-77 के लिये वास्तविक उत्पादन		1977 से फरवरी 1978 तक वास्तविक उत्पादन	
	नाइट्रोजन	फास्फेट	नाइट्रोजन	फास्फेट	नाइट्रोजन	फास्फेट
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश :						
1. आन्ध्र फर्टिलाइजर्स (टडेपले) .	—	6.4	—	4.6	--	5.3
2. आन्ध्र शूगर्स लि० (टयूकयू) . .	—	5.4	—	1.9	—	2.4
3. हैदराबाद कमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (हैदराबाद)	—	6.7	—	1.4	—	2.0
4. कृष्णा इडस्ट्रीयल कारपोरेशन (निडाडाबोल)	—	8.1	--	1.3	—	2.5
5. कारोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (विजाग)	83	—	64.1	--	53.6	—
आसाम :						
1. नामरूप विस्तार (एफ०सी०आई०)	197	—	—	--	92.8	—
2. एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज (चन्द्रपुर)	--	5.4	--	2.2	--	2.4
बिहार :						
1. बरौनी (एफ० सी० आई०)	152	—	24.8	—	38.1	--
2. सिन्दरी (एफ० सी० आई०) .	90	—	25.0	—	9.4	—
3. बिहार सुपरफास्फेट फेक्टरी (सिन्दरी) .	—	3.8	--	0.3	—	1.8
4. टाटा आइरन एण्ड स्टील (जमशेदपुर-उप-उत्पाद)	4	--	3.3	—	2.7	—
गुजरात :						
1. पौशिक (बड़ौदा) . . .	—	5.4	—	2.2	--	3.67
2. आदर्श कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (उथाना)	—	5.4	—	6.9	--	8.6
3. अनिल स्टार्ट (भावनगर) . .	—	5.4	—	2.6	—	1.3
4. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी (बड़ौदा)	216	—	173.5	—	156.0	--
5. इफको (कण्डला और कलोल) .	215	--	158.0	—	195.3	—
6. अनिश कैमीकल्स (अहमदाबाद)	--	1.0	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
केरल :						
1. उद्योगमण्डल-फैक्ट	82	7.2	43.1	2.7	46.9	4.5
2. कोचीन I और II	192	--	80.5*	—	80.1	—
कर्नाटक :						
1. छमंडी कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, रायचूर .	--	6.5	--	--	--	शून्य
2. गेमन कमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, मैसूर .	--	5.2	शून्य	--	—	5.02
3. मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	160	—	50.6	—	60.9	--

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश :						
1. हिन्दुस्तान स्टील लि० भिलाई (उप-उत्पाद)	7	—	7.6	--	7.3	--
2. धर्मसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लि०, कुमहारी	--	12.0	—	12.3	—	13.2
महाराष्ट्र :						
1. ट्राम्बे (एफ० सी० आई०)	81	--	94.6	—	78.6	—
2. भारत फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज (बम्बई)	—	3.6	—	0.3	—	0.9
3. डी० एम० सी० सी० (अम्बरनाथ)	—	11.7	—	21.6	—	19.6
4. वेस्टर्न कैमीकल्स इंडस्ट्रीज (बम्बई)	—	0.5	--	0.3	—	0.16
5. वेस्टर्न इंडिया केमीकल्स (लोनी कलमोर)	—	5.3	—	5.8	--	5.4
6. महाराष्ट्र एग्रो इडस्ट्रीज (बम्बई)	--	8.0	—	1.8	—	2.5
उड़ीसा :						
1. हिन्दुस्तान स्टील लि० (राउरकेला)	120	—	80.0	--	66.3	—
2. हिन्दुस्तान स्टील लि० (राउरकेला उप-उत्पाद)	5	—	3.3	—	2.9	—
3. उड़ीसा कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (रौड़केला)	—	5.0	--	0.3	—	शुन्य
पंजाब :						
1. नंगल (एफ० सी० आई०)	80	--	80.0	--	49.8	--
राजस्थान :						
1. हिन्दुस्तान जिंक (उदयपुर)	--	12.2	--	5.1	--	5.6
2. श्रीराम कैमिकल्स (कोटा)	152	--	120.0	--	108.7	—
तमिल नाडू :						
1. नाइवेली लिगनाइट कारपोरेशन (नाइवेली)	70	—	43.0	—	36.3	—
2. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० (मद्रास)	176	—	126.6	—	120.4	—
3. ई० आई० डी० पैरी (इनौर)	16	—	8.4	—	7.8	—
4. एस० पी० आई० सी० (टूटीकोरिन)	258	—	149.0	—	162.3	—
5. कोठारी लि० (मद्रास)	—	7.2	—	1.6	—	4.6
6. प्रिमियर फर्टिलाइजर (मद्रास)	—	6.5	—	—	—	—
7. शाह वालेस (मद्रास)	--	12.2	—	9.4	—	9.01
8. कोइम्बेटूर पाइनियर इंडस्ट्रीज (कोइंबेटूर)	—	6.5	—	1.3	—	2.2
9. ई० आई० डी० पैरी (रानीपेट)	—	6.4	—	5.6	—	6.5
उत्तर प्रदेश :						
1. न्यू० सेंट्रल जूट मिल्स (वाराणसी)	10	—	5.1	—	4.2	—
2. इंडिया एक्सप्लोसिव लि० (कानपुर)	200	—	188.0	—	181.00	—
3. गोरखपुर (एफ० सी० आई०)	131	—	95.2	—	77.8	—
4. रैली कैमिकल्स (कानपुर)	--	9.8	—	6.2	--	7.74

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल :						
1. जयश्री कैमिकल्स (कलकत्ता) .	--	9.2	—	5.1	--	3.1
2. फास्फेट कम्पनी (कलकत्ता) .	—	9.8	--	4.5	--	7.74
3. दुर्गापुर (एफ० सी० आई०) . .	152	--	46.0	—	50.9	--
4. II एस को, बर्नपुर (उप-उत्पाद) .	4	—	1.5	—	1.5	—
5. हिन्दुस्तान स्टील लि०, दुर्गापुर (उप-उत्पाद)	4	--	3.1	—	2.7	—
दिल्ली :						
डी० सी० एम० केमीकल्स वर्क्स (नई दिल्ली)	--	33.0	—	19.0	--	15.4
गोआ :						
जुआरी एग्रो-केमीकल्स (जुआरीनगर) .	171	—	123.0	—	132.9	—

*फेज II द्वारा परीक्षण उत्पादन के अन्तर्गत उत्पादित 3000 मीटरी टन नाइट्रोजन शामिल है।

जो उर्वरक संयंत्र पहले सी ही उत्पादन कर रहे हैं जिनका विवरण उपर दिया गया है उनके अलावा, निम्नलिखित उर्वरक संयंत्र नीचे दिये गये राज्यों में निर्माणाधीन हैं :—

संयंत्र का नाम	राज्य
I. सरकारी क्षेत्र :	
1. नंगल विस्तार	पंजाब
2. सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण	बिहार
3. ट्राम्बे–IV	महाराष्ट्र
4. रामागुण्डम	आन्ध्र प्रदेश
5. तालचर	उड़ीसा
6. सिन्दरी आधुनिकीकरण	बिहार
7. भटिन्डा	पंजाब
8. पानीपत	हरियाणा
9. हल्दिया	पश्चिम बंगाल
10. ट्राम्बे–V	महाराष्ट्र
II. गैर-सरकारी क्षेत्र :	
11. बरोच	गुजरात
III. सरकारी क्षेत्र :	
12. फूलपुर	उत्तर प्रदेश

(ख) अभी निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में किसी भी उर्वरक संयंत्र की स्थापना का कोई विचार नहीं है।

राज्य :

1. हिमाचल प्रदेश
2. जम्मू और कश्मीर

3. मणीपुर
4. मेघालय
5. नागलैण्ड
8. त्रिपुरा
7. सिक्किम

संघ शासित क्षेत्र :

1. अण्डेमान और निकोबार द्वीप
2. अरुणाचल प्रदेश
3. चण्डीगढ़ प्रशासन
4. दादर और नागर हवेली
5. लक्षद्वीप
6. मिजोरम
7. पाँडिचेरी

(ग) उर्वरक परियोजना की स्थिति तकनीक आर्थिक विचारों पर आधारित है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, फीडस्टाक की उपलब्धता, इन्फास्ट्रक्चर सुविधाएं, बाजार की निकटता तथा परियोजना के आर्थिक विपणन क्षेत्र में उर्वरकों की माँग जैसे तत्व शामिल हैं। अगर राज्य, जिनमें कोई उर्वरक कारखाना नहीं है उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं, सरकार अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाते समय, ऐसे राज्यों में उर्वरक कारखानों की स्थापना पर निस्सदेह विचार करेगी।

रेल भाड़ा–ढांचा जांच समिति

6388. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० एच० के० परांजपे की अध्यक्षता के अधीन रेल भाड़ा जांच समिति ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है जैसा कि रेल मंत्री ने 10 सितम्बर, 1977 को अपने भुवनेश्वर पत्रकार सम्मेलन में घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो किराया और भाड़ा पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। भारत सरकार के संकल्प दिनांक 19-9-1977 के अनुसार डा० एच० के० परांजपे की अध्यक्षता में गठित रेल दर सूची जांच समिति ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) समिति ने विचारार्थ विषय पर रेल उपयोगकर्ताओं और जनता से सुझाव आमन्त्रित करने के लिए सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जारी की गयी अधिसूचना के अलावा, विभिन्न वाणिज्य मण्डलों, व्यापारिक तथा यात्री संस्थाओं, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के उपक्रमों, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को भी लिखा गया है और उनके सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। प्राप्त ज्ञापनों/उत्तरों का समिति द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

इस विषय पर विभिन्न रिपोर्टों और साहित्य की जांच-पड़ताल करने के अलावा समिति द्वारा सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

निर्यात होने वाले माल के भाड़े में रियायत

6389. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात होने वाले माल के परिवहन के लिए भाड़े में रियायत देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई को स्थानीय रेलगाड़ियों के यात्रियों को शिकायतें तथा सुझाव

6390. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को फेडरेशन आफ बोम्बे सुबर्बन पैसेंजर्स एसोसिएशन डोम्बीवाली, जिला थाना (महाराष्ट्र) की खारे से स्थानीय रेलगाड़ियों के यात्रियों की शिकायतों और सुझावों के बारे में जनवरी तथा फरवरी, 1978 के बीच उनके अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) तो कितने ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके कारण क्या हैं और क्या अब कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) सत्रह।

(ग) और (घ) 13 अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में पहले ही आवश्यक दोष निवारक कार्रवाई की जा चुकी है, दो अभ्यावेदनों के मामलों में स्थिति को स्पष्ट करते हुए उत्तर भेजे जा चुके हैं और अन्य दो अभ्यावेदनों में निहित सुझावों की जांच की जा रही है ।

Hindi Advisory Committee

6391. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry; and

(b) if so, the names of members thereof and the numbers and names, among them of those nominated on the recommendations of the Official Languages Department ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) and (b) A new Hindi Advisory Committee will be constituted shortly in accordance with the recent guidelines issued by the Government.

सीरा टैंकों की मांग

6392. **श्री अघन सिंह ठाकुर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली डिवीजन में सीरा टैंकों की कितनी मांग रही है;

(ख) गत तीन महीनों में दिल्ली डिवीजन को सीरा के लिए कितने टैंकों की सप्लाई की गई; और

(ग) क्या सीरा की कम सप्लाई को देखते हुए सरकार का विचार मांग को पूरा करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1-1-78 को शीरे के 12 टंकी माल डिब्बों की मांग बकाया थी। 1-1-78 से 31-3-78 की अवधि के दौरान 135 टंकी मालडिब्बों की नवीन मांगें प्राप्त हुई जिनमें से 117 टंकी माल डिब्बों की सेप्लाई की गयी और उनका लदान किया गया।

(ग) 5-4-78 को केवल 18 टंकी माल डिब्बों की मांग बकाया थी जिनकी सबसे पुरानी पंजीकरण की तारीख 23-3-78 थी। इन मांगों को भी पूरा किया जा रहा है।

दिल्ली डिवीजन में असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों का चयन

6393. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 में उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में 455-700 रुपए के ग्रेड हेतु मौखिक चयन में कुछ कनिष्ठतम असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को असाधारण रिपोर्ट दी गई थी;

(ख) क्या मौखिक परीक्षा द्वारा ऐसा चयन वैध है तथा अन्य रेलवे डिवीजनों में ऐसी परीक्षा ली गयी थी;

(ग) क्या आपातस्थिति के दौरान किए गए ऐसे चयन को रेलवे प्रशासन न्यायोचित ठहरा रहा है; और

(घ) क्या रिक्त पदों को भरने के लिए पैनल बनाया गया था और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1977 में, 455-700 रु० (संशोधित वेतनमान) के ग्रेड में सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए किए गए प्रवरणों में दिल्ली मंडल के चार सहायक स्टेशन मास्टरों को "असाधारण" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

(ख) ग्रेड बढ़ाने के आदेशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सभी मंडलों पर मौखिक परीक्षा के आधार पर ये प्रवरण किए गये थे।

(ग) ये प्रवरण ठीक ढंग से तथा नियमों और आदेशों के अनुसार आयोजित किए गये थे।

(घ) जी हां।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

6394. **श्री मही लाल :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने लखनऊ में पिछड़ी जातियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते समय अपने भाषण में आश्वासन दिया था कि उनके मंत्रालय तथा सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को उन्हीं समुदायों से भरा जायेगा और जब तक कि आरक्षित कोटे के पदों को नहीं भरा जाता तब तक इन समुदायों के व्यक्तियों से 50 प्रतिशत पदों को भरा जायेगा;

(ख) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन में मार्केटिंग डिवीजन, रिफाइनरी और पाइपलाइन डिवीजन में और चेयरमैन के कार्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण के बारे में एक पृथक रोस्टर रखा जाता है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के कैबिनेट सेक्रेटेरियेट के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71—ई० एस० टी० (एस सी टी) में निहित पदोन्नति में आरक्षण के उपबन्धों को उनके मंत्रालय के उपक्रमों में सामान्य रूप से तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन के सभी डिवीजनों/विभागों में विशेष रूप से किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस मंत्रालय के सभी उपक्रमों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन के सभी प्रभागों द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निदेशात्मक सिद्धान्तों के अनुसार अलग से रजिस्टर रखे जा रहे हैं।

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन में गुणों एवं प्रवरता के आधार पर पदोन्नति (प्रवरण द्वारा पदोन्नति) की जाती है और इस संबंध में राष्ट्रपति के निदेशात्मक सिद्धान्तों को 27-1-1978 से लागू किया गया था। जहाँ कहीं पदोन्नतियां उपयुक्त पाये जाने पर वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। इस सम्बन्ध में 1971 और 1975 वर्ष के राष्ट्रपति के निदेशात्मक सिद्धान्तों का पालन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा किया जाता है। अन्य उपक्रमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लि० के बन्द होने के कारण

6395. **श्री भगत राम :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लि० और इसकी सभी यूनिटों तथा बिक्री कार्यालयों को इसके प्रबन्धकों द्वारा बन्द किए जाने का पता है;

(ख) इसके बन्द होने के क्या कारण हैं तथा इस फर्म में नियुक्त हजारों श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लि० को कुछ जीवन रक्षक औषधियों आदि के उत्पादन के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है कि इस की आम जनता पर बुरा प्रभाव न पड़े?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह बताया गया है पश्चिम बंगाल की प्रार्थना पर प्रबन्धक द्वारा मैसर्स बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लि० का बन्द करने के प्रस्ताव को 20 अप्रैल 1978 तक आस्थगित किया गया है।

(ख) प्रबन्धक द्वारा कम्पनी के बन्द किये जाने का प्रस्ताव मुख्यतः कम्पनी के कार्यसंचालन लाभप्रद न होने के कारण था। दिनांक 2 मार्च 1978 को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि एक समिति गठित की जाए जो कम्पनी के वर्तमान मामलों की उत्तरदायी परिस्थितियों की पूर्णरूप से जांच करेगी।

(ग) कम्पनी सेरा और टीके सहित विभिन्न अनिवार्य प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों का निर्माण कर रही जिनका निर्माण अन्य एकके भी कर रही है।

(घ) जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

Shortage of Codine Phosphate

6396. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the acute shortage of codine Phosphate has created a crisis in the pharmaceutical industry in the country;

(b) the present production and requirement of the drug and medicines in the country; and

(c) the price of Codeine in the interstate market and that at which codeine is supplied to the drug manufacturers in the country ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir.

(b) A Statement indicating the availability and consumption of Codine Phosphate during the last 3 years is attached. This would reveal that the demand for this item is fully met.

(c) Government have fixed the prices of Codeine BP, Codeine Phosphate and Codeine Sulphate at Rs. 4214.00, Rs. 3371.00 and 3376.00 per kg. respectively as on 29th December, 1977 exclusive of Excise Duty and local taxes, if any. These are the prices to the drug manufacturers in the country, for indigenous production for internal sales.

Statement showing the Opening Balance, Manufacture, Import, Sale and Closing Balance of Codeine Phosphate during the year 1974-75 to 1976-77

Year	Opening balance Kgs.	Quantity mfrd. Kgs.	Quantity imported Kgs.	Total Kgs.	Quantity sold Kgs.	Closing balance Kgs.
1	2	3	4	5	6	7
1974-75 .	0.316	2493.600	3449.887	5943.803	5243.766	700.037
1975-76 .	700.037	2220.550	5229.565	8150.152	6794.936	1355.216
1976-77 . . .	1355.216	2925.250	1380.450	5660.916	5415.972	244.944

Reservation of Seats in Lok Sabha, Rajya Sabha and State Assemblies for Women

***6397. Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of seats in the Lok Sabha, Rajya Sabha and in the various State Legislatures held by women as compared to those held by men in the context that women constitute half of population of the country;

(b) whether Government consider it proper to reserve 30 per cent of these seats for women on the principle of providing them special opportunities;

(c) if so, whether Constitution will be amended for the purpose; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Two statements showing (I) the total number of seats in Parliament and State Legislatures and (II) the number of women members in Parliament and the State Legislatures, are laid on the Table of the House. The information in Statement II shows the position as on 31-3-78, except in respect of the Council of States where the number of women members shown in the Statement is uptodate as it includes those who have been elected at the biennial elections just concluded and the two bye-elections held along with the biennial elections.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The reservation of seats for women as suggested will not be consistent with democracy and is not necessitated by the objectives of the Constitution.

Statement showing the total number of seats allotted in Parliament and State Legisla ture s

S. No.	Name of State/ Union Territory	Total number of seats in the			
		Council of States	House of the People	Legislative Council	Legislative Assembly
1.	Andhra Pradesh . . .	18	42	90	294
2.	Assam	7	14	..	126
3.	Bihar	22	54	96	324
4.	Gujarat	11	26	..	182
5.	Haryana	5	10	..	90
6.	Himachal Pradesh . . .	3	4	..	68
7.	Jammu & Kashmir . .	4	6	36	76
8.	Karnataka	12	28	63	224
9.	Kerala	9	20	..	140
10.	Madhya Pradesh . . .	16	40	..	320
11.	Maharashtra	19	48	78	288
12.	Manipur	1	2	..	60
13.	Meghalaya	1	2	..	60
14.	Nagaland	1	1	..	60
15.	Orissa	10	21	..	147
16.	Punjab	7	13	..	117
17.	Rajasthan	10	25	..	200
18.	Sikkim	1	1	..	32
19.	Tamil Nadu	18	39	63	234
20.	Tripura	1	2	..	60
21.	Uttar Pradesh . . .	34	85	108	425
22.	West Bengal	16	42	..	294
23.	Andaman Nicobar Islands .	..	1	..	..
24.	Arunachal Pradesh . .	1	2	..	30
25.	Chandigarh	..	1	..	..
26.	Dadra & Nagar Haveli . .	..	1	..	..
27.	Delhi	3	7	..	..
28.	Goa, Daman & Diu . .	..	2	..	30
29.	Lakshadweep . . .	..	1	..	..
30.	Mizoram	1	1	..	30
31.	Pondicherry	1	1	..	30

Statement II

Statement showing number of women members in Parliament and State Legislatures

Sr. No.	Name of State/ Union Territory	Number of women members in				
		Council of States	House of the People	Legislative Assembly	Legislative Council	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
States :						
1.	Andhra Pradesh .	..	1	10	6	
2.	Assam . .	..	2	1	..	
3.	Bihar . .	2	..	13	9	

1	2	3	4	5	6	7
4.	Gujarat . .	1	1	3	..	
5.	Haryana . .	..	1	4	..	
6.	Himachal Pradesh	1	..	1	..	
7.	Jammu & Kashmir	..	2	1	1	
8.	Karnataka . .	1	1	7	6	
9.	Kerala . .	1		1	..	
10.	Madhya Pradesh	5	..	10	..	
11.	Maharashtra .	2	3	8	4	
12.	Manipur . .		..	..	..	
13.	Meghalaya .		..	1	..	
14.	Nagaland . .		1	..	..	
15.	Orissa . .	..	..	7	..	
16.	Punjab .	3	..	2		
17.	Rajasthan . .	1	..	8		
18.	Sikkim . .	..	..	1	..	
19.	Tamil Nadu .	1	2	2	2	
20.	Tripura . .	..	..	1	..	
21.	Uttar Pradesh .	1	3	10	7	
22.	West Bengal .	3	2	5	..	
	Total for States .	22	19	96	35	
	Union Territories :					
23.	Andaman & Nicobar Islands .	..				
24.	Arunachal Pradesh	..		..		
25.	Chandigarh .	..		..		
26.	Dadra & Nagar Haveli . .			..	..	
27.	Delhi . .			4	..	
28.	Goa, Daman & Diu . .			2		
29.	Lakshadweep			..		
30.	Mizoram .	..	..	..		
31.	Pondicherry	..	..	..	..	
	Total for Union Territories .	..	..	6	..	
	Nominated	1	..	..	..	
	Grand Total	23	29	102	35	

Registrars and Assistant Registrars in High Courts

†6398. **Shri Ramdhari Shastri :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) how the strength of Registrars and Additional Registrars in High Courts is fixed; and

(b) the number of posts of Registrars, Additional Registrars and Assistant Registrars sanctioned for each High Court in the country and how many of them are vacant at present ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) and (b) Appointments of officers and servants of a High Court are made by the Chief Justice of the High Court as provided for in article 229 of the Constitution. The expenditure on the officers of the High Courts is borne by the State Governments concerned. As such, the Government of India do not have any information about the number of posts of Registrars, Additional Registrars and Assistant Registrars sanctioned for each High Court in the country and those vacant at present.

राज्यों को मिट्टी के तेल के कोटे का विवरण

6399. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी देने वाले एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में प्रत्येक राज्य को मिट्टी के तेल का नियतन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों को और विशेषरूप से उड़ीसा राज्य को उपरोक्त अवधि में वस्तुतः कितनी मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं कि ग्रामीण जनसंख्या को और विषेश रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अपना कोटा नियमित रूप से मिले ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) 1977 के कलैण्डर वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों (उड़ीसा सहित) और केन्द्रशासित प्रदेशों को किया गया मिट्टी के तेल का आबंटन और उसी अवधि के दौरान वहाँ मिट्टी के तेल के वास्तविक विक्रय के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध)।

(ग) राज्य में मिट्टी के तेल का वास्तविक वितरण राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तेल कम्पनियाँ अपने एजेण्टों को मिट्टी के तेल की सप्लाई, राज्य सरकारों द्वारा दिये गये जिलावार कोटे के आधार पर करती है। ये एजेण्ट उत्पाद की सप्लाई, थोक विक्रता या फुटकर विक्रता को जिनको कि राज्य सरकारों ने बेचने के लिये लाइसेंस दिया है; करते हैं। तेल कम्पनियाँ, अपनी ओर से जन संख्या के सभी वर्गों की जरूरत को पूरी करने के लिये यथा समय मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई को सुनिश्चित करती है।

अनुबन्ध

1977 वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों (उड़ीसा सहित) और केन्द्र शासित प्रदेशों को किया गया मिट्टी के तेल का आबंटन और उसी अवधि के दौरान वहाँ मिट्टी के तेल वास्तविक विक्रय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण ।

प्रदेश	मिट्टी के तेल की आबंटित मात्रा (मी० टन में)	मिट्टी के तेल का विक्रय (मी० टनों में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	259123	254563
असम	126017	125217

1	2	3
बिहार	262379	181883
गजरात	311377	308368
हरियाणा	57308	58862
हिमाचल प्रदेश	11509	12134
जम्मू और कश्मीर	22705	19743
कर्नाटका . .	182261	185174
केरल .	115428	119551
मध्यप्रदेश .	169810	172913
महाराष्ट्र .	693349	695502
मणिपुर	7875	7882
मेघालय	6922	6654
उड़ीसा	69629	68441
नागालैंड	3778	3347
पंजाब	112900	115533
राजस्थान	97759	104270
सक्किम	3794	3002
तमिलनाडु	294097	287982
त्रिपुरा	11138	10944
उत्तर प्रदेश	335523	344512
पश्चिमी बंगाल .	312013	311603
केन्द्र शासित प्रदेश -		
अण्डमान .	727	848
अरुणाचल प्रदेश	945	1041
चण्डीगढ़ .	7880	7590
दादरा नगर हवेली	600	उपलब्ध नहीं
गोवा दमन और द्यू	11429	10581
दिल्ली .	85779	85011
मिजोरम	3045	2423
पाण्डीचेरी	4971	6220
अखिल भारत कुल योग	3522070	3511796

रेलवेज के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच वार्षिक बैठक

6400. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवेज के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में हुए वार्षिक सम्मेलन में भारतीय रेल प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच माल एवं पार्सलों के विनिमय को तेजी लाने के लिए प्रस्ताव के प्रति सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन कितने रेल डिब्बों का विनिमय किया जायेगा और इसकी प्रक्रिया संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ग) दोनों देशों के बीच पार्सल सेवा बदलने के बारे में क्या निर्णय दिया गया; और

(घ) अब तक कितना माल और पार्सल आपस में बदला गया और 1978-79 में कितना यातायात होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के रेलवे शिष्ट मंडलों के बीच दिसम्बर, 1977 में इस्लामाबाद में हुई वार्षिक समन्वय बैठक में दोनों देशों के बीच माल एवं पार्सलों के विनिमय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों पर पारस्परिक सहमति हुई:—

1. पाकिस्तान रेलवे ने भारत से प्रतिदिन 100 माल डिब्बे स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति दी थी बशर्ते कि लाहौर को प्राइवेट ट्रेड के लेखे में होने वाला यातायात प्रतिदिन 40 माल डिब्बों से अधिक न होने पाये।
2. भारत से पाकिस्तान को होने वाले लोहे एवं इस्पात के यातायात की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए दोनों पक्षों द्वारा इस बात पर सहमति प्रकट की गयी कि दोनों देशों के बीच बोगी ओपन फ्लैटों का आदान-प्रदान किया जायेगा।
3. थोक यातायात के संचलन के लिए पाकिस्तान रेलवे द्वारा टर्मिनलों का विशाखन करने के लिए सहमति प्रकट की गयी।
4. दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान होने योग्य माल डिब्बों की विशिष्टियों को शासित करने वाली प्रक्रिया तथा नियमों को सुप्रवाही बनाया गया ताकि और अधिक माल डिब्बों डिब्बों का आदान-प्रदान हो सके।
5. पार्सल यातायात के बढ़ते हुए रुख को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हुए कि अमृतसर तथा लाहौर के बीच एक दैनिक पार्सल गाड़ी चलायी जाये।
6. इस बात पर भी सहमति प्रकट की गयी कि लाहौर में कस्टम क्लियरेन्स के लिए प्रलेख भेजने से सम्बन्धित नियमों को सरल बनाया जाये।

(घ) दोनों देशों के बीच ढोये गये माल तथा पार्सल यातायात के आंकड़े नीचे दिये गये हैं:—

माल यातायात (माल डिब्बे)		पार्सल यातायात (पैकेजों की सं०)	
भारत से पाकिस्तान को	पाकिस्तान से भारत को	भारत से पाकिस्तान को	पाकिस्तान से भारत को
सितम्बर, 1976 से फरवरी, 78 तक	सितम्बर, 76 से फरवरी, 78 तक	अगस्त, 1976 से फरवरी, 1978 तक	अगस्त, 1976 से फरवरी, 1978 तक
11305	23	435513	871

1978-79 के दौरान यातायात में हुई अनुमानित वृद्धि के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

नीलगिरी एक्सप्रेस का रुकने का स्थान

6401. श्री आर० कोलनथाईवेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50 वर्ष पूर्व चलाई गई नीलगिरि एक्सप्रेस उर्फ ब्लू माउंटन एक्सप्रैस आरम्भ से ही संकारी दुर्ग पर रुकती रही है।

(ख) यदि हां, तो वापसी गाड़ी (मद्रास-कोयम्बटोर) कुछ समय से नियमित प्लेटफार्म पर न रुक कर नीचे धरातल वाले (लोअर लैबल) के प्लेटफार्म पर क्यों रुकती है;

(ग) नीचे धरातल वाले (लोअर लैवल) प्लेटफार्म पर इसका रुकना कब से शुरू हुआ था;

(घ) क्या सरकार को इस गाड़ी के नीचे धरातल वाले प्लेटफार्म पर रुकने से वृद्ध लोगों को होने वाली असुविधाओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इन असुविधाओं को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) उपलब्ध रिकार्ड से यह पता चलता है कि शंकरी दुर्ग पर यह गाड़ी दिसम्बर, 1946 से ठहरती रही है ।

(ख) और (ग) 14-6-1969 से अनंगुर-शंकरी दुर्ग--मावेलियालयम खण्ड में दोहरी लाइन हो जाने के पश्चात् 5 डाउन नीलगिरी एक्सप्रेस डाउन दिशा में पटरी--सतह वाले प्लेटफार्म पर और अप दिशा की गाड़ियां ऊंची सतह वाले अप प्लेरफार्म पर रुकती हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) डाउन एक्सप्रेस गाड़ी को ऊंची सतह वाले अप प्लेटफार्म पर लेना संरक्षा की दृष्टि से न तो परिचालनिक रूप में व्यावहारिक है और नही अभीष्ट । इस स्टेशन पर होने वाले यात्री यातायात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस समय पटरी की सतह वाले डाउन प्लेटफार्म को ऊंची सतह वाले में बदलने का कोई औचित्य नहीं है ।

निर्धारित दरों पर पोर्टर

6402. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि बड़े रेलवे स्टेशनों पर पोर्टर निर्धारित दरों पर सामान ले जाने के लिए इंकार कर देते हैं और अधिक दरों की मांग करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि कोई पोर्टर विशेष एक बार सामान को छू लेता है तो उनकी बिरादरी का कोई अन्य व्यक्ति इस सामान को फिर नहीं लेता और यात्रियों विशेष रूप से महिलाओं के पास अधिक दरों पर सहमत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है; और

(ग) यदि हां, तो यात्री-पोर्टर संबंधों के बेहतर बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंस धारी भारिकों द्वारा यात्रियों से अधिक पैसे लेने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें रेल प्रशासनों को प्राप्त हुई हैं, जब शिकायतें प्राप्त होती हैं तब ऐसे लाइसेंसधारी भारिकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) ये अनुदेश पहले से ही है कि रेल प्रशासन द्वारा भारिकों की मजदूरी की अनुमोदित दरें यात्रा करने वाली जनता की सूचना के लिए प्रत्येक स्टेशन पर सुस्पष्ट रूप से नोटिस बोर्डों पर दिखायी जायें। इसके अलावा, प्रत्येक भारित की वर्दी पर दरें सुस्पष्ट अंकित होनी चाहिए और जहां कहीं सार्व-

जनिक उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था है वहां अलग-अलग स्टेशन पर भारिकों की मजदूरी की अनुमोदित दरों के सम्बन्ध में यात्रियों को जानकारी देने के लिए उद्घोषणा की जाती है, रेलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन अनुदेशों का ईमानदारी से पालन किया जाए और इस सम्बन्ध में यात्रियों से प्राप्त शिकायतों पर अविलम्ब कार्रवाई करें जिससे ऐसी शिकायतों की नौबत न आये।

रेलवे बुकिंग कार्यालयों में आरक्षण

6403. **श्री रामकंवर बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली/नई दिल्ली/संसद भवन बुकिंग कार्यालयों द्वारा किये गये आरक्षण कन्डक्टरों द्वारा वास्तविक यात्रियों के नाम काट कर अन्य यात्रियों को दे दिये जाते हैं जबकि वास्तविक यात्री भी उसी रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं और उनके नाम चार्ट में भी लिखे होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : 1-1-77 से 31-3-1978 के दौरान इस प्रकार की दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) और (ग) इन दोनों मामलों में से एक में कन्डक्टर चार्ट में पार्टी का नाम शीघ्रता से नहीं ढूंढ पाया था और पार्टी को होने वाली असुविधा और विलम्ब को रोकने के लिए उसने गाड़ी में उपलब्ध अन्य स्थान आबंटित कर दिया था। सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध लापरवाही और शीघ्रता से कार्य न कर पाने के लिए कार्रवाई की गयी है।

दूसरे मामले में शिकायत की गयी अनियमितता को पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता है। मामले की और अधिक जांच की जा रही है किसी अनियमितता का पता चलने पर उचित निरोधक कार्रवाई की जायेगी।

महत्वपूर्ण स्टेशनों के आरक्षण व बुकिंग कार्यालयो तथा महत्वपूर्ण गाड़ियों में अधिकारियों, धोखाधड़ी विरोधी दस्तों तथा सतर्कता संगठनों द्वारा भ्रष्ट तरीकों तथा असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और पकड़ी जाने वाली अनियमितताओं के मामलों में उचित कार्रवाई की जाती है।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा उड़ीसा में संयुक्त क्षेत्र में ड्रग्स फार्मूलेशन-एव फाइटो कैमिकल यूनिट की स्थापना

6404. **श्री वैरागीजेना :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० का आई० पी० आई० सी० ओ० एल० के साथ मिल कर उड़ीसा में संयुक्त क्षेत्र में ड्रग्स फार्मूलेशन एवं फाइटो कैमिकल्स यूनिट की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स लि० ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किया है या नहीं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं तो व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) संभाव्यता रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है क्योंकि दवाइयों के पौधों की संख्या और उपलब्धता, उनमें सक्रिय तत्वों की मात्रा, सक्रिय तत्वों को निकालने की लागत और उनकी मांग तथा उड़ीसा में औषध सूत्रयोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पाद-मिश्रण के बारे में, अभी निर्णय लिया जाना है। सक्रिय तत्वों को निकालना ही प्रौद्योगिकी का मूल पहलू है जो आई० डी० पी० एल० के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह उनके लिये एक नया नाम है। उपरोक्त सभी पैरामीटरों का समाधान हो जाने के बाद ही सभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्ति

6405. श्री वयलर रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से अब तक रेल दुर्घटनाओं के कारण कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए ?

(ख) दोनों श्रेणियों की ओर से कुल कितने दावे प्राप्त हुए तथा उनका भुगतान किया गया; और

(ग) कितने दावे विचाराधीन पड़े हैं तथा उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) : 1-3-77 से 31-3-78 की अवधि में रेल दुर्घटनाओं में 185 यात्री मारे गये तथा 490 हताहत हुए थे।

(ख) मार्च, 1977 से मार्च 1978 तक की अवधि में भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत रेल दुर्घटनाओं में शिकार हुए व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों से 175 मृत व्यक्तियों और 212 हताहत व्यक्तियों के सम्बन्ध में 387 दावे प्राप्त हुए थे जिनमें से मृत व्यक्तियों के 76 और हताहत व्यक्तियों के 6 अर्थात् 82 दावों का निपटारा किया जा चुका है और उनके दावेदारों को 15.99 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) शेष 305 दावे, तदर्थ दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों की अदालतों में निपटारे के लिए पड़े हैं, तथा अदालत के निर्णय के आधार पर रेल प्रशासनों द्वारा भुगतान की व्यवस्था अविलम्ब कर दी जायेगी।

Comparative Study of Pay and Allowances in Companies

6406. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made any comparative study of the pay and allowances and other emoluments paid to the employees of public undertakings, the companies in the private sector fully owned by Indians and the foreign owned companies operating in the country; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) and (b) This Department has not conducted any formal study of the salary structures of different categories of employees in Public and Private Sectors. However, a comparative study of maximum remuneration in public and private sectors reveals that the remuneration payable to the top executives of Private Sector are substantially higher than those in the Public Sector. In Public Sector, remuneration of top executives is governed by administrative instructions issued by Bureau of Public Enterprises or the respective State Governments. As per instructions of B.P.E., the salary payable to top executives is restricted to a maximum of Rs. 4,000 per month besides normal benefits of Provident Fund, Gratuity etc.

In respect of Public Limited Companies and Private Limited Companies, which are subsidiaries of Public Companies, under the existing guidelines—the Managing/Whole time Directors may be paid a maximum remuneration consisting of a salary of Rs. 7,500/- per month plus Commission on net profits upto a maximum of Rs. 45,000/- per annum besides per quisites at substantially higher levels than those admissible to public sector executives.

श्रमिक संघों में पारस्परिक वैमनस्यता के कारण हड़ताल

5407. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि श्रमिक संघों की पारस्परिक वैमनस्यता से 1978 के मध्य में अन्य बड़ी रेल हड़ताल हो सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल हड़ताल को टालने के लिये सरकार के क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां

(ख) एक फेडरेशन जिसके साथ रेल कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियनों का एक दल सम्बद्ध है, की कार्य-कारिणी ने अपनी सम्बद्ध यूनियनों से कहा है कि वे हड़ताल के संबंध में मतपत्र द्वारा किये गये फैसले की अभिपुष्टि करने के लिए अपने अपने संविधान के अनुसार उपयुक्त निकायों की बैठकें आयोजित करें और यह काम अप्रैल 1978 के अन्त तक पूरा कर लें।

एक अन्य फेडरेशन, जिसके साथ मान्यता प्राप्त यूनियनों का एक अन्य दल सम्बद्ध है, की सामान्य परिषद् ने अपनी सम्बद्ध यूनियनों से कहा है कि आम हड़ताल से संबंधित प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिए मार्च, 1978 के अन्त तक बैठकों का आयोजन करें और फेडरेशन की सामान्य परिषद्/कार्य-कारिणी के विचारार्थ विशिष्ट सिफारिशों को प्रस्तुत करें कि किस किस्म का संघर्ष करना है ताकि हड़ताल के लिए मत-पत्र द्वारा विनिश्चय करने की कोई तारीख निश्चित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि अन्य यूनियनों ने भी सीधी कार्रवाई आदि करने के लिये संकल्प पारित किये हैं।

दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और उठाये गये विभिन्न-मद्दों के संबंध में सरकार के पक्ष को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर दिया गया है अनेक मुद्दों में विनिश्च कर लिये गये हैं और उनकी घोषणा कर दी गयी है।

रेल मंत्री महोदय ने कुछ संसद सदस्यों तथा कर्मचारियों के कुछ अन्य प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया है।

सरकार इस बात पर निगाह रखे हुए है और यह आश्वासन देना चाहती है कि विचार-विमर्श तथा बातचीत के द्वार हर समय खुले हैं। सरकार यह मानकर कि हड़ताल हो ही जायेगी; इस प्रश्न पर अभी से कोई पूर्व निर्णय करना नहीं चाहती।

गुजरात में छोटी लाइन

6408. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण गुजरात राज्य में सभी छोटी लाइनों का मुख्य ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) क्या उक्त छोटी लाइनों को क्रमिक रूप से मीटर गेज लाइनों या बड़ी लाइनों में बदलने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस समय वहां जो लाइनें बदली जा रही हैं उनके बारे में पूरा विवरण क्या हैं; **श्रौर**

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) गुजरात में स्थित छोटी लाइनों की सूची संलग्न है। श्रामान परिवर्तन परियोजना को तब शुरू किया जाता है जब कोई खण्ड संतृप्त हो जाये श्रौर श्रतिरिक्त यातायात सम्हालने में श्रक्षम हो जाये या श्रन्तर्ग्रस्त यानान्तरण विफ यती न रहेगा बिल्कुल व्यावहारिक न रहे या विकास की संभावनाश्रों वाले क्षेत्रों के लिए यातायात के द्रुत श्रौर निर्बाध साधनों के लिए इसकी श्रावश्यकता हो। गुजरात में 44.64 किलोमीटर लम्बे नडियाड-कपड़वंज खण्ड को 1978-79 के बजट में श्रामान परिवर्तन के लिए शामिल कर लिया गया है इसकी श्रनुमानित लागत 4.05 करोड़ रुपये है। यह नडियाद से मोडसा (105.14 किलोमीटर) नयी बड़ी लाइन निर्माण परियोजना का एक भाग है जिस पर 9.43 करोड़ रुपये खर्च श्राने का श्रनुमान है 1978-79 के दौरान नडियाद कपड़वंज खण्ड के श्रामान पविर्तन पर 10 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

श्रलाभप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप छोटा उदयपुर-प्रतापनगर श्रौर छछापुरा-टनखाला छोटी लाइन खण्डों को वित्तीय सक्षमता ब्रढ़ाने के उद्देश्य से, नवम्बर, 1970 में इन खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए, यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के श्रनुसार वर्तमान छोटी लाइन के ये खण्ड निकट भविष्य में भी यात्री श्रौर माल यातायात की श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने के लिए सक्षम है। इस खण्ड के यातायात के घनत्व श्रौर कर्षण की लागत को देखते हुए छोटी लाइन के इन खण्डों के श्रामान परिवर्तन का श्रौचित्य नहीं है।

श्रंकलेश्वर-राजपिपला छोटी लाइन के श्रामान परिवर्तन के सम्बन्ध में हाल ही में जांच की गयी है जिसमें उस क्षेत्र में स्थिति प्रस्तावित नदी घाटी परियोजनाश्रों के निर्माण के समय होने वाले यातायात श्रौर इन परियोजनाश्रों के निर्माण के बाद होने वाले यातायात को भी ध्यान में रखा गया था। यह पाया गया कि इस परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपये लागत श्रायेगी श्रौर यह श्रर्थक्षम नहीं होगी वर्तमान छोटी लाइन इन परियोजनाश्रों के यातायात को ढोने में सक्षम है। श्रत. इसके श्रामान परिवर्तन पर फिलहाल, विचार नहीं किया जा रहा है।

शेष रेल लाइनों के श्रामान परिवर्तन के काम पर भी इव समय विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि संसाधनों की कमी है श्रौर यातायात की संभावनाएं सीमित हैं।

गुजरात में राज्य में स्थित पश्चिम रेलवे की श्रलाभप्रद शाखा लाइनों की सूची

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	लम्बाई किलो-मीटरों में	खोले जाने का वर्ष
1	2	3	4
1.	छुछापुरा–टनखाना	38	1923
2.	कोसाम्बा–उमरपाडा	62	1912/1929
3.	झगड़िया–नेत्रंग	31	1932
4.	चोरांदा–मोतीकोरल	19	1921
5.	सामनी दहेज	39	1930

1	2	3	4
6.	गोधरा–लोनावड़ा	41	1913
7.	पीपलोद–देवगढ़ बारिया	16	1929
8.	जोरावरनगर–सायला	27	1948
9.	चाम्पानेर–शिवराजपुर	49	1911
10	डभोई–टिम्बा रोड	100	1913-1919
11.	भरुच–जम्बूसर–कावी	76	1914/1929
12.	अंकलेश्वर–राजपिपला	63	1897–1917
13.	छोटा उदयपुर–जम्बूसर	150	1880/1917
14.	चान्दोह–मालसर	87	1879/1921
15.	नडियाड–कपड़वंज	45	1913
16.	बीलीमोरा–बघई	63	1914/1929
17.	नडियाद–पीज–भद्रण	58	1914/1953
18.	मोरवी–घांटिला	45	1904/1934
19.	भावनगर–तलाजा महुवा	109	1926/1936

कुछ कम्पनियों के उच्च प्रबन्ध संवर्गों के वेतन तथा भत्ते

6409 **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उच्च प्रबन्ध संवर्गों के वेतन-परिलब्धियों तथा भत्तों की अधिकतम सीमा क्या है;

(ख) क्या कम्पनी अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्ध का पालन किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि निम्नलिखित कम्पनियों के उच्च प्रबन्ध संवर्गों के वेतन परिलब्धिया तथा भत्ते वर्ष 1975, 1976 तथ 1977 के दौरान कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध बढ़ाये गये हैं; (एक) भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (दो) स्वदेशी पालिटैक्स लिमिटेड, (तीन) स्टर्न पैट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (चार) हैक्स्ट डाइड एण्ड कैमिका, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198, 309 व 387 में प्रबन्धकीय पारिश्रमिक पर अधिकतम सीमा से सम्बन्धित सुसंगत उपबन्ध है इस अधिनियम के कथित उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबन्धकों को वेतन, कमीशन, परिलब्धियों को मिलाकर परन्तु बैठक शुल्क को छोड़कर, दिया जाने वाला पारिश्रमिक कम्पनी के शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होता है। कम्पनी के सभी निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक (बैठक शुल्क को छोड़कर) पुनः कम्पनी के शुद्ध लाभ के 11 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होता है

ऊपर वर्णित अधिकतम सामायें, केवल केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकती हैं।

अधिनियम की धारा 314 (1ख) के अन्तर्गत, कम्पनी के कुछ ऐसे कार्यकारियों जो किसी निदेशक अथवा प्रबन्धकीय कम्पनी से संबंधित अथवा अन्यथा सम्बन्धित हो, को 3000 रु० मासिक से अधिक का पारिश्रमिक देने के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(ख) हां, श्रीमान जी।

(ग) तथा (घ) हां, श्रीमान जी। इस विभाग को ऊपर वर्णित चार कम्पनियों के प्रबन्धकीय कार्मिकों के वेतनों में सारवान वृद्धि से सम्बन्धित एक आरोप प्राप्त हुआ है। परीक्षा करने पर, यह पाया गया था कि ये अधिकतर कम्पनियों के कर्मचारियों की उपलब्धियों में वृद्धि से सम्बन्धित थे, जिनके लिये कम्पनी कार्य विभाग के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होती। तथापि, प्रश्न में निर्देशित चार कम्पनियों के बारे में, प्रबन्धकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिये कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुमोदनों के मामलों की एक सूची, विवरण के रूप में संलग्न है। इन वृद्धियों के लिये इस विभाग द्वारा उस समय अपनाये गये मार्गदर्शक नियमों के अनुसार, अनुमति प्रदान की गई है।

विवरण

(1) भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

29-5-1972 से 31-12-1975 तक की अवधि के लिये कम्पनी के समस्त निदेशकों के लिये, कम्पनी के शुद्ध लाभ का 1 प्रतिशत, जो 1,20,000 रु० प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक हो सकता था, स्वीकृत किया गया था। कम्पनी द्वारा अपील किये जाने पर विभाग के दिनांक 12 दिसम्बर 1972 के पत्र में, इस सीमा को कम्पनी के बढ़े हुये लाभ को दृष्टिगत रखते हुये, 1,50,000 रु० प्रतिवर्ष बढ़ा दिया गया। यह कमीशन कम्पनी के निदेशकों के बीच विभाज्य है जिनकी संख्या आवेदन पत्र देते समय आठ थी।

(2) सदर्न पैट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लि०

सदर्न पैट्रो-कैमीकल्स कारपोरेशन लि० के पूर्ण-कालिक निदेशक श्री आर० नरसिम्हन का वेतन 3500-250-5000 रु० के वेतनमान में 4000 रु० प्रतिमास से, 4500-500-6500 रु० के वेतनमान में, कम्पनी में उनकी वरिष्ठता को दृष्टि में रखते हुये इस विभाग के दिनांक 24 मार्च, 1972 के पत्र द्वारा 15 जलाई, 1974 से बढ़ा दिया गया था।

(3) हैक्स्ट डाईज एण्ड कैमिकल्स लि०

कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, श्री एफ०एस० रिपोर्टर का पारिश्रमिक, इस विभाग के दिनांक 12 अक्तूबर 1977 के पत्र द्वारा, उन्हें जब से 1 मई 1976 से पुनर्नियुक्त किये गये, तो वेतन के 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक कम्पनी के शुद्ध लाभ, पर 1 प्रतिशत कमीशन देकर बढ़ाया गया था।

Firms send Limestone to TISCO

6410. Shri Sharad Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of firms from which TISCO (Tatanagar) received rakes of limestone at Maihar, Kahangaon and Niwar (Central Railway) during the last seven years and the number of rakes received;

(b) the weight in each rake in the basis of which payment was made; and

(c) the weight in each rake for which freight were paid ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Employment in Mathura Refinery

6411. Shri Ramji Lal Suman : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilisers** be pleased to state :

(a) the number of workers working in Mathura refinery and the number of workers to be employed further;

(b) the percentage of local persons among these workers and the number of these proposed to be employed in future; and

(c) whether the aim of this refinery is to provide employment to local persons ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a), (b) and (c) Mathura Refinery being under construction bulk of employment is given by contractors engaged for the project. As per the terms and conditions of contract, each contractor has to take skilled and unskilled workers as available from the surrounding villages, preference being given to landlosers and their dependents. As on end February, 1978, the number of workers employed by the contractors was 3,929 of which 2,094 were local workers and 63 were landlosers. These constitute 54 per cent of the total labour force. Besides as on end February'78 the Project authority i.e. Indian Oil Corporation had employed 123 personnel comprising 47 officers and 76 workmen. Out of 76 workmen 22 have been transferred from other units of the Corporation. Of the 54 workmen recruited local representation is 51 i.e. 94%.

As per present indication total manpower requirement of Mathura Refinery on commissioning would be 1200. Various measures are being taken by Indian Oil Corporation to see that local persons are given preference for employment both at construction as well as operation stage.

Hours of Work for Gangmen

†6412. Shri Yuvraj : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Gangmen have to work up to 16 hours a day as the hours of their work have not been fixed ;

(b) whether the number of officers has been increased two to three times but the number of employees is still the same; and

(c) if so, when the hours of work of gangmen will be fixed and when the number of employees will be increased ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The hours of work of Gangmen of the Engineering Department on Railways have been fixed at 8 hours per day plus half an hour per day for doing preparatory and complementary work wherever they are required to do such work for a period of 15 minites and less than 45 minutes per day. If, however, they are required to do work in excess of this limit on any day in special circumstances, they are compensated by grant of overtime as admissible under the extent rules.

(b) The strength of officers as well as of staff is ordinarily determined with reference to the quantum of work involved. There has been hardly any increase in the strength of officers in the Civil Engineering Department on maintenance side in the last 6 years.

(c) Does not arise.

खोई हुई सम्पत्ति के कार्यालयों में पाई गई वस्तुओं की नीलामी

6413. **श्री यशवन्त बोरोले** . क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन वस्तुओं और सम्पत्ति की सार्वजनिक नीलामी से वसूल की गई राशि का कोई अनुमान लगाया गया है जो रेलवे के खोई हुई सम्पत्ति के कार्यालयों में पहुंच जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ग) नीलामी करने से पहले विज्ञापन करने का क्या तरीका है और वास्तविक मालिक की किस प्रकार तलाश की जाती है तथा उसके कितने समय बाद नीलामी की जाती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) . (क) और (ख) 1976-77 के दौरान लावरिस और सम्बद्ध माल आदि की नीलामी से 151.44 लाख रुपये की राशि वसूल की गयी थी।

(ग) नीलामी करने से पूर्व स्थानीय समाचार-पत्रों में जहां उपलब्ध हों, नीलामी की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 15 दिन पहले नीलामी से बिक्री की सूचना छपवा दी जाती है। जहां स्थानीय समाचार पत्र उपलब्ध न हों वहां स्टेशनों, माल गोदामों, स्टेशन प्लेटफार्मों, दूसरी श्रेणी के प्रतिक्षालयों आदि के सूचना पट्टों पर नोटिस लगा दिये जाते हैं। खोये मल के कार्यालय में प्राप्त पर्सलों/परेषणों को वहां खोला जाता है और इन वस्तुओं पर पाये गये पहचान-चिन्हों, पतों आदि, यदि कोई हों, के ही आधार पर मालिकों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है। जब इन परेषणों के मालिकाना-अधिकार स्थापित करना संभव नहीं होता है, तब 3 महीने के बाद उन्हें सर्वजनिक नीलामी द्वारा बेच दिया जाता है।

खोया पाया कार्यालय में पड़ा सोना, चांदी आदि

6414. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) रेलवे के खोया-सामान कार्यालय में कितनी राशि का सोना और चांदी तथा अन्य सामान पड़ा हुआ है ;

(ख) इस सामान का निपटान करने के लिये विभाग का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या खोये हुए सामान को वापस लेने के बारे में नियम इतने कष्टप्रद हैं कि जिन लोगों का सामान खो जाता है वे इन नियमों को देखते हुए उसे वापस नहीं ले जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संक्षिप्त रुप-रेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) . (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्लेटन मशीन

6416. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या **रेल** मंत्री कुर्सियांग रेलवे प्रेस में प्लेटन मशीनों के बारे में 29 नवम्बर 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच प्रतिवेदन पेश कर दिया गया हैं ; और

(ख) यदि हां तो प्रतिवेदन क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कायवाही की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 6-12-77 को समिति द्वारा जांच रिपोंट पहले ही प्रस्तुत कर दी गयी है।

(ख) समिति के निष्कर्षों से पता चला है कि कोई माननीय गलती नहीं हुई बल्कि ब्रेक में एकाएक यांत्रिकी खराबी पैदा हो गयी जिससे दुर्घटना हुई। पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन ने समिति के निष्कर्षों को मान लिया है और इस दुर्घटना के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है।

नकली स्नेहक पादर्थों के निर्माता

6417. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली स्ने क पदार्थों के गैर लाइसेंस शुदा निर्माताओं से निपटने के लिये वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड सहिता के अन्तंगत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए कड़ी कार्यवाही करें। मिलावट की समस्या स्नेहकों के दुरूपयोग की जांच करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ द्वारा सुझाये गये उपायों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ करने के अतिरिक्त सरकार ने सभी प्रमुख तेल कम्पनियों द्वारा स्नेहकों के वितरण के सम्बन्ध में एक आचार संहिता निर्धारित की है। फुटकर बिक्री केन्द्रों द्वारा स्नेहकों की बिक्री में कदाचार रोकने के उद्देश्य से तेल कम्पनियां अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों एजेंटों के यहां अचानक जांच करती है। तेल कम्पनियां से कहा गया है कि सभी प्रमुख उपभोक्ताओं को उत्तरोत्तर सीधा विक्रय किया जाये। नकली स्नेहकों के विक्रय को अधिक से अधिक कम करने के उद्देश्य से जो अन्य कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है वे निम्न प्रकार हैं:--

(1) स्वचालित तेलों, औद्योगिक तेलों ग्रीसों के सभी निर्माताओं के लिए आई एस आई मार्क का प्रयोग अनिवार्य करने का सरकार का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में आई एस आई तथा अन्य सम्बद्ध सगठनों की परामर्श से विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

(2) स्नेहक उत्पादन के लिए फीडस्टाक के आबटन पर और कड़ा नियंत्रण निर्धारित किया गया है। उद्देश्य यह है कि दिये गये फीड स्टाक का अन्तिम उत्पाद के उत्पादन से सम्बन्ध सुनिश्चित हो सके।

(3) तेल कम्पनियों से कहा गया है कि वे अपनी प्रक्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण को निबल होने से रोकने के लिये वे बिचौलियों को समाप्त करें और स्नेहक वितरण की एजेंसियों की बढ़ोतरी को रोकें।

(4) उपभोक्ताओं में और अधिक जागृति पैदा करने और इसमें हिस्सा लेने के लिए तेल कम्पनियों से एक वृहद् प्रचार अभियान चलाने के लिये कह दिया गया है।

(5) विशिष्ट रूप से प्रयुक्त स्नेहक तेलों के पुनः परिशोधन करने के क्रिया कलापों के स्वाभाविक रूप से एक प्रमुख साधन है अभी हाल ही में स्वय सेवी पुनः परिशोधन कर्ताओं के पंजीकरण करने हेतु एक योजना आरम्भ करने के लिये निर्णय लिये गये हैं जो मूल कोटि सम्बन्धी मानदण्ड को पूरा करते हैं और जिनके पास साफ करने के लिये गुणात्मक नियंत्रण सहित अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं।

3. नकली तेलों के उत्पादन की क्रिया कलापों को समाप्त करने के लिये वर्तमान कानूनों की पर्याप्ता के विशिष्ट पहलुओं सहित इस क्षेत्र में उन समस्याओं की गहराई का मूल्यांकन करने के लिए इस दिशा में इस समय एक उद्योग समूह व्यस्त है उनसे कह दिया गया है कि वे निश्चित और ठोस सुझाव मंत्रालय को प्रस्तुत करें ताकि उन्हें कार्यान्वित किया जा सके।

हाल्ट स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री और एकत्रीकरण

6418. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल्ट स्टेशनों पर रेल टिकटों की बिक्री और उन्हें एकत्र करने के लिए ठेकेदारों को कोई कमीशन दिया जाता है;

(ख) क्या ऐसे कार्य के लिए कोई सीमा निर्धारित गई है;

(ग) यदि हां, तो यह सीमा कितनी है;

(घ) क्या उन टिकट ठेकेदारों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है, जो अपनी ईमानदारी और प्रयास से काफी टिकट बेचते हैं और एकत्रित करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किस रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) ठेकेदारों द्वारा की गयी टिकटों की बिक्री पर प्रतिशत के रूप में कुल बिक्री का अधिकतम कमीशन 15 प्रतिशत तक दिया जाता है। दिया गया कमीशन किसी भी मामले में प्रतिमाह 75 रुपये से कम नहीं हो सकता और प्रतिमाह 300 रुपये की कमीशन एक उपयुक्त रकम के रूप में समझा जाता है यद्यपि यह अधिकतम सीमा नहीं है और अब एक ठेकेदार इससे अधिक भी उपार्जित कर सकता हैं। प्रतिशतता आधार पर कमीशन के भुगतान की यह प्रणाली स्वतः प्रोत्साहनपूरक हैं।

रेलवे प्रशासन के विरुद्ध दावे

6419. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1974-75 के दौरान हथकरघा कपड़े की 126 गांठों पीतल के माल की खेप तथा अन्य विविध वस्तुओं के खो जाने के कारण जो नयी दिल्ली स्टेशन पर ठीक पहुंच गई परन्तु बाद में उनकी 'बुक डिलीवरी' के बाद उन्हें गुम पाया गया रेलवे प्रशासन के विरूद्ध भारी दावे किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस इन हानियों की जांच का काम दिल्ली रेलवे पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो/प्रशासन के सतर्कता विभाग को नहीं सौंपा गया था; और

(ग) उन वर्षों के दौरान रेलवे प्रशासन के विरुद्ध कुल कितनी राशि के दावे किये गये और मुख्य पार्सल क्लर्क को, जिसे पहले उपरोक्त हानि के लिए निलम्बित किया गया था वहां से स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) इन मालों के खो जाने के सम्बन्ध में रेल सुरक्षा दल द्वारा जांच पड़ताल की गयी थी।

(ग) उन वर्षों के दौरान प्रशासन से हथकरघा के कपड़ों के लिए कुल 6,10,029 रुपये तथा पीतल के लिए कुल 1,94,257 रुपये के दावे किये गये थे।

मुख्य पार्सल क्लर्क नयी दिल्ली के विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत जांच हो रही है। उसको स्थानान्तरित करना विशेष रूप से इसलिए आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि जांच के बाद हथकरघे की कुछ गांठों के खो जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से तीन अन्य पार्सल क्लर्कों को जिम्मेदार ठहराया गया था।

आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन का ज्ञापन

6420. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1977 में फीरोजपुर डिवीजन की आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने सरकार को अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उन मांगों पर विचार कर लिया है तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Number of Porters at Railway Stations

*6421. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of porters at the railway stations zone-wise and the amount of their monthly licence fees as also the amenities provided to them by the Railways ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : The number of licenced porters working on each zone railway is as under :

Railways	No. of porters working
Central	4,064
Eastern	7,160
Northern	8,745
North Eastern	3,424
Northeast Frontier	1,998
Southern	2,875
South Central	2,697
South Eastern	3,632
Western	4,115
TOTAL	38,710

The licence fee paid by the porters ranges from Rs. 1 to Rs. 5 per porter per month depending upon the importance and traffic dealt with at each station.

The facilities generally available to licensed porters at stations are as under :—

(i) Free out-door treatment for self only at railway hospital/dispensary. Indoor medical treatment in a railway hospital in case a licensed porter sustains injuries while carrying passengers' luggage in the railway premises.

(ii) Such casual leave in a calandar year as may be allowed by the Station Master/ Superintendent.

(iii) Free use of Railway light trollies/hand barrows for carriage of passengers luggage.

(iv) Facilities such as waiting halls, latrines, canteens etc. provided at the station for use of II class bona fide passengers.

(v) Admission of their children in railway schools subject to the availability of seats.

(vi) Transference of his licence badge to a son or a near relative in case of old age or physical unfitness or death.

(vii) Free use of rest shelters wherever provided.

Claims against Railways

*6422. **Shri Nirmal Chandra Jain** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases in which claims were made against the Railways in 1977-78 indicating the amount thereof;

(b) the number of cases out of them, disposed of by the end of the year iudicating the amount involved therein ;

(c) whether Government propose to fix a time period for disposing of such cases; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) During the period from the beginning of April, 1977 upto the end of February, 1978 the number of new claims preferred against the Railways was 366092. In preferring claims the parties do not always specify the amount of claim.

(b) During the above period the number of ceses settled by payment was 154250 and the gross amount paid as compensation was Rs. 13.06 crores ;

(c) & (d). According to existing Instructions average time taken for settlement of a claim should not exceed 30 days. All efforts are being made to adhere to this target.

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्मारिका को दिए गए विज्ञापन

6423. **श्री समर गुह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति में अथवा इससे एक वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने एक स्मारिका प्रकाशित करने का उपबन्ध किया था;

(ख) क्या विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक कम्पनियों को उस स्मारिका के लिए लगभग दस हजार रुपयों के विज्ञापन देने के लिए पत्र जारी किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक कम्पनियों को किस नाम से पत्र जारी किये गये थे;

(घ) स्मारिका के लिए कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ङ) क्या एकत्र की गई धनराशि का उपयुक्त लेखा-जोखा रखा गया है इस बारे में तथ्य क्या हैं;

(च) क्या इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की है; और

(छ) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्ष क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (छ) पश्चिमी बंगाल कांग्रेस द्वारा स्मारिकाओं के प्रकाशन की बाबत कोई विशिष्ट जांच नहीं की गई है। परन्तु 1-1-74 से 31-3-77 तक की अवधि के मध्य, राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित स्मारिकाओं में, वृहद औद्योगिक घरानों से संबंधित सभी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों द्वारा, विज्ञापन प्रभारों के रूप में की गई अदायगियों की बाबत जांच की गई है। अब तक प्राप्त सूचना से प्रदर्शित हुआ है कि देश के अनेक राज्यों में पंजीकृत 1013 कम्पनियों ने, कांग्रेस दल तथा इसके अनेक संगठनों को इस प्रकार के विज्ञापनों के लिये लगभग 10 करोड़ रु० अदा किये हैं। यह भी योगनीय है कि इन आंकड़ों में कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल के पास पंजीकृत वे 188 कम्पनियां भी सम्मिलित है, जिन्होंने कुल मिलाकर इस प्रकार के विज्ञापनों के लिये लगभग 88.53 लाख रुपये दिये, जिसमें पश्चिमी बंगाल कांग्रेस को की गई कुल अदायगियां भी शामिल है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो पश्चिमी बंगाल प्रदेश कांग्रेस द्वारा स्मारिकाओं के लिये धन संग्रह करने की बाबत कोई अलग से जांच नहीं कर रही है।

कम्पनी सेक्रेटरीशिप के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम

6424. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के कम्पनी सेक्रेटरीशिप में दो वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा को (कम्पनी सेक्रेटरी) के लिए निर्धारित अर्हता न मानने के क्या विशेष कारण है जैसा कि इसी प्रकार के इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया, नई दिल्ली के मामले में किया गया है;

(ख) 25 लाख रुपये या इससे अधिक की प्रदत्त पूंजी और इस सीमा से कम पूंजी वाली कम्पनी में कम्पनी सेक्रेटरी की नियुक्ति में भेदभाव क्यों बढ़ता जाता है और सरकार इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है जबकि अर्हता प्राप्त कम्पनी सेक्रेटरी अभी तक बेरोजगार है; और

(ग) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार/दिल्ली प्रशासन/स्वायत्तशासी निकायों आदि के द्वारा चलाए जा रहे कम्पनी सेक्रेटरी के विभिन्न इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों को, तथा विशेषकर दिल्ली प्रशासन द्वारा कंम्पनी सेक्रेटरीशिप में दो वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम को जिन्हें पूर्ण मान्यता नहीं मिली है, जारी रखना आवश्यक है जिससे महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला कम्पनी सचिवीय का स्नातकोत्तर उपाधि पत्र कम्पनी (सचिव की योग्यता) नियम, 1975 के नियम 2(क) के अन्तर्गत भारत के कम्पनी सचिव संस्थान की सदस्यता के समकक्ष स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि कम्पनी सचिव की परीक्षा 1968 तक मूलतः कम्पनी कार्य विभाग द्वारा ली जाती थी जब सरकार द्वारा उक्त संस्थान स्थापित किया गया उक्त संस्थान की सदस्यता देने के पूर्व परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण जिसे कम्पनी सचिव नियम 1977 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। इसके सदस्यों को पूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया है। ताकि वे किसी औद्योगिक या व्यापारिक संस्थान में शीर्ष प्रशासक का कार्य कर सके। जैसा कि उक्त नियम के अध्याय 6 में बताया गया है संस्थान के पाठ्यक्रम में समस्त महत्वपूर्ण विषय जैसे व्यापारी कानून लेखा, अर्थशास्त्र कम्पनी कानून, एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा कानून, सचिवालय-व्यवहार, व्यापार प्रशासन और प्रबन्ध, कार्मिक प्रबन्ध, श्रम कानूनी और सम्बन्ध आदि शामिल है। सरकार समझती है कि इन सभी विषयों में अपेक्षित ज्ञान और अनुभव, जिसे एक कम्पनी के प्रशासक को जरूरत पड़ती है, सचिवालय व्यवहार संस्थान दिल्ली समेत किसी भी संस्थान द्वारा, जो कम्पनी सचिवीय उपाधि पत्र या स्नातकोत्तर उपाधि पत्र देता है, न ही दिया जा रहा है। यही खास कारण है जिसकी वजह से सरकार ने कम्पनी सचिव के संस्थान की सदस्यता को उक्त नियमों के नियम 2(क) के अन्तर्गत 25 लाख रुपये या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी की कम्पनियों में नियुक्ति के लिये वरीयता दी है।

(ख) वर्तमान व्यापार की जटिलताओं और अनेक कानून जिन्हें कम्पनी प्रबन्ध को पालन करना होता है के कारण मध्यम आधार और बड़े आकार की कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षित सचिवों पर निर्भर करना एक आम बात हो गई है। अतएव कम्पनी अधिनियम की धारा 383क के अन्तर्गत 25 लाख रुपये या उससे अधिक की कम्पनियों द्वारा पूर्ण कालिक सचिवों की नियुक्ति की अनिवार्य व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) यह दिल्ली प्रशासन/स्वायत/ संस्थानों पर हैं कि वे कम्पनी सचिव के लिए विविध परीक्षाओं को चालू रखे या न रखें। चूंकि भारत में कम्पनियों की संख्या वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उन विद्यार्थियों का केरियर जो इन परीक्षाओं को पास करते हैं कुप्रभावित न होगा।

Conversion of Manmad-Mudkhed Line

***6425. Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when the work of conversion of Manmad-Mudkhed railway line in Maharashtra into broad gauge line was undertaken;

(b) the total expenditure incurred on it, so far; and

(c) in case this work has not so far been undertaken the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) It had not been possible to start the work on the Manmad-Parbhani-Purli-Vaijnath conversion project so far due to limited availability of resources. Work on the Manmad-Aurangabad section of this project is now proposed to be taken up in the first phase during 1978-79, and an outlay of Rs. 25 lakhs has been provided for this purpose.

Survey for the conversion of Parbhani-Mudkhed section has been carried out at the cost of the Maharashtra State Govt. and the survey reports are under examination.

रेलवे अनुरक्षण वर्कशाप

6426. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रेलवे अनुरक्षण वर्कशापों में तकनीकी कर्मचारियों को एक अजीब तरह का रोग हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसकी सविस्तार जाँच करने और इसके कारणों का पता लगाने के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Modernisation of Sindri Fertilizer Plant

6427. **Shri Ram Sewak Hazari :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers**ebe pleaed to state :

(a) whether Sindri plants i s being modernised and if so, the details thereof;

(b) the cost involved therein and when this work is likely to be completed; and

(c) the extent to which production of fertilizers is likely to increase as a result thereof and how far this will help other concerns in getting new technique and information therefrom?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) to (c) Yes, Sir. The existing plant at Sindri, which is based on coke and coke oven gas as feedstock and on technology which is now obsolete, has outlived its useful economic life. To improve ammonia availability and thereby overcome the principal limitation to production at the existing plant a scheme of modernisation is being implemented there. This project envisages the setting up of a 900 tonnes per day ammonia plant based on partial oxidation of fuel oil. Six hundred tonnes per day of ammonia from this plant will be used in the manufacture of 1000 tonnes per day of urea in a new plant and the balance of ammonia will be used in the existing facilities for the production of ammonium sulphate.

The present estimated cost of the Sindri Modernisation project is Rs. 152.04 crores. The project which was originally expected to be mechanically completed by November, 1977 is now expected to be completed in May, 1978. The Modernisation scheme will not only maintain the supply of ammonia for the manufacture of ammonium sulphate in the existing facilities but will result in an additional fertilizer capacity of 1,29,000 tonnes per annum of nitrogen in the form of urea.

रेलवे कुलियों की संख्या

6428. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य, पश्चिमी दक्षिणी तथा पूर्वी रेलवे में कुल कितने रेलवे कुली और चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारी अस्थायी हैं;

(ख) इन कर्मचारियों की आज तक कुल मिलाकर अधिकतम और न्यूनतम सेवावधि कितनी हो गई है; और

(ग) यदि उनमें से किसी कर्मचारी की कुल मिलाकर तीन वर्ष की सेवावधि होती है तो क्या सरकार का विचार उनको स्थायी करने के लिए आदेश जारी करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गोहाटी और सिलचर के बीच सुरंगों का रख रखाव

6429. **श्री अहमद हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी और सिलचर के बीच विद्यमान (चालीस) सुरंगों और पुलों की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और रेलवे इस लाइन पर सुरक्षा (यात्रा) सुनिश्चित नहीं कर सकती है;

(ख) रेलवे ने गत दस वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन सुरंगों और पुलों के रख रखाव पर यदि कोई राशि खर्च की है तो वह कितनी है और गत दस वर्षों के दौरान इन सुरंगों आदि के पहरे पर कितनी राशि खर्च की गई तथा इस गोहाटी सिलचर मार्ग पर कितनी (ओंगाईगाँव) जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए समस्त सुरंगों और पुलों के पुनर्निर्माण में कितना धन लगेगा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वित्तीय पहलू को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड का विचार विद्यमान लाइन को बदलने का है और यदि हां तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) जहाँ तक इस लाइन का संबंध है पिछले और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने की सरकार की नीति के अंग के रूप में आगामी तीन वर्षों में इस मार्ग का आधुनिकीकरण करने हेतु सरकार के क्या प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं, सभी पुलों और सुरंगों का प्रति वर्ष विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और नियमित रूप से आवश्यक मरम्मत और अनुरक्षण का काम होता है। जहां आवश्यक समझा जाता है वहां कार्यक्रम के आधार पर पुलों को मजबूत करके उनका पुनर्निर्माण करने या दुबारा गर्डर लगाने का काम शुरु किया जाता है।

(ख) (1) सुरंगों और पुलों के अनुरक्षण पर किया गया अनुमानित खर्च इस प्रकार है :—

वर्ष	किया गया व्यय
1968-69	3.46 लाख
1969-70	3.36 लाख
1970-71	5.35 लाख
1971-72	1.66 लाख
1972-73	3.66 लाख
1973-74	5.43 लाख
1974-75	5.90 लाख
1975-76	7.55 लाख
1976-77	22.16 लाख
1977-78	40.74 लाख
	99.27 लाख रुपये

(2) गश्त पर किया गया अनुमानित खर्च इस प्रकार है :—

वर्ष	किया गया खर्च
1975-76	4.83 लाख
1976-77	4.83 लाख
1977-78	4.83 लाख
	14.49 लाख रुपये

(3) बिजनी (बोंगाईगांव) में हुई दुघटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :--

(1) रेल पल्ला डिटेक्टर द्वारा पटरियों का निरीक्षण और जिन पटरियों में आन्तरिक खराबी पायी जाये उनका बदलाव करना।

(2) पटरी के जोड़ों का स्नेहन करते समय पटरियों के सिरों का निरीक्षण और ऐसा निरीक्षण करते समय जिन पटरियों में खराबी पायी जाये उनका बदलाव।

(3) पटरी के जोड़ों के बीच विरलता का सर्वेक्षण और जहाँ आवश्यक हो पटरियों के बीच विरल स्थान का समायोजन।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वर्तमान पुलों और सुरंगों की हालत ऐसी नहीं है कि उनका बड़े पैमाने पर पुर्ननिर्माण किया जाये।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) अधिकतर गाड़ी सेवाओं में डीजल कर्षण लागू किया जा चुका है गुवाहटी और लमडिंग के बीच लम्बी झालित रेल पटरियाँ बिछाई जा रहीं हैं और नियमित शेवल पैकिंग जैसी संशोधित रेल पथ अनुरक्षण प्रणाली लागू की जा रही है लसडिगं और बदरपुर जंक्शन पर रूट रेले अन्तर्पाशन का काम स्वीकृत हो चुका है और काम चालू है, इसके अलावा लमडिंग और बदरपुर के बीच पहाड़ियों के खिसकने और फिसलने की घटनाओं की रोकथाम करने और कमी लाने के अनेक काम चालू हैं।

इंडियन आयल के अधिकारियों द्वारा हड़ताल

6430. डा० मुरली मनोहर जोशी
श्री लक्ष्मी नारायण नायक
श्री आर० के० महालगी
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री जी० एस० बनतवाला

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल के कोयले, गोहाटी, बरौनी तथा हाल्दिया स्थित तेल शोधक कारखाने में तथा महानगरों में स्थित एककों में लगभग दो सौ अधिकारी 22 मार्च, 1978 को 24 घण्टे की साँकेतिक हड़ताल करने वाले थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) और (ख) यह सच है कि इडियन आलय कारपोरेशन के अधिकारी संगठन द्वारा उठाये गये बोनस विशेष तेल भत्ता, सवारी भत्ता, मकान का किराया भत्ता आदि जैसी कुछ निश्चित मांगों को पूरा करवाने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन के 2069 अधिकारी जिसमें इंडियन आयल कारपोरेशन रिफाइनरी के 1029 अधिकारी भी शामिल हैं दिनांक 22 3-1978 को अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। इस संबंध में लोक सभा में ही 30-3-1978 को इस मंत्रालय के लिए अनुदान की माँग की चर्चा के दौरान सरकार की प्रतिक्रिया पहले ही सूचित कर दी गई है।

उर्वरकों की कीमत

6431. **श्री बी० पी० मण्डल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किसानों के उपयोग के लिए विभिन्न किस्मों के उर्वरकों को खुदरा में प्रतिटन किस कीमत पर बेचा जाता है;

(ख) उत्पादन पर प्रति टन कितनी लागत आती है; और

(ग) क्या लागत मूल्य लाभप्रद नहीं है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत हैं।

(ख) और (ग) उर्वरकों के उत्पादन की लागत एक संयंत्र से दूसरे संयंत्र में, पूंजीगत लागत संभरण सामग्री के प्रयोग, अंगूरी शराब, अपनाई जा रही प्रक्रिया, स्थान, उपयोगिताओं आदि की लागत, जैसे पहलुओं पर आधारित होने के कारण भिन्न-भिन्न है। भारत में उर्वरकों के उत्पादन की लागत की तुलना, यदि संयंत्र की अन्तर्राष्ट्रीय लागत, उपस्कर और निवेश के आधार पर की जाती है तो उसकी तुलना कहीं भी उत्पादन की लागत के साथ की जा सकती है। उद्योग की सुदृढ़ वृद्धि और व्यवदायर्ता को सुनिश्चित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब नाइट्रोजन युक्त उर्वरक निर्माण एककों के बारे में पृथक-पृथक मूल्य धारण पद्धति जारी की है जिसमें शुद्ध मूल्य पर कर के बाद 12 प्रतिशत की वसूली की व्यवस्था है बशते कि एकक 80 प्रतिशत तक की क्षमता पर कार्य करते हैं और निवेश, कच्चे माल, उपयोगिताओं आदि के बारे में स्थापित खपत मानदंडों की पूर्ती करते हैं।

विवरण-पत्र

(क) कानूनी नियंत्रित सीधे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के मूल्य :

उत्पाद का नाम	अधिकतम फुटकर मूल्य (रु० प्रति मीटरी टन)
यूरिया .	1550
अमोनियम सल्फेट . .	935
कैलशियम अमोनियम नीट्रेट	1015

(ख) उर्वरकों के मूल्य

(रुपये प्रति मीटरी टन)

कम्पनी का नाम	उत्पाद	अधिकतम फुटकर मूल्य
ई०आई०डी० पेरी ईनौर	16:20:0	1700
	18:9:0	1320
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर	19.5:19.5:0	1820
कम्पनी, बड़ौदा	18:46:0	2120* (*2210 गुजरात से बाहर)
कारोमंडल फर्टिलाइजर	28:28:0	2340
लि०, विजंग	14:35:14	2230
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिवज, कंडला	10:26:26	1890
	12:32:16	2090
	22:22:11	2100
	24:24:0	2080
मद्रास फर्टिलाइजर लि०	17:17:17	1810
	24:24:0	1950
	14:28:14	2045
	18:46:0	2210
जूरी एग्रो कैमिकल्स, गोआ	28:28:0	2340
	19:19:19	2020
	18:46:0	2210
फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रांवकोर लि०	16:20:0	1700
	20:20:0	1845
	28:28:0	2340
	17:17:17	1810
	18:46:0	2210
राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, ट्रोम्बे .	15:15:15	1520
	20:20:0	1760
सदर्न पेट्रोकैमिकल्स इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० . . .	14:14:14	1620
	18:46:0	2210

(ग) केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा सप्लाई किए गए आधारित उर्वरकों के मूल्य

उत्पाद का नाम	(मूल्य) रुपये प्रति मी० टन
अमोनियम सल्फेट नीट्रेट	1060
अमोनियम क्लोराइड	995
म्यूरेट आफ पोटाश :	
100 कि०ग्रा० पैकिंग	795
50 कि० ग्रा० पैकिंग	805
सल्फेट आफ पोटाश	1295
अमोनियम फास्फेट :	
20 : 20 : 0	1590
19 : 20 : 0	2030
डायमोनियम फास्फेट (18 : 46 : 0)	2210
मोनोमेनियम फास्फेट	2325
अमोनियम नीट्रो फास्फेट :	
20 : 20 : 0	1590
23 : 23 : 0	1760
26 : 14 : 0	1555
24 : 24 : 0	2045
एन०पी०के० :	
15 : 15 : 15	1520
14 : 14 : 14	1450
14 : 28 : 14	1855
10 : 26 : 26	2200
12 : 32 : 16	2350
14 : 36 : 12	2535
13 : 13 : 13	1340
12 : 24 : 12	1570
11 : 11 : 11	1150
17 : 17 : 17	1810
17 : 8 : 9	1190
20 : 10 : 10	1770
13 : 13 : 20	1905
17 : 17 : 16	2090

रेल गाड़ियों द्वारा माल का निर्यात

6432. श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों को रेलगाड़ियों द्वारा माल का निर्यात करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या इस मामले में उन से मंत्रणा की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन प्रस्तावों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) भारत अपने पड़ोसी देशों अर्थात् पाकिस्तान, बंगला देश तथा नेपाल को रेलों द्वारा सामान का निर्यात पहले से ही कर रहा है। रेल संचलन के लिए जब कभी किसी पड़ोसी देश के साथ करार पर हस्ताक्षर होते हैं, तो रेल मंत्री जी को भी सदैव अवगत कराया जाता है।

Brand of Wine Produced by Distillery at Ujjain

6433. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum , Chemicals and Fertilizers** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 172 on 21st February, 1978 regarding misuse of licences by distillery in Ujjain and state:

(a) the varieties of liquor produced by the distillery at Ujjain during the last ree years, year-wiseindicating the quantity of each brand;

(b) the price fixed by Government for the wine produced and the price at which the owners of the distillery sold it indicating the annual sale proceeds and the mode of sale; and

(c) whether the wine produced by the said distillery is sold in Ujjain District and ouiside Madhya Pradesh and what are the terms and conditions of the licence granted to them and the present stock of each brand of wine available there?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Only Mahua based spiritis produced in the Ujjain distillery. The production of Mahua spirit in the distillery during the last three years was as follows:—

1975-76	15,16,270 Proof Litres
1976-77	12,19,952 ,, ,,
1977-78	7,62,161 ,, ,,

(b) The price fixed by the Government of Madhya Pradesh for the Wine/Spirit produced and the price at which the owner sol d it to that Government is the same i.e. Rs. 1.70 per proof litre as the spirit is sold to the Government for issue to retailers. In the year 1977-78, spriit produced was 7.62 lakh proof litres, the price for which i s payable at Rs. 1.70 per proof litres by the Government of Madhya Pradesh. The Distiller transport the spirit to various Governments ware-house at his own cost from where the same is supplied to retail licensed venders after it has been reduced to the prescribed strength in ware-houses. The spirit produced in the distillery is sold exclusively to the State Government.

(c) Country spirit produced in the Ujjain Distillery is sold in the districts of Ujjain Mandsaur and Ratlam from 1-4-1978. No. country spirit is sold outside Madhya Pradesh. The terms and conditions of the licence called D-2 licence are as prescribed in the Distillery and Warehouse Rules framed under the provisions of the M.P. Excise Act, 1915 (11 of 1915). The present stock of spirit is 32.121 proof litres.

Catering Contracts.

6434. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 23 on 21st February, 1978 regarding catering contracts given to S.C. & S.T. and state :

(a) when 7 big and 176 small catering contracts were given in Rajkot Division on the Western Railway indicating the value thereof and the names in which these contracts have been given; and

(b) the number of contracts, out of them renewed indicating the number of times they were renewed, the number of those in respect of which names have been changed and the number of those cancelled during the last three years and when the cancelled contracts were given and in whose names and the number of those unexecuted at present?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

वैगनों की आवश्यकता

6435. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह अनुमान लगाया गया था कि रेलवे की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उसकी प्रति वर्ष वैगनों की आवश्यकता 20,000 वैगन होगी;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1976-77 में इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में आगामी वर्ष के लिए क्या संभावनाएं हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) पाँचवीं योजना के मसौदे में एक लाख माल-डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की व्यवस्था का विचार था जिसकी तुलना में रेलों की अन्तिम पाँचवीं योजना में केवल 54,337 माल-डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की व्यवस्था की गयी थी। 1976-77 की अवधि में 11981 माल-डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) प्राप्त किये गये थे। 1977-78 के दौरान, फरवरी, 1978 तक, 11039 माल-डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) प्राप्त किये गये थे। 1978-79 के दौरान, 10,000 माल-डिब्बों को प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

Electrification of Mathura-Gangapur Section

6436. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minisiter of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Goverment are conducting cost and feasibility survey for the electrification of Mathura -Gangapur City section Western Railway and if so, since when and when it is likely to be completed;

(b) the time within which the work is likely to be completed after the survey; and

(c) whether such survey is being conducted in any other sections in Rajasthan also also and if so, the names thereof in the State ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes. The work of cost-cum-feasibility survey for electrification of Mathura-Gangapur city section is included in the Budget for 1978-79. The estimate of the survey work is under consideration. The survey work will take about 6 months thereafter.

(b) It is not possible at this stage to indicate when the electrification of Mathura-Gangapur City section wil be taken up for execution.

(c) No.

प्लेटफार्मों की लम्बाई

6437. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे की गोमोह-बड़काखाना लाइन पर ऐसे कितने स्टेशन हैं जिनके प्लेटफार्म वहां पर आने वाली रेल गाड़ियों से छोटे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि प्लेटफार्मों की लम्बाई कम होने के कारण रात को गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है और इस बारे में जनता की ओर से अनेक बार शिकायत की जा चुकी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (ग) पूर्व रेलवे के गोमोह-बड़काराखाना लाइन पर 13 स्टेशन ऐसे हैं, जिन पर लम्बी गाड़ियों के ठहराव के लिए प्लेटफार्मों की अपेक्षित लम्बाइयाँ कम हैं।

यात्रियों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर समय-समय पर लम्बी गाड़ियाँ चलायी जा रही हैं। यद्यपि इसके साथ ही प्लेटफार्मों की लम्बाई बढ़ाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है, किन्तु इसके लिए आवश्यक भारी खर्च, सीमित संसाधनों तथा कभी-कभी तकनीकी कारणों से सदा ऐसा करना सम्भव नहीं हो पाया है। उपलब्ध संसाधनों के भीतर इन स्टेशनों पर निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर प्लेटफार्मों की लम्बाई बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

बगहा-गोरखपुर रेल लाइन

6438. **श्री ए० के० राय** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक नदी को पार करते हुए बगहा (पश्चिम चम्पारन, बिहार) को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के साथ रेल लाइन से जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को पूरी करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) क्या सरकार इस लाइन को महत्वपूर्ण समझती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) छितौनी और बगहा के बीच मीटर लाइन के पुनः स्थापन का काम अनुमोदित हो चुका है। इस लाइन का बगहा से बाल्मीकि नगर रोड तक का खंड 28-12-76 से माल यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस परियोजना पर अभी तक आगे काम शुरू करना सम्भव नहीं हो पाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के बीच गंडक पुल, जो इस परियोजना का एक भाग है, के नदी नियंत्रण कार्य की लागत के बंटवारे के सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त गंडक नदी ने पूर्व की ओर अपना मार्ग बदल दिया है जिससे पुल के स्थान और नदी नियंत्रण कार्य के अभिकल्प के सम्बन्ध में पुनः जाँच करना आवश्यक हो गया है और यह काम रेल प्रशासन के अनुरोध पर सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त मुद्दों पर अन्तिम निर्णय हो जाने पर ही इस परियोजना में आगे प्रगति की जा सकती है।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा किया गया कार्य

6439. **श्री पी० राज गोपाल नायडू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां तो वर्ष 1977-78 में उसने क्या कार्य किया ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) हां, श्रीमान्, जी।

(ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग की 1977 के वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें आयोग द्वारा 1977 के कलैण्डर वर्ष में किये गये कार्य का वर्णन होगा, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

न्यायालयों में मामलों का दो वर्ष के भीतर विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही

6440. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में यह घोषणा की थी कि सबसे निचले न्यायालयों में मामले के आरम्भ होने की तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय में उनके पहुंचने तक उनका दो वर्ष के भीतर विनिश्चय कर दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई योजना तैयार की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) सरकार चाहती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं कि कोई भी मामला निचले न्यायालय में उसके फाइल किए जाने से लेकर सबसे ऊपरी न्यायालय द्वारा उसके अन्तिम निपटारे तक बारह मास से अधिक समय तक लम्बित न रहे। ऐसी व्यवस्था तुरन्त सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है। कुछ समय पहले इस आशय के विचार प्रकट किए गए थे। मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके तारीख 31 दिसम्बर, 1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय में 21-12-1977 के पहले जो स्थान रिक्त थे उन्हें भर दिया गया है और 30-12-1977 को उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पूरी थी। तारीख 1-1-1978 को न्यायमूर्ति गोस्वामी के सेवानिवृत्त होने से जो स्थान रिक्त हुआ उसे भर दिया गया है।

(ii) उन उच्च न्यायालयों में भी जिनके सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तारीख 1-4-1977 से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह वृद्धि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में उन तारीखों से की गई है जिन तारीखों को वे पद भरे जाएंगे:—

मध्य प्रदेश . . .	अपर न्यायाधीशों के 6 अतिरिक्त पद
इलाहाबाद . .	अपर न्यायाधीशों के 6 अतिरिक्त पद
पटना . . .	अपर न्यायाधीशों के तीन अतिरिक्त पद
हिमाचल प्रदेश . .	अपर न्यायाधीश का एक अतिरिक्त पद
कर्नाटक .	स्थायी न्यायाधीश का एक अतिरिक्त पद और अपर न्यायाधीश का एक अतिरिक्त पद ।

(iii) उच्च न्यायालयों में काफी रिक्त स्थानों को भर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य प्राधिकारियों से प्रस्ताव मंगाने के लिए पहल की गई है और जहां कहीं आवश्यक था, सम्बद्ध राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों को स्मरण-पत्र भेजे गए हैं;

(iv) विलम्ब को कम करने का आम प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधिपति को कुछ उपाय प्रस्ताव तैयार करने के लिए भेज दिया गया है।

(v) विधि आयोग से भी बकाया मामलों की आम समस्या को सुलझाने के लिए उचित उपाय का सुझाव देने का अनुरोध किया गया है। आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है।

(vi) विभिन्न राज्यों की विधिज्ञ परिषदों और बार एसोसिएशनों को पत्र भेजे गए हैं जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे मामलों को शीघ्र निपटाने के कार्य में अपना सहयोग दें और उसके लिए अपने सुझाव भी दें।

(vii) मुख्य मंत्रियों का ध्यान अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित दाण्डिक मामलों की ओर आकर्षित किया गया है और उनसे इस समस्या को तुरन्त सुलझाने के लिए उपाय ढूंढने का अनुरोध किया गया है।

(viii) हाल ही में उच्चतम न्यायालय नियमों में संशोधन किया गया है जिससे कि उच्चतम न्यायालय में मामले शीघ्र निपटाए जा सकें।

डी बी सी टी नेमागून का उत्पादन

6441. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डी०बी०सी०टी०/निमागून का उत्पादन होता है, यदि हाँ, तो कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या उपरोक्त वस्तु का आयात किया जाता है, यदि हाँ तो कितना ; और

(ग) भारत में उक्त वस्तु के उत्पादक कौन हैं और क्या डी०बी०सी०टी०/निमागून का सरकारी क्षेत्र में उत्पादन होता है या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) डी०बी०सी०पी० /निमागून तकनीकी का निर्माण देश में नहीं होता है।

(ख) और (ग) इस कीटनाशी की नगण्य मात्राएं आयातित की जा रही थी। परन्तु यू०एस०ए० में इसके उपयोग पर लगाये गये प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए कीमीनाशी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय कीमीनाशी बोर्ड ने नवम्बर, 1977 में विस्तृत वैज्ञानिक जाँच किये जाने तक इसका प्रयोग तथा आयात अस्थगित किया है क्योंकि नवम्बर, 1977 से अब तक विस्तृत वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत परिवर्तन

6442. **श्री सरत कार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 17, 18 तथा 19 के अन्तर्गत उद्देश्य खंड अथवा पंजीकृत कार्यालयों के स्थान में परिवर्तन सम्बन्धी कुल कितने मामले हैं;

(ख) शेयर जारी करने सम्बन्धी धाराओं के अन्तर्गत उक्त अवधि में कम मूल्य पर शेयर जारी करने के कुल कितने मामले हैं;

(ग) उक्त अवधि में रजिस्टर आफ चार्ज में सुधार के बारे में धारा 141 के अन्तर्गत कुल कितने मामले हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में सामान्य बैठक बुलाने के बारे में धारा 186 के अन्तर्गत कुल कितने मामले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) 1975 के वर्ष में 203, 1976 के वर्ष में 203 तथा 1977 के वर्ष में 239।

(ख) कोई नहीं।

(ग) 1975 के वर्ष में 411, 1976 के वर्ष में 428 एवं 1977 के वर्ष में 444, तथा

(घ) 1975 के वर्ष में 2 तथा 1977 के वर्ष में 3।

आई० ए०पी०यू० गाड़ी का कथूनंगल पर रुकना

6443. **श्री दुर्गा चन्द : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर–जम्मू तवी सेक्शन पर आई०ए०पी०यू० गाड़ी कथूनंगल और चीरा पर नहीं रुकती है जिससे यात्रियों, विशेषकर कारखाना श्रमिकों को भारी कठिनाई होती है :

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस आशय का कोई अभ्यावेदन महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे और मंडल अधीक्षक फिरोजपुर को दिया गया था;

(घ) यदि हाँ तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या उत्तर रेलवे ने इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय/ए०पी० जे० से है। 1 ए०पी०जे० कथूनंगल तथा छीना स्टेशनों पर नहीं ठहरती है।

(ख) 1 ए०पी०जे० गाड़ी अमृतसर और जम्मू तवी के बीच तेज यात्री सेवा उपलब्ध करती है इसलिए इसका रास्ते के उन स्टेशनों पर ठहराव नहीं रखा गया जो महत्वपूर्ण नहीं है। यह गाड़ी कथूनंगल तथा छीना स्टेशनों सहित अमृतसर-पठानकोट खण्ड के 8 स्टेशनों पर नहीं ठहरती है।

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) 1 ए०पी०जे० गाड़ी को कथूनंगल तथा छीना स्टेशनों पर ठहराने के सम्बन्ध में जाँच की गयी हैं लेकिन न तो इसका औचित्य ही पाया गया और न ही परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिक है।

Stoppage of Kirti Express at Certain Stations

†6444. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of trains out of Porbandar-Mahasana (Kirti-Express) train No.s 35 and 36 Porbandar-Jetalsar train No.s 335 and 336 and Porbandar-Jetalsar trains No.s 337 and 338 which halt at Fareni, Dumiyani, Khabijaliya, Kotala-Bavishi, Tarsai, Rana-Bordi, Aditpara etc., railway station s while coming from Jetalsar to Porbandar in Saurashtra region of Gujarat;

(b) whether there is a public demand for a new train either from Jetalsar to Probandar or from Porbandar to Rajkot via Jetalsar with a view to provide facilities to people living at the said places and near by villages and if so, the time by which this train will be introduced; and

(c) the time by which old demand of public will be met for restarting train Nos. 335/336 which was withdrawn/cancelled either during 1973 or in 1974?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) 337 UP/338Dn. 338Dn. Porbandar-Jetalsar fast passenger trains are scheduled to stop at Aditpara, Rana Bordi, Tarsai and Khakhijaliya stations. 335/336 Dn. Porbandar-Jetalsar fast passenget trains are scheduled to stop at Kotada Bavishi and Khakhijaliya stations. 336 Dn. also stops at Fareni and Dumiyani. 35UP/36 Dn. Kirti Exporess do not stop at any of these stations.

(b) & (c) Yes. However, the occupation of existing services on Porbandar-Jetalsar/Rajkot section does not justify provision of an additional stopping service including by way of restoration of the previous 335/336 trains.

Stoppage of Veraval Verramgam and Somnath Mail Trains at Certain Stations.

†6445. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Miinister of **Raiwalys** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Veraval-Veeramgam and Somnath Mail Trains do not stop at Cho-ki-Sorath, Bandhnath, Badodar, Mesvan, Bhanduri and Adri-Road Railway Staions enroute Jetalsar to Veraval in Saurashtra region of Gujarat;

(b) if so, the reasons for which 349 Junagarh-Rajkot ,350 Rajkot-Jinagarh, 341 Junagarh-Rajkot and 342 Rajkot -Jinagarh fast trains are not extended from Junagarh to Veraval for the convenience of these small stations and adjoining villages; and

(c) when both these trains are likely to extended from Junagarh to Veraval for the convenience of passengers travelling from these stations and adjoing villages?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes, except that 23/24 Somnath Mail sotps at Choki Sorath.

(b) & (c) Analysis of the occupation of the existing stopping trains and the traffic offering at these stations has shown that there is not traffic justification for provision of an additional service for these stations.

आर० डी०एस०ओ० का भारतीय रेलवे का अंग होना

6446. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या आर० डी० एस० ओ० भारतीय रेलवे का अंग है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आर० डी० एस० ओ० केन्द्रीय विधान सभा द्वारा बनाये गये नियमों की शब्दावली के अर्थ के अनुसार एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है ; और

(घ) आर० डी० एस० ओ० की गतिविधियां क्या हैं और आर० डी० एस० ओ० किस प्रतिष्ठान उद्योग के लिए अथवा किस प्रयोजन के लिए कार्य करता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन रेल मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रयोजन के लिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एक "औद्योगिक स्थापना" नहीं है।

(घ) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रेलवे उपस्कर और सामान की विभिन्न मदों के संबंध में अनुसंधान अभिकल्प और मानकीकरण का काम करता है और रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय रेलों तथा रेल मंत्रालय के अधीन उत्पादन इकाइयों के लिए तकनीक के विभिन्न पहलुओं के संबंध में तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

6447. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर० डी० एस० ओ० में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 को लागू न करने के क्या कारण हैं और संसद द्वारा आर० डी० एस० ओ० को दी गई छूट का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 अनुसधान, अभिकल्प और मानक संगठन के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता क्योंकि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 3 (7) के साथ पठित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 2 (1) (एन) की परिभाषा के अनुसार वे "कर्मकार" नहीं हैं। संसद् द्वारा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी गयी है।

आर० डी० एस० ओ० की सेवा की शर्तें

6448. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल कर्मचारी वर्ग संहिता नियम पुस्तिका में ऐसे कोन से नियम हैं जो आर० डी० एस० ओ० में नियुक्त कामगरों पर लागू नहीं होते, और

(ख) इन नियमों के आर० डी० एस० ओ० कर्मचारियों पर लागू न होने तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन रेल मंत्रालय का एक संबंध कार्यालय है। इस संगठन के कर्मचारी भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग 1 और 2 तथा भारतीय रेल स्थापना नियमावली के संगत उपबन्धों द्वारा शासित होते हैं।

चूंकि अनुसधान, अभिकल्प और मानक संगठन रेल मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है और उसके कर्मचारियों के अपने अलग संवर्ग हैं, इसलिए क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन यूनिटों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को शासित करने के लिए विशिष्ट रूप से बनाये गये नियम, इस संगठन के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते।

डाक्टरी रूप से अयोग्य कर्मचारी

6449. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के डाक्टरी रूप में अयोग्य सभी रेलवे कर्मचारियों (नैमित्तिक श्रमिक) की दोबारा डाक्टरी परीक्षा के लिए समान रूप से विचार किया गया है अथवा कोई भेदभाव बरता गया है, और ;

(ख) यदि दोबारा डाक्टरी परीक्षा के लिए किन्हीं विशेष ग्रुपों पर विचार किया गया है तो वे कौन-कौन से हैं और अन्य ग्रुपों पर समान रूप से विचार क्यों नहीं किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल हड़ताल के पीड़ित

6450. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल हड़ताल के कारण पीड़ित रेल कर्मचारियों की संख्या क्या है और आपात स्थिति के दौरान पीड़ित ऐसे कितने रेल कर्मचारी है जिन्हें जोनवार, सेवा में ले लिया गया है और ऐसे कितने हैं, जिन्हें अभी तक सेवा में नहीं लिया गया है ;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : दो विवरण (मई, 1974 की हड़ताल के संबंध में अनुबंध 1 तथा आपात स्थिति के संबंध में अनुबंध 2 संलग्न है जिनमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

विवरण

ऐसे कर्मचारियों की बहाली जो बर्खास्त कर दिये गये, सेवा से हटा दिये गये तथा जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी

कुल, 16,898 कर्मचारियों में से, जो बर्खास्त कर दिये गये थे या सेवा से हटा दिये गये थे, या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयीं थी, 16 को छोड़कर समस्त कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है। 16 कर्मचारियों को काम पर वापस निम्नलिखित कारणों से नहीं लिय जा सका।

(1) आजीवन कारावास का दण्ड	–3 (मध्य–1) (द० पू०––2)
(2) हत्या के आरोप के कारण निलम्बित (न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने पर ही मामलों का अन्तिम निपटार किया जा सकेगा।)	––4(मध्य)
(3) मृत	––1(पू० सी०)
(4) पता ज्ञात नहीं है	––2(मध्य––1) (द० म०–1)
(5) काम पर उपस्थित नहीं हुए	––6(उत्तर––1) (पू० सी० ––5)

7. निलंबित कर्मचारियों को काम पर वापस लेना :

मई, 1974 की हड़ताल के सिलसिले में जो कुल 10,170 कर्मचारी निलंबित किये गये थे उनमें से मध्य रेलवे के 13 कर्मचारियों को छोड़कर जिनके विरुद्ध हत्या के आरोप में अदालत में मुकदमा चल रहा है, सभी कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है।

3. नैमतिक श्रमिकों ऐवजियों को काम पर वापस लेना

प्रारम्भ में कुल 24,570 नैमित्तिक श्रमिकों/ऐवजियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं थीं। इनमें से 472 को छोड़कर जिनके आंकड़े क्षेत्रवार नीचे दिये गये हैं, सभी को पुनः काम पर लगा दिया गया है :––

(1) जिनका पता ज्ञात नहीं है	110 (पूर्व––79) उत्तर––9, पश्चिम––22,
(2) जो मर चुके हैं	––54 (पूर्व––1) द० पू०––53

(3) जो काम पर उपस्थित नहीं हुए यद्यपि उन्हें इस संबंध में सूचित कर दिया गया था —304 (पूर्व—7 पूर्वोत्तर—34, द० म०—203, द० पू०—17, पश्चिम—43)

(4) मेडिकल कारणों से जिन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया —4 (दक्षिण पूर्व)

विवरण II

आपात स्थिति के दौरान 6,020 कर्मचारी बर्खास्त किये गये। सेवा से हटाये गये अथवा समय से पहले सेवा-निवृत्त कर दिये गये उनमें से 4,552 कर्मचारी काम पर वापस ले लिये गये हैं। जो कर्मचारी काम पर वापस नहीं लिये गये उनके क्षेत्रवार आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

रेलवे	जो समीक्षा के बाद काम पर वापस नहीं लिए गए उनकी संख्या	समीक्षाधीन मामलों की संख्या
मध्य	109	17
पूर्व	108	4
उत्तर	125	—
पूर्वोत्तर .	368	—
पूर्वोत्तर सीमा	40	10
दक्षिण .	64	33
दक्षिण मध्य	152	62
दक्षिण पूर्व	171	131
पश्चिम .	47	27
जोड़	1184	284

आर० डी० एस० ओ० में वापस किए गए पद

6451. **श्री रोबिन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे आर० डी० एस० ओ० में प्रत्येक वर्ग में कितने निम्न द अब तक वापस किए गए हैं और कितने उच्च पद बनाये गये हैं अपे किन-किन वर्गों में;

(ख) आर० डी० एस० ओ० के प्रबन्धवर्ग ने किस प्रकार और किस प्राधिकार से निम्नपद वापस कर दिए हैं और उच्च पद बनाये हैं ;

(ग) क्या राजपत्रित पदों आर मध्य वर्ती ग्रेड के सृजन हेतु पदों की समान वापसी अधिकारियों की मनमानी इच्छा के अनुसार हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रक्रिय से कितने पद किन-किन वर्गों और ग्रेड़ों में अब तक बनाये जा चुके हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) वास्तविक कार्यभार तथा कार्य के महत्व के आधार पर नियमों के अनुसार समुचित वित्तीय जांच तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निचले ग्रेड के पदों के स्थान पर ऊंचे ग्रेड के पदों का सृजन किया गया है।

विवरण

सृजित किये गये ऊंचे ग्रेड के पदों का ब्यौरा

अनुभाग । स्कंध । निदेशालय का नाम	ऊंचे दर्जे के सृजित पदों का ब्यौरा	नीचे दर्जे के अभ्यर्पित/आस्थागित पदों का ब्यौरा
इलैक्ट्रिकल डिजाइन	सीनियर डिजाइन असिस्टेंट 4 (रु० 650–960)	डिजाइन असिस्टेंट 'ए' 5 (रु० 550–750)
अनुसंधान निदेशालय का सिविल इंजीनियरिंग	चीफ रिसर्च असिस्टेंट 4 (रु० 650--960)	जूनियर रिसर्च असिस्टेंट 14 (रु० 425--700)
अनुसंधान स्कन्ध	सीनियर रिसर्च असिस्टेंट 10 (रु० 550--900)	लेबोरेट्री असिस्टेंट 8 (रु० 260--430)
अनुसंधान (बी० एण्ड एफ) स्कन्ध	इन्सपैक्टर आफ वर्क्स ग्रेड I 2 (रु० 700--900)	इन्सपैक्टर आफ वर्क्स ग्रेड II 3 (रु० 550--750)
मैटलर्जिकल तथा कैमिकल निदेशालय	चीफ रिसर्च असिस्टेंट 2 (रु० 650--960)	सीनियर रिसर्च असिस्टेंट 2 (रु० 550--900) जूनियर रिसर्च असिस्टेंट 1 (रु० 425--700)
क्लैरिकल (मिनिस्टिरीयल)	असिस्टेंट 101 (रु० 425--800)	एल० डी० सी० 19 (रु० 260--400)
सिगनल एंड टैलीकम्यूनिकेशन निदेशालय	सैक्शन आफिसर क्लास–II 1 (रु० 650--1200)	आसिस्टेंट इंचार्ज 1 (रु० 425--800 तथा 50 रुपये विशेष वेतन) एल० डी० सी० 1 (रु० 260--400)

आर० डी० एस० ओ० के कर्मचारी

6452. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम विधियों की वह पूर्ण सूची कौन सी है जो आर० डी० एस० ओ० में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन करना है; और

(ख) आर० डी० एस० ओ० में नियुक्त कर्मकारों की सेवा शर्तों के विनियमन के संबंध में कौनसी श्रम विधियां लागू नहीं होती ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) चूंकि अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एक "औद्योगिक स्थापना" नहीं है इसलिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें विभिन्न श्रम कानूनों द्वारा शासित नहीं होती। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन

के कर्मचारी भारतीय रेल स्थापना संहिता नियमावली में निहित संगत उपबंधों भर्ती नियमों और अन्य आदेशों, जो रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जाते हैं, द्वारा शासित होते हैं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

मंजूरी अदायगी अधिनियम, 1956

6453. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी अदायगी अधिनियम, 1956 आर० डी० एस० ओ० में नियुक्त व्यक्तियों को मजूरी की अदायगी को नियमित करने के लिए आर० डी० एम० ओ० में भी लागू है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) मजूरी अदायगी अधिनियम, 1956 की धारा 1 (4) के अधीन की गयी व्यवस्था को देखते हुए अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन के कर्मचारी उक्त अधिनियम से शासित नहीं होते क्योंकि इस धारा के अर्थानुसार अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एक रेलवे नहीं है।

नियमित घोषित किए गये नैमित्तिक श्रमिक

6454. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (अस्थायी रेल कर्मचारियों) का दर्जा पाने वाले सभी नैमित्तिक श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को नियमित घोषित किया जा चुका है और कितनों को अभी नियमित घोषित किया जाना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : दिसम्बर, 1969 में नैमित्तिक मजदूरों के लिए श्रेणी 4 में नियमित पदों को निर्धारित करने के बाद से 1.24 लाख नैमित्तिक मजदूरों को नियमित पदों पर नियुक्त किया जा चुका है।

पदोन्नति के लिए वरिष्ठता

6455. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में भविष्य में पदोन्नति की वरिष्ठता विशिष्ट पद पर स्थायी होने की तिथि से मानी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रेल विभाग में स्थायी किये जाने के बारे में समयबद्ध कार्यक्रम के अभाव में अनेक अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर मारे गये हैं तथा जूनियर अधिकारियों को (सेवा की अवधि की दृष्टि से) पदोन्नत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां तो इस त्रुटि को पूरा करने के लिए तथा स्थायीकरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) विभिन्न भारतीय रेल सेवाओं (श्रेणी I) में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख के आधार पर निश्चित की जाती है, जो सीधी भर्ती वाले अधिकारियों के मामले में वह तारीख होती है जिस तारीख से वे नियमित वेतन मान में वेतनवृद्धि प्राप्त करना आरम्भ करते हैं। ऐसे श्रेणी II के अधिकारियों और अस्थायी अधिकारियों के मामले में जो स्थायी तौर पर श्रेणी I में पदोन्नत हो जाते है, यह तारीख अधिकतम पांच वर्ष की सेवा का लाभ देकर निश्चित की जाती है जिसके लिए श्रेणी I में नियुक्ति के पहले उनके द्वारा की गयी सेवा का पचास प्रतिशत हिसाब में लिया जाता है।

(ख) और (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय अस्थायी सहायक अधिकारियों की पुष्टि से है। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार ये अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से चयन की एक रचनात्मक कार्यवाई द्वारा श्रेणी I में अस्थायी रूप से समाहित किये जाते हैं। इस प्रकार समाहित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गये वार्षिक कोटे के अनुसार ही होती है। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से हाल ही में इन अधिकारियों की पुष्टि का वार्षिक कोटा बढ़ा दिया है।

Production of Railway Engines.

†6456. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of railway engines manufactured in railway locomotive workshops between the period from 1965-66 to 1976-77 ;

(b) the total production of railway engines till 1965-66 vis-a-vis the present production;

(c) whether the Railways have failed to augment the engine manufacturing capacity;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) if not, the reasons for which the production capacity has not increased to the required extent ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Total number of railway engines manufactured in Chittaranjan Locomotive Works and Diesel Locomotive Works, Varanasi between the period from 1965-66 to 1976-76.

(i) Chittaranjan Locomotive Works , Chittaranjan.	
Steam Locomotive (Broad Gauge and Metre Gauge) .	507
Electric Locomotives (Broad Gauge) .	543
Diesel Shunters WDS-4 (Broad Gauge)	279
Diesel Locomotives (Narrow Gauge) . .	30
Total . .	1359
(ii) Diesel Locomotive Works, Varanasi.	
Diesel-Electric Locomotives (Broad Gauge) .	732
Diesel-Electric Locomotives (Metre Gauge)	182
Diesel-Electric Shunters WDS-5(Broad Gauge) .	21
Diesel-Electric Shunters WDS-6 (Broad Gauge) .	2
Power Packs and Generating Sets	26
O.B.O. Shunters .	5
Total	993

(b) Total production of railway engines till 1965-66 and vis-a-vis the present production (1977-78):

	Production till 1965-66	Present production during 1977-78
(i) Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan.		
Steam locos (BG & MC.) : 1981 . .	—	—
Electric Locos (B.G.) . .	82	59
Diesel Shunters WDS—4 (B.G.)	—	31
Diesel Locos Narrow Gauge .	—	—
Power Packs . . .	—	4
Total .	2063	94
(ii) Diesel Locomotive Works, Varanasi.		
Diesel-Electric Locos B.G.	61	91
Diesel-Electric Locos M.G. . .	—	19
Diesel-Electric Shunters WDS-6 B.G.	—	4
Power Packs & Generating Sets	—	26
Total	61	140

(c) No.

(d) Does not arise.

(e) Production of locomotives at Diesel Locomotive Works and Chittaranjan Locomotive Works is conditioned by the availability of funds from year to year from Planning Commission. The production capacity at Diesel Locomotive Works, Varanasi is being expanded to a level of 150 locomotives power packs per year.

Proposal to restrict 'Brand Names' in respect of Chemicals

6457. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government feel that because of 'brand names' of the Chemicals manufactured in the country, great difficulty is being experienced to market chemicals with new brand names but with same properties, which has become a problem for the factories in the country;

(b) if so, whether Government would impose restrictions on the use of 'brand names' of the commodities produced in the country; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Government have no information to the effect that any such difficulty is being experienced.

(b) and (c) Do not arise.

Gas Supply to Vadodra industries

6458. **Shri Motibhai R. Chaudhary :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Sertilizers** be pleased to state :

(a) the number of industries in Vadodra to which gas is being supplied by the Oil and Natural Gas Commission and since when gas is being supplied to them;

(b) whether the Oil and Natural Gas Commission has stated that these industries will be supplied gas only upto 31st March, 1978; and

(c) what will be the position of these industries if supply of gas to them is stopped in future ?

The Minister for Petroleom, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The ONGC is presently supplying gas to 12 industries in Vadodra from various dates since 1966.

(b) and(c) The position has since been reviewed by the ONGC and it has been decided to continue the supplies of gas to the existing industries at the present levels of consumption for a further period of one year from 1st April, 1978.

कोल कर्मशियल स्टाफ, धनबाद

6459. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल कर्मशियल स्टाफ धनबाद में पदोन्नति के अवसरों की सूची में बार-बार परिवर्तन किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ;

(ग) क्या इन बार-बार किये जाने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप इस लाइन के कर्मचारियों में से ही वेमैन इन्सपैक्टर का पद पदोन्नति के लिये बंचित हो गया है;

(घ) क्या यह सच नहीं है कि इस पद का सीधा संबंध कर्मशियल स्टाफ के नियमित कार्यों से है ;

(ङ) यदि हां, तो उनके लिये पदोन्नति के अवसर बन्द करते समय क्या ये अवसर दूसरों को उपलब्ध कराये गये हैं जो इस प्रकार के कार्यों से संबंधित नहीं है ; और

(च) क्या इस अभाव को दूर करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नरायण) : (क) से (च) पदोन्नति-मार्ग चार्ट को संगठित श्रमिकों के परामर्श से पहले मार्च, 1965 में तथा उसके बाद अगस्त, 1977 में संशोधित किया गया था। 1965 के पदोन्नति मार्ग चार्ज के अनुसार 425--640 रुपये के ग्रेड वाले प्रधान तौल लिपिकों के पास उसी ग्रेद में 330-560 रुपये के ग्रेड वाले कोयला ट्रेसरों के साथ-साथ पदोन्नतिमार्ग उपलब्ध था। कालान्तर में तुलाचौकी लिपिकों के सवर्ग में 455-700 रुपये के ग्रेड के मुख्य तौल लिपिक के तीन अतिरिक्त पद उपलब्ध हो गये। संवर्ग की पुन: संरचना के बाद जब तुलाचौकी लिपिकों के अनेक पद उपलब्ध हो गये, कोयला ट्रेसरों के लिए उच्चतर ग्रेड में कोई पद उपलब्ध नहीं थे। कोयला ट्रेसरों की पदोन्नति सरणि में सुधार करने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा प्रधान तौल लिपिक उच्चतर ग्रेड में होने के कारण तौल निरीक्षक के रूप में तैनात किये जाने के लिए वे अधिक लाभदायक स्थिति में थे। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए पदोन्नति मार्ग चार्ज को संशोधित करके उसमें से 425-640 रुपये के ग्रेड के प्रधान तौल लिपिकों को उसी ग्रेड में तौल निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति पाने के लिये पदोन्नति--सारणी से निकाल दिया गया। यह निर्णय मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ परामर्श करके किया गया है।

कटक में महानदी पुल पर पुनः गर्डर लगाने का काम

6460. **श्री पवित्र मोहन** प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक (उड़ीसा) में महानदी पुल में पुन: गर्डर लगाने का काम किस तिथि (मोटे तौर पर महीना तथा वर्ष) को आरम्भ हुआ ;

(ख) अब तक कितने गर्डर पुन: लगाए जा चुके हैं ;

(ग) अभी कितने गर्डर पुनः लगाए जाने हैं ;

(घ) पुनः गर्डर लगाने का काम कब तक (महीना तथा वर्ष) पूरा हो जाएगा; और

(ङ) क्या इस कार्य के लिए सहायक यंत्रों की सप्लाई में विलम्ब के कारण पुनः गर्डर लगाने के काम में रुकावट आई है, यदि हां तो सप्लाई ठेकेदार फर्मों अथवा कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जनवरी, 1976 में।

(ख) कुल 64 मेहराबों में से अब तक 44 मेहराबों पर फिर से गर्डर लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) 20 मेहराबों पर फिर से गर्डर लगाने का काम अभी शेष है।

(घ) आशा है कि फिर से गर्डर लगाने का काम दिसम्बर, 1980 के अन्त तक समाप्त हो जायेगा।

(ङ) मैसर्स ब्रेथवैट, बर्न एण्ड जैस्सप कम्पनी कलकत्ता द्वारा नये गर्डरों की सप्लाई में विलम्ब हुआ जिसके कारण पुनः गर्डर लगाने के काम को पूरा करने में बाधा पड़ी।

पुरी-तिरुपति एक्सप्रैस का रद्द किया जाना

6461. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी-तिरुपति एक्सप्रैस गाड़ी की गत नवम्बर से बिना उचित सूचना के रद्द किये जाने की उन्हें जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो गाड़ी को रद्द किये जाने के का क्या कारण हैं; और

(ग) इसके स्थान पर रेलवे ने क्या व्यवस्था की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में बाढ़ और तूफान के कारण 21-11-1977 से नं० 7918 पुरी-तिरुपति एक्सप्रैस रद्द कर दी गयी थी।

(ग) 12-2-1978 से इस गाड़ी को कोकीनाड़ा और विजयबाड़ा के बीच पुनः चला दिया गया था और 26-2-78 से इसे तिरुपति तक बढ़ा दिया गया था। 1-4-78 से इस गाड़ी को पुरी और तिरुपति के बीच फिर से चला दिया गया है।

रेलवे क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्रीड़ाओं को मान्यता दिया जाना

6462. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड ने किन भारतीय तथा विदेशी खेलों को मान्यता दी है तथा कब से दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खेल "खो खो" को मान्यताप्राप्त खेल सूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि यह एक राष्ट्रीय खेल है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सूची में "खो खो" को शामिल करने की निरन्तर मांग की जा रही है ;

(घ) सूची में उक्त भारतीय लोकप्रिय खेल "खो खो" को शामिल करने में क्या कठिनाइयां है ;

(ङ) उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(च) यदि अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं तो उसके क्या कारण है तथा आगामी छः महीनों में इस बारे में क्या किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) से (च) एक विशेष रेल कर्मचारी के अभ्यावेदन के अलावा रेल खेल कूद नियंत्रक बोर्ड को "खो-खो" खेल की मान्यता के संबंध में अभी तक कोई मांग नहीं की गयी है। खेल-कूद नियंत्रक बोर्ड "खो-खो फेडरेशन आफ इण्डिया" से संबंध नहीं है और खो-खो का खेल अंतरेलवे टूनामेंण्ट के रूप में भारतीय रेलों पर नहीं खेला जाता है। मान्यता के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब यह खेल लोकप्रिय हो जायेगा और रेल कर्मचारियों से इसके लिए सामान्य मांग आने लगेगी।

विवरण

क्र०सं०	खेल	वर्ष जिसमें रेलवे स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गयी
1	खेलकूद	1928
2	ब्रिज	1977
3	फुटबाल	1928
4.	हाकी	1928
5.	तैराकी	1959
6.	बैडमिन्टन	1953
7.	बॉल बैडमिन्टन	1961
8.	बास्केट बाल	1958
9.	बिल्लार्डस	1961
10.	बौक्सिंग	1928
11.	क्रास कन्ट्री	1969
12.	क्रिकेट	1953
13.	साइकलिंग	1958
14.	गॉल्फ	1954
15	जिमनेस्टिक	1971
16.	कब्डी	1950
17.	राइफल शूटिंग	1965
18.	टेबल टैनिस	1953
19.	टैनिस	1952
20.	वाल्वीबॉल	1953
21.	भारोत्तोलन	1952
22.	कुश्ती	1957

Enquiry against General Manager, N.E. Railway

6463. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1094 on the 28th February, 1978 regarding General Manager, North Eastern Railway and state :

(a) the loss suffered by Railways in awarding the contract in regard to which an enquiry was conducted against the General Manager, North Eastern Railway in 1961;

(b) the facts that came to light as a result of the enquiry conducted by C.B.I. into the violation of rules in 1969;

(c) the points taken into consideration in transferring the General Manager to other Railway;

(d) how the loss suffered by the Railways was met;

(e) whether the promotion of General Manager, North Eastern Railway was also made by the appointment Committee of the Cabinet superseding 9 other senior persons and the reasons therefor; and

(f) whether Government propose to institute a fresh enquiry by C.B.I. by transferring him to other railway and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) In 1961, tenders were invited by the N.E. Railway for the construction of 31 units type I, 10 units type II, 3 units type III and 3 units type IV quarters for medical staff at Gorakhpur. While the tenders received were under scrutiny, a decision was taken to change the side in respect of 31 units type I quarters. The change of site necessitated extra plinth involving extra earth work and brick work. The contractor, whose tender was the lowest with respect to quantities of work at originally proposed site was awarded the contract. His rates for the additional work for the new site were higher than those quoted by other contractors. The C.B.I. investigation showed that the value of the contract became higher by Rs. 32,500/- as compared to next higher tender taking into consideration the quantities at the new side. The report of the investigation was examined and it was decided in consultation with Central Vigilance Commission to warn the officer for his failure to exercise proper vigilance in the matter. The officer concerned then working as Dy. Chief Engineer was transferred from North Eastern Railway in the interest of the administration and that of the officer.

(e) The appointment of General Manager, North Eastern Railway was done after considering the relative merits of the officers in the field of selection and after obtaining the approval of the Appointments Committee of the Cabinet.

(f) In view of the answer to (a) to (d) no further probe in the matter is considered necessary.

"साइमुलेशन" अध्ययन

6464. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय 'साइमुलेशन' अध्ययन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आयल इंडिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पिछले कुछ वर्षों से जलाशय अनुरूपण (साइमुलेशन) अध्ययन किये जा रहे हैं। इन अध्ययनों से तेल और गैस के उत्पादन की दर का पूर्वानुमान लगाने तथा कुंए की दूरी की आयोजना अनुकूलतम उत्पादन दर, गैस के उठाने की सुविधाएं, कम्प्रैसर प्राप्त करना, जल अभिक्रिया और निपटान सुविधाएं, वर्क ओवर और दाब रख-रखाव। गौण स्तर वसूली योजनाएं बनाने में सहायता मिली है।

Halt of 35 UP Kirti Express at Sakhpur

*6465. **Shri Dharmasinghbhai Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the 35 Up Kirti Express train used to halt for about 10 minutes on the Sakhpur Railway station near Porbandar in Saurashtra region of Gujarat between April and September for the last about 10 years but the halt of the train has been cancelled last year;

(b) if so, whether as a result thereof difficulties are being faced in the transport of 300 to 400 bags of green chillies (mirch) and other vegetables which used to be sent to Surat, Ahmedabad, Bhavnagar, Mehsana and Abu daily from here; and

(c) where Government propose to restore this facility to the people of Sakhpur and other villages by providing a halt of this train there between the months of April to September under the new time table ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No. 35 Up Kirti Express continues to stop for 2 minutes at Sakhpur.

(b) and (c) Green Chillies and other vegetables traffic offering at Sakhpur are cleared within the scheduled halt of 35 Up Kirti Express and also by 335 Up and 337 Up Porbandar-Jetalsar fast passengers and connected trains.

केशोद स्टेशन के लिए सोने एवं बैठने की सीटों का कोटा

6466. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारी संगठन, केशोद, जिला जूनागढ़ गुजरात ने 7 दिसम्बर, 1977 को बम्बई एवं भावनगर रेल अधिकारियों को अध्यावेदन भेज कर मांग की है कि केशोद स्टेशन से सोने एवं बैठने की सीटों के कोटे में वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किस प्रकार की मांगें की गई हैं ;

(ग) प्रत्येक मांग पर क्या, कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, और

(घ) इस समय यह कोटा किन-किन गाड़ियों के लिये है और कितना है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) केशोद स्टेशन के लिये निम्नलिखित कोटा मांगा गया था :—

(1) 6 अप सौराष्ट्र मेल में दूसरे दर्जे की 8 शायिकाएं।

(2) 23 अप सोमनाथ मेल में लगने वाली वेरावल-अहमदाबाद 2-टियर शयनयान में दूसरे दर्जे की 4 शायिकाएं।

(ग) और (घ) इस समय केशोद स्टेशन पर निम्नलिखित कोटे आबंटित किये गये हैं :—

	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा	
		शायिका	सीटें
(I) 6 अप सौराष्ट्र मेल	—	1 (वीरमगाम-बम्बई सैन्ट्रल वाले डिब्बे में)	—
(II) 18/113/83 गाड़ियां		2 (वीरमगाम-नागपुर आंशिक शयनयान में)	1

(III) 35/23/2 गाड़ियां	—	—	1 (पोरबन्दर-दिल्ली शयन-यान में)
(IV) 23 अप सोमनाथ मेल (अहमदाबाद के लिए)	1	4	2
(V) 343 अप/30 डाउन . . .	1	1 (वेरावल-भावनगर शयनयान में)	—

23 अप सोमनाथ मेल से केशोड के लिये 15-1-78 से दूसरे दर्जे की 4 शायिकाओं और 2 सीटों का कोटा बढ़ा दिया गया है। 6 अप सौराष्ट्र मेल से दूसरे दर्जे की 1 शायिका के वर्तमान कोटा को पूरा-पूरा उपयोग नहीं होता, अत: कोटे में वृद्धि करने का औचित्य नहीं है।

जयन्ती जनता एक्सप्रेस की दुर्घटना में हुई हानि

6467. **श्री बसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 16 मार्च, 1978 को नागपुर के निकट जयन्ती जनता एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हताहत हुये व्यक्तियों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है और इस मार्ग पर फास्ट तथा सुपर-फास्ट रेल गाड़ियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : इस दुर्घटना में एक गंगमैन मारा गया और दो गैंगमैना गम्भीर रूप से घायल हुए थे, मृत कर्मचारी के मामले में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ती के भुगतान के लिए कार्यवाही की जा रही है, गम्भीर रूप से घायल दो गैंग-मैनों की डाक्टरी चिकित्सा की जा रही है, जैसे ही अस्पताल से उनकी छुट्टी होगी, स्थायी अशक्तता के कारण, यदि कोई हुई हो, उनकी उपार्जन क्षमता में जिस मात्रा में हानि हुई है उसका निर्धारण किया जायेगा और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय आवश्यक क्षतिपूर्ति का उन्हें भुगतान कर दिया जायेगा।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों में कर्मचारियों के लिए यह चेतावनी भी शामिल है कि गाड़ियों के चलने में विलम्ब न हों इसके लिए उपस्करों की खराबी दूर करने की लघु विधि न अपनाएं: अन्तर्पाश रहित संचलन के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन करना जैसे कांटों को कसना और मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के दौरान सिगनलिंग और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा डिसकनेकशन मीमों के अन्तर्गत गाड़ियों की पाइलाटिंग; घुमावदार और झलायी किये रेलपथ के संबंध में 'यह करो और यह न करो' के रूप में विशेष निदेश जारी करना; झलायी की गयी पटरियों को बिछाने और उनके अनुरक्षण पर अनुदेशों का नियमावली जारी करना; पहाड़ी खण्डों पर मानसून से पूर्व की सतर्कता और बरसात के दौरान मेघ स्थलों पर स्थायी चौकीदारों की तैनाती करना जिससे कि अचानक शिलाखण्ड गिरने पर निवारक कार्यवाई की जा सके; बरसात में रेलपथ पर गश्त लगाना, आंतरिक खराबियों के लिये रेलपथ में पटरियों की अल्ट्रासोनिक जांच करना; विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण में तेजी लाना; इंजनों और सवारी डिब्बों के पुर्जों की सावधानी पूर्वक जांच करना; विभिन्न परिष्कृत सिगनलिंग और दूर संचार उपस्करों को सील करना और उस पर ताला लगाना जिससे अनाधिकृत छेड़ छाड़ रोकी जा सके।

पूना-बम्बई लाइन पर दोमंजिली रेल गाड़ियां चलाना

6468. **श्री बसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार ने पूना-बम्बई लाइन पर दो मंजली रेल गाड़ियां चलाने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का, रेलगाड़ी का नाम, आरम्भ किए जाने की तिथि, आवृत्ति तथा अनुमानित लागत जैसी बातों का महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या दोमंजिली रेल गाड़ियां अन्य मार्गों पर भी चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 में और यदि अन्तिम निर्णय किया जाय तो इसके बाद के वर्षों में क्रियान्वित किये जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) प्रतिदिन चलने वाली 309/310 बम्बई से पुणे जनता एक्सप्रेस में अप्रैल, 1978 के दूसरे सप्ताह से दो मंजिले सवारी डिब्बे शुरू किये जा रहे हैं। इस गाड़ी का 309/310 सिंहगढ़ एक्सप्रेस के रूप में पुनः नामकरण किया जा रहा है? प्रत्येक दोमंजिले सवारी डिब्बे के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 8.5 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) दो मंजिले सवारी डिब्बे अन्य उपयुक्त अल्प दूरी वाले मार्गों पर शुरू किये जायेंगे। 1978-79 के चाल स्टाक कार्यक्रम में 24 दो मंजिले सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी है।

Catering contracts given to S.C. and S.T.

6469. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 23 on the 21st February, 1978 regarding catering contracts given to S.C. and S.T. and state :

(a) when 56 and 12 contracts were given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons respectively and the places wherefor which these contracts were given and the purpose thereof;

(b) whether it is a fact that most of these contracts are being run by other persons due to the fact that they have no money and if so, the names thereof and the places where these stalls are being run; and

(c) the number of contractors in all Divisions who have more than one big and small contracts as also the number of contracts which are in the names of the members of their families and the places where they have these contracts and full details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Allotment of Catering and other stalls

6470. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** refer to the repl given to Unstarred Question No. 23 on 21st February, 1978 regarding catering contract given to S.C. and S.T. and state ;

(a) the number of applications received in all the Divisions of Western Railway for allotment of catering and other stalls during the last three years and the number of applications, out of them, submitted by the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) the number of persons on whose applications action has been taken and the nature of action taken in each case and the number and names of persons who have been allotted these stalls; and

(c) whether applications from those persons have also been received who are already running catering and other stalls and they have applied for the stalls under different names and if so, their names and the places where they are running stalls ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Quarters for Railway Employees

6471. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of quarters for all the categories of railway employees at Moradabad and Rampur railway stations (Northern Railway);

(b) whether new quarters are proposed to be constructed to meet the demand in this regard; and

(c) if so, the number thereof to be constructed in 1978-79 ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) :

(a) Station	No. of quarters
Moradabad	1729
Rampur	45

(b) Yes, at Moradabad station.

(c) 36 units of quarters have been provided for construction at Moradabad station in the Railways works programme for 1978-79. No quarters have been planned at Rampur station during this year.

Looting of Passengers between Palwal—Asaoti Stations

*6472. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some decoits looted passengers in a passenger train between Palwal—Asaoti Stations on Delhi—Agra line on 16th March, 1978; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Passengers of two trains were reported to have been looted on the night of 15/16-3-1978 between Palwal and Asaoti. 15 passengers travelling in 360 Up Delhi-Jhansi Passenger were allegedly deprived of 4 tolas gold ornaments, 5 wrist watches and Rs. 1,385/-. Total value of property allegedly lost was Rs. 4,785/-. In the other train, 361 Dn. Agra Cantt-New Delhi Passenger, 4 passengers were allegedly looted of 3 watches, one goldring and Rs. 65/-. The total value of property allegedly lost was Rs. 765/-

(b) In connection with the crime in 360 Up Passenger, Government Railway Police, Haryana registered a case which is under investigation. As regards crime in 361 Dn., Government Railway Police, Haryana registered a case and arrested 4 persons. Two wrist watches valued at Rs. 300/- were recovered in this case. The case is under investigation. All the night trains on Delhi—Mathura section within the jurisdiction of Haryana are being regularly escorted by armed Police of the State.

Arrears against Industrial Establishments, Ghaziabad

6473. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount of arrears as on 1st March, 1978 on account of railway freights and maintenance charges for railway sidings to be realised from industrial establishments in Ghaziabad; and

(b) the action taken, so far, by the Railway Administration to realise this huge amount of arrears ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The total amounts of outstanding railway dues on account of freight and maintenance charges against the siding owners at Ghaziabad as on 1-3-78 are shown below :

Freight charges	Nil.
Maintenance charges	Rs. 1,84,195.00 approximately.

(b) Bills for expeditious payment of arrears on account of maintenance charges have been preferred against the parties who have raised some objections against the increased rates. The objections raised by them are presently under examination.

रेल कर्मचारियों की बोनस मांग

6474. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 मार्च, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "नो लेठाजी, फर्नान्डीज काशन्स रेलवे-मेन" शीर्षक से प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने रेल कर्मचारियों को यह सलाह दी है कि परिवर्तन करना होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी कहा था कि व्यवस्था में और आदतों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की सलाह से रेल कर्मचारी बोनस की अपनी मांग के समर्थन में आन्दोलन करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं और रेल कर्मचारियों में अनुशासनहीनता पैदा हुई है और कर्मचारियों के कार्य में ह्रास हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) जी हां, उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट के अनुसार।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

हाल के बिहार आन्दोलन में रेलवे को हुई हानि

6475. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में बिहार में हुए आन्दोलन के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्दोलनकारियों का मुख्य लक्ष्य रेलवे पर हमला करना था;

(ग) क्या रेल यातायात कई दिनों तक बन्द रहा, और

(घ) यदि हां, तो रेलवे को हुई क्षति की मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

High Court Judges

*6476. **Shri Vinayak Prasad Yadav : Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of High Courts throughout the country and the number of Judges all over therein;

(b) the number of judges out of the total judges who belong to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes and the Muslim community; and

(c) whether all the reserved posts have been filled ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs

(Shri Shanti Bhushan)

(a) There are 18 High Courts in the country. As on 3rd April 1978, 316 Permanent and Additional Judges were in position in the various High Courts.

(b) The information is being collected from the various High Courts and will be laid down on the Table of the House.

(c) Appointments to the High Courts are made in accordance with the provisions of the Constitution which do not provide for any reservation.

जिला राजनंद गांव मध्य प्रदेश, में इंडेन गैस के एजेंट

6477. **श्री मदन तिवारी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश के राजनंद जिले में इडेन गैस के कितने एजेंट है और वहां पर इस समय कुल कितने गैस कनेक्शन हैं; और

(ख) इनके लिये लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से चालू वित्तीय वर्ष में इस जिले में कितने अतिरिक्त गैस कनेक्शन दिये जायेंगे।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) और (ख) सीमित उपलब्धता के कारण इण्डेन गस का इस समय मध्य प्रदेश के राजनंद गांव जिले में विपणन नहीं किया जा रहा है।

1980 वर्ष से देश में तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता में बड़े पैमाने पर पूर्वाभिमुख वृद्धि होने पर निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर कुछ समय पश्चात नये स्थानों में इसके विपणन किये जाने की सम्भावना है।

(1) पूर्वानुमानित ग्राहक संख्या।
(2) पूर्ति स्थान से बाजार की निकटता।
(3) परिवहन के सुरक्षित व सुलभ साधन को उपलब्धता।
(4) वितरण उपस्कर का अधिकतम उपयोग, और
(5) सचालन का व्यावहार्यता।

उर्वरक कारखानों में कोयले और गैस का प्रयोग आरम्भ करना

6478. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम उन कारखानो में कोयले और गैस के प्रयोग को आरम्भ कर रहा है जिनमें आरम्भ में नैपथा का प्रयोग किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा परिवर्तन किन कारखानों में किया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) ट्राम्बे ऊर्वरक कारखाने में वर्तमान अमोनिया और मेथानाल संयन्त्र क लिए संभरण सामग्री के रूप में नेप्था के स्थान पर गैस का प्रयोग किया जा रहा है। यह उर्वरक कारखाना अब राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० के नियन्त्रण में है। ऐसे कार्य के लिए जब तक गैस उपलब्ध हो जाती है ट्राम्बे में भी जहां स्टीम बनने की सुविधाएं हैं वहां ईंधन तेल को गैस द्वारा बदला जाएगा।

किसी भी वर्तमान उर्वरक संयंत्र में नेप्था के स्थान पर कोयले के प्रयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

3rd Pay Commission recommendations for Teachers

†6479. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the recommendations of the Third Pay Commission and whether the teachers of the Education Ministry have been given selection **grade from** 1st January, 1973;

(b) if so, the reasons for which the teachers under his Ministry have been given selection grade with effect from 1st April, 1976; and

(c) if so, when the arrears will be paid to them and whether a time will be fixed in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) The recommendations of the Third Pay Commission in regard to the allotment of Selection Grades for teaching staff in schools were implemented from 1-1-1973 in respect of categories where the Selection Grades had already been introduced on or before that date. As such a scheme in respect of teaching staff on the Railways was not in existence prior to the receipt of the recommendations of the Third Pay Commission, the question of giving effect to the same from 1-1-73 did not arise. This scheme was, however, implemented on the Railways for the first time w.e.f. 1-4-76.

(c) The question of payment of arrears does not arise.

रेल वैगनों का उपयोग न करना

6480. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि माल की ढुलाई में कमी के कारण बड़ी संख्या में रेल वैगनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या मार्ग में वैगनों से माल की हानि और चोरी होना माल की ढुलाई में कमी का कारण है,

(ग) क्या सड़क परिवहन से माल भेजना अधिक सस्ता और सुरक्षित है और रेलवे को इस कारण से भी हानि हो रही है; और

(घ) रेल वैगनों से माल की ढुलाई को अधिक सस्ता और सुरक्षित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि रेल वैगनों का उपयोग कर अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) सामान्यतया माल की ढुलाई के लिए सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन सस्ता है और इस कारण से रेलों को हानि नहीं हो रही है। लेकिन सड़क परिवहन के पास घर से घर तक माल का परिवहन, कुल मिलाकर कम परिवहन समय और यातायात को चुनने की नम्यता आदि जैसे विशेष अन्तर्निहित लाभ मौजूद होते हैं।

(घ) इस बात का पता लगाने के लिए अध्ययन किए जाते हैं कि क्या कोई गिरावट मंद्य पण्यों के अपेक्षाकृत उच्च भाड़ा दर वर्गीकरण के कारण आई है और जहां औचित्य पाया जाता है वर्गीकरण को संशोधित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पण्यों के उलक रेकों के साथ मार्गरक्षी चलते हैं। भाड़ा अग्रेषक परियोजना और कंटेनर सेवाओं जैसी ग्राहक परक सेवाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं।

सोवियत संघ के घटिया ड्रिल पाइप

6481. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ उन रुसी ड्रिल पाइपों के बारे में, जो घटिया पाये गये हैं; कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर उनके साथ पिछली बार बातचीत कब की गई थी;

(ग) अब विवाद किन बातों के बारे में है;

(घ) मामला कब तक तय हो जायेगा;

(ङ) क्या इस बारे में रुस के कड़े रवैये को देखते हुए सरकार इसके लिए अमरीका और कनाडा से बातचीत करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(छ) क्या फ्रांस उचित मूल्य पर ड्रिलिंग पाइप सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग) और (घ) इस मामले पर बातचीत चल रही है। इस सम्बन्ध में पिछली बार 17 मार्च, 1978 को रूस के साथ चर्चा की गई थी। दोनों पक्षों के बीच विवाद, रूसी ड्रिल पाईप की मोटाई चटकन, प्रतिछादन और गोलाई के लिए रूसी निरीक्षण मानकों से संबंधित है। निकट भविष्य में समझौता हो जाने की आशा की जाती है।

(ङ), (च) और (छ) इस स्तर पर यह कहना ठीक नहीं होगा कि रूस ने इस सम्बन्ध में कठोर रुख अपना रखा है। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ओ०एन०जी०सी० ने प्रतियोगिता के आधार पर विश्व भर से टेंडर मंगा कर खरीद करने की नीति अपनायी है। पिछले लगभग दो वर्षों के दौरान ड्रिल पाईप के लिए विशेष मांग नहीं की गई और न ही आयोग ने उस के लिए कोई टेंडर जारी किया है। इस पृष्ठ भूमि में यदि फ्रांस की किसी पार्टी ने स्वयं ड्रिल पाईप के लिए कोई पेशकश की थी तो ओ०एन०जी०सी० ने उस पर अन्य मामलों की तरह कोई कार्यवाही नहीं की थी।

वकीलों द्वारा ली जाने वाली फीस

6482. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार वकीलों से यह कहने का है कि वे उस फीस को कम करें जो वे लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ मामलों में वकील प्रतिदिन 1600 रुपये की फीस लेते हैं और प्रकीर्ण मामलों में यह फीस 800 रुपये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार फीस को घटाने और कोई दर नियत करने पर विचार कर रही है ताकि विधिक सेवा जन-साधारण को उपलब्ध हो सके; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरसिंह) : (क) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(घ) किसी मुवक्किल द्वारा अपने वकील को संदेय फीस उनके बीच किए गए करार द्वारा तय होती है और सरकार को वकीलों को फीस कम कराने के सम्बन्ध में अभी तक विधि द्वारा कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

एक्स-सैल-ग्रो कारपोरेशन

6483. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक्स-सैल-ग्रो इंडिया के शेयर शीघ्र ही भारतीय जनता को उपलब्ध कराये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका की एक्स-सैल-ग्रो कारपोरेशन ने जिसके पास इस समय कम्पनी की 75 प्रतिशत साम्य पूंजी है, भारतीय कम्पनी में पूंजी निवश का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में योजना पहले ही तैयार कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो कभी भारतीय कम्पनी ने जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी दो संयंत्र—एक महाराष्ट्र में थाना में और दूसरा नासिक में स्थापित किया था, उक्त निर्णय से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ायगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) तथा (ग) मै० एक्स-सैल-ग्रो इंडिया लिमिटेड के 30-11-1977 की अवधि समाप्ति के तुलन-पत्र के अनुसार, इस कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी 53,40,000 रु० थी, जो 100 रु० प्रति हिस्से की दर के 53,400 साम्य हिस्सों में विभाजित थीं। इनमें से, इस कम्पनी की 75 प्रतिशत पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हुये 40,000 हिस्से मै० एक्स-सैल-ग्रो कारपोरेशन आफ यू०एस०ए० द्वारा धारित थे। वित्त मंत्रालय द्वारा भजी गई सूचना के अनुसार, उक्त मंत्रालय को एक्स-सैल-ग्रो इंडिया लिमिटेड से, इसमें यू०एस०ए० कम्पनी की कुल हिस्सेधारिता की, भारतीय राष्ट्रियों को बेचने की अनुमति देने के लिये एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है एवं कम्पनी का आवेदन पत्र विचाराधीन है।

(घ) तथा (ड) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि क्या भारतीय कम्पनी के पास इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है।

वैगनों की खरीद

6484. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड की 1978-79 में केवल 8500 वैगन खरीदने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कहां तक सच्चाई है;

(ग) क्या 1978-79 में वैगनों की खरीद की रेलवे बोर्ड की योजनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि संबंधी पहले के समाचारों पर वैगन उद्योग को जो आशाएं बंधी थीं वह अब भ्रामक सिद्ध हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या वैगन उद्योग यह अनुभव करता है कि रेलवे बोर्ड का केवल 8500 वैगन खरीदने का निर्णय उद्योग के लिये घातक सिद्ध होगा; और

(ङ) यदि हां, तो वैगन उद्योग की जिसकी क्षमता का पहले ही कम उपयोग हो रहा है और इस प्रकार मन्दी का सामना करता रहेगा, सहायता के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा आवंटित धन के अनुरूप, रेल मंत्रालय ने 1978-79 के दौरान 10,000 चौपहिया मालडिब्बे (उद्योग से 8500 यूनिट और रेलवे कारखानों से 1500 यूनिट) प्राप्त करने की योजना बनायी है।

(ग) रेल मंत्रालय ने माल डिब्बा उद्योग को कोई संकेत नहीं दिया था कि 1978-79 में माल डिब्बा प्राप्त करने की उनकी योजना मे एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उद्योग को यह भलीभांति मालूम है कि योजना आयोग द्वारा आबंटित किये गये धन के अन्तर्गत रेल मंत्रालय द्वारा माल डिब्बा उत्पादन को नियमित किया जाता है।

(घ) और (ङ) उद्योग मंत्रालय ने रेल मंत्रालय का ध्यान दिलाया है कि उत्पादन में किसी तरह की कटौती से उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 1978-79 के दौरान माल डिब्बों के और अधिक उत्पादन के लिए रेल मंत्रालय को उपर्युक्त अतिरिक्त धन आबंटित करने के उद्देश्य से उद्योग मंत्रालय ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत किया है। यदि इस मामले का समाधान नहीं होता है तो उद्योग के लिए अपनी क्षमता का अन्यत्र उपयोग करने या निर्यात का आदेश प्राप्त करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जायेगा।

बड़े गृहों की एकाधिकारवादी स्थिति

6485. **श्री के० प्रधानी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि वह बड़े घरानों में बड़े उपक्रम अपने उद्योग में निरन्तर एकाधिकारीवादी स्थिति न बनाये रखें;

(ख) क्या सरकार ने एकाधिपत्य उपक्रमों द्वारा अपनाई जा रही मूल्य नीति, लाभप्रदता मार्केटिंग नीति अथवा वितरण प्रणाली के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम है और एकाधिकारवादी प्रक्रिया के हानिप्रद प्रभावों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती रही है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अध्याय III के भाग क के अन्तर्गत आने वाले समस्त उपक्रमों का विकास उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत बताई गई मार्ग संदर्शिका के अन्तर्गत जनहित के विरुद्ध आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण तथा निबन्धकारी और एकाधिकारी व्यापार प्रथाओं के रोकथाम के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए हो। इसके अतिरिक्त फरवरी 1973 से संशोधित औद्योगिक लाइसेन्स नीति भी एकाधिकार तथा निबन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों को बड़े औद्योगिक घरानों के बारे में औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेन्स के मामले में सोचे गए प्रतिबन्धों के अधीनस्थ करती है। औद्योगिक नीति पर 23 दिसम्बर 1977 को संसद में रखा गया विवरण पत्र भी बड़े औद्योगिक घरानों और बड़े पैमाने की उद्योगों की भूमिका पर सरकार की नीति स्पष्ट करता है। यह भी बताया जाता है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों पर उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार हो रहा है ताकि कानून की क्रियशीलता और क्षमता में सुधार हो सके।

(ख) और (ग) कुछ अध्ययन किए गये थे जिनके परिणामस्वरूप एकाधिकार तथ निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 31(1) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध कुछ मामले जांच के लिए भेजे गए हैं। किन्तु इन मामलों की वैधता को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके चुनौती दी गई है और न्यायालय की आज्ञा के अन्तर्गत जांच की कार्यवाही आयोग द्वारा रोक दी गई है। एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी के विरुद्ध भेजे गये मामले पर भी कार्यवाही इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायलय के आदेश से रोक दी गई है।

वन्य उत्पादों के लिए मालडिब्बे

6486. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व रेलवे पर ठेकेदारों को अपने वन उत्पादों को लादने के लिए नियमित रूप से और पर्याप्त संख्या में मालडिब्बे मिल रहे हैं

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार को अपने वन उत्पादों को लादने के लिए ये सुविधाए दी जाती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश सरकार और गैर-सरकारी ठेकेदारों के बीच इस विषमता के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) राज्य सरकार के लेखे में वन उत्पाद यातायात प्राथमिकता सूची के अन्तर्गत श्रेणी 'ग' में आता है और इसलिए व्यावसायिक लेखे के यातायात, जो कि निम्नतम प्राथमिकता अर्थात् अनुसूची की श्रेणी 'ड' के अन्तर्गत संचलित होता है, की तुलना में उच्चतर प्राथमिकता का हकदार हैं। व्यावसायिक लेखे की तुलना में राज्य सरकार के लेखे में यातायात की मांग काफी कम रही है। जबकि 31-3-78 को राज्य सरकार के लेखे में केवल 147 माल-डिब्बों की मांग बकाया थी. इसी तारीख को व्यावसायिक लेखे में बकाया मांग 9,377 मालडिब्बों की थी।

मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन

6487. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) मध्य प्रदेश में एक हजार वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए कुल कितना लम्बा रेल मार्ग है ;

(ख) भारत भर में एक हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए कुल कितना लम्बा रेल माग है,

(ग) क्या यह सच नहीं है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश में और अधिक रेल लाइनें बिछाने की सिफारिश की थी ;

(घ) यदि हां, तो सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते रखते हुए कोई कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश तथा समूचे भारत के लिए 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए क्रमशः 12.95 तथा 18.94 मार्ग किलोमीटर है।

(ग) जी हां ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(घ) राज्य पुनर्गठन आयोग, 1955 ने निम्नलिखित रेल सम्पर्कों के निर्माण की सिफारिश की थी ।

1. जबलपुर से ललितपुर अथवा झांसी तक रेल सम्पर्क ।

2. जबलपुर से मध्य और दक्षिण पूर्व रेलवे पर क्रमशः दक्षिण, पश्चिम तथ दक्षिण पूर्व में चुने हुए स्थलों तक रेल सम्पर्क ।

3. विन्ध्य प्रदेश के बीच से पूर्व से पश्चिम तक नयी रेलवे लाइन ।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार से समय समय पर नयी रेल लाइनों के निर्माण/आमान परिवर्तन की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं तथा राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गयी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	दली राजहरा से जगदलपुर तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण ।	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ।
2.	सतना से ब्योहरी तक रीवा होकर एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।	परियोजना के लिए किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह परियोजना बहुत कम यातायात आकर्षित करेगी । लाइन के सतना-रीवा भाग का हाल ही में पूनर्मूल्यांकन करने से भी पता चला है कि यह खण्ड बहुत कम यातायात आकर्षित करेगा ।

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
3.	महोबा से खजुराहो तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।	परियोजना को अर्थक्षम नहीं पाया गया है क्योंकि यह बहुत कम यातायात आकर्षित करेगी।
4.	रतलाम से बांसवाड़ा तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।	सर्वेक्षण अभी हाल ही में पूरा हुआ है।
5.	रांची से कोरबा तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। परियोजना पर बहुत कम यातायात आकर्षित होगा।
6.	इंदौर से महू तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।	परियोजना के लिए किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह परियोजना बहुत कम यातायात आकर्षित करेगी।
7.	गुना से मकसी तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।	लाइन पूरी हो चुकी है तथा यातायात के लिए खोल दी गयी है।
8.	जबलपुर-दमोहा-टीकमगढ़-ललितपुर से एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।	रेलवे की वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस समय मध्य प्रदेश राज्य के इन रेल सम्पर्कों के सर्वेक्षणों को शुरू करना संभव नहीं होगा।
9.	टीकमगढ़-छत्रपुर-खजराहो-पन्ना-सतना से एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण . .	रेलवे की वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस समय मध्य प्रदेश राज्य के इन रेल सम्पर्कों के सर्वेक्षणों को शुरू करना संभव नहीं होगा।
10.	सागर-करेली-नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा से एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण . . .	
11.	मक्सी से शिवपुरी तक एक नयी लाइन का निर्माण	
12.	खंडवा से डोहर तक भकिनगरां, खारगांव, बरवान होकर एक नयी बड़ी लाइन।	
13.	उज्जैन-आगर का आमान परिवर्तन तथा इसका कोटा तक नालखेड़ा, सुरसर तथा तालवाड़ होकर आगे विस्तार।	धन की बहुत सीमित उपलब्धता के कारण इस समय इस प्रस्ताव पर विचार करना कठिन होगा।
14.	इंदौर से दोहाद तक, धार तथा आभार होकर एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।	
15.	चिरीमिरी-बरवाडीह-बैकुंठपुर-अंबिकापुर से एक नयी बड़ी लाईन का निर्माण।	बरवाडीह तथा करोंजी से एक नयी बड़ी लाइन के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया है।
16.	मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में ललितपुर से संगरौली तक खजुराहो, सतना तथा रीवा से होकर।	एक प्रारंभिक इंजीनियरी एव यातायात सर्वेक्षण को 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

उपर्युक्त नयी लाइनों की परियोजनाओं के निर्माण का प्रश्न देश के सभी भागों की समान मांगों को पूरा करने के लिए उपलब्ध समग्र संसाधनों पर निर्भर करेगा।

Employees' Welfare Fund

*6488. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Employees Welfare Fund has not been spent in full in 1977-78;

(b) whether it is a fact that the savings therein were due to not providing full medical facilities or making comparatively less provision therefor;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether it is also a fact that the employees have been making a demand for more and more medical facilities which are not available to them in full ?

Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) On Railways Staff Benefit Funds have been instituted to which a grant from railway revenues at the rate of Rs. 7/- per non-gazetted railway employee (other than those charged to the capital) is made annually. The S.B.F. is administered by a committee with powers to spend the money on the following objects :—

(i) Education of the staff and their children when no assistance is admissible under the educational assistance rules otherwise;

(ii) Recreation and amusement of the staff and their children;

(iii) Relief of distress amongst members of the staff or their families not provided for under the regulations in force;

(iv) Such schemes for sickness or maternity benefits to families of staff as are not covered by Medical Attendance and Treatment Rules.

Further the contributions made to the funds are final grants and the question of laps in the event of their not being fully utilised by the Managing Committees during the specified year does not arise.

During 1977-78, in view of the cooperation and dedicated work by all sections of railway employees, the Government accorded a special grant of Rs. 15 crores for staff welfare and amenities, such as improvements to staff quarters and railway colonies, improved educational and health facilities, etc. As the scheme was sanctioned only in the latter half of 1977-78, balance of amounts not utilised in 1977-78, is being provided for in 1978-79 and thus the full grant of Rs. 15 crores would be utilised.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Demands are received from Railway population, and facilities are extended, depending on the availability of resources.

(Division of Fertilizer Corporation of India into different Regional Zones)

6489. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 301 on 14th March, 1978 and state :

(a) whether Fertilizer Corporation of India has been divided into different regional zones from the point of view of work;

(b) if so, the expenditure incurred so far on the said managements; and

(c) the percentage increase registered in the production of the concerned factories after division of the work in different regional management ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) The FCI and the NFL have been reorganised into five companies with effect from 1-4-1978.

(b) The reorganisation has resulted in the registration of three new companies on which an expenditure of about Rs. 82 lakhs has been incurred as registration fees to Government. It is expected that the administrative expenditure including the registration fees will not exceed Rs. one crore.

(c) It is too early to assess the impact of the revised set-up on production, etc.

(Quarters for Loco Running Staff)

6490. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of quarters necessary for Loco running staff in Mhow, Ratlam, Ujjain and Neemuch in Western Railway consequent in introduction of 10 hour duty;

(b) the alternative or temporary arrangements made for them at present; and

(c) when residential accommodation will be made available ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a), (b) and (c) The total loco running staff who are governed by 10 hour rule and the number of quarters available for them at these stations are as under :

Station	No. of Staff	No. of Railway quarters available
Mhow	311	115
Ratlam	480	200
Ujjain	323	145
Neemuch	256	106

Staff not provided with Railway accommodation have made their own arrangements. Construction of more quarters is being done on a porgrammed basis according to availability of funds. Hence, it is not possible to say when residential accommodation will be provided for all loco running staff at the above stations.

(भूतपूर्व सैनिकों में से भारतीय तेल निगम के डीलरों की नियुक्ति)

6491. **श्री भगत राम :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम (बी-साइट पेट्रोल पम्पों) के अब तक कितने डीलर नियुक्त किये गये हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों से प्रतिभूति राशि ली गई है;

(ख) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों सहित भारतीय तेल निगम के उन डीलरों को, जो डीलरों की कुल संख्या का छोटा सा अंश है, कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाता है, जिनसे भारी मात्रा में प्रतिभूति राशि ली जाती है, जब कि बहुत बड़ी संख्या में उन डीलरों को, जिनसे कोई प्रतिभूति राशि नहीं ली गई है, उसकी वजह से कोई असुविधा नहीं होती; इस भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब तक इस भेदभाव को दूर किया जायेगा;

(ग) कितने भूतपूर्व सैनिकों को भारतीय तेल निगम का डीलर नियुक्त किया गया है और उनमें से कितने भूतपूर्व सैनिकों से प्रतिभूति राशि ली गई है; और

(घ) क्या भूतपूर्व सैनिकों को उनकी प्रतिभूति राशि की वापसी करके उनके पुनर्वास में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जनवरी, 1976 में इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा 'डीलर फाइनेन्स स्कीम' के अन्तर्गत आरम्भ किये गये 'ख' स्थान वाले पेट्रोल पम्पों के कुल 448 डीलर्स में से 417 डीलरों से प्रतिभूति (व्यापार) जमा राशि प्राप्त की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन की डीलर वित्त योजना के अन्तर्गत 24 भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की गई और ऐसे दस डीलरों से प्रतिभूति जमा राशि एकत्र की गई।

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन 'डीलर वित्त योजना' के अन्तगत चुने गये भूतपूव सैनिकों की प्रतिभूति राशि को लौटाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

(Common Seniority for Promotion of Accounts working in Marketing Division of I.D.P.L .)

6492. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether accountants working in Head Office, Marketing Division, Regional Sale Office and Central Office of I.D.P.L. have common seniority for promotion;

(b) if not, the date on which amendments were made in regard to this category indicating the details of these amendments;

(c) whether the concerned employees were informed of these amendments;

(d) whether the management made these amendments to illegally promote some of their favourite accountants and if so, the number of accountants who have become junior to their junior colleagues;

(e) whether seniority list has been circulated among the accountants; and

(f) whether Government have taken any action to check the irregularity and nepotism ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Accountants working in Head Office of Marketing Division at New Delhi and accountants working in Central Office belong to a common cadre bearing common seniority. The accountants appointed in various regions/depots under the marketing division of the company belong to a separate cadre/seniority.

(b) No amendments have been made in the policy laid down in regard to the seniority of accountants.

(c) and (d) Do not arise. I.D.P.L. have reported that there are no such cases.

(e) The seniority list is available but it has not been circulated, as there have been no amendments.

(f) If any irregularity or nepotism with regard to the promotion of accountants is brought to the notice of Government, it will be looked into.

Policy regarding Seniority in IDPL

6493. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether a policy has been laid down in regard to seniority of Accountants and other employees transferred from factories and Regional Sale offices of I.D.P.L.;

(b) if so, the details thereof and whether they are allowed to opt for change in their seniority; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Accountants who are transferred whether on their own request or by the Management in the Company's interest, continue to belong to their parent cadre for purposes of seniority till such time their connection with the present cadre is terminated by promotion to the higher post or otherwise. They are not allowed to opt for a change in their seniority as a matter of policy. In the case of other employees, other than those belonging to the officers' cadre, transfers are not, as a matter of policy, generally allowed from one plant/office to another. If, however, an employee is transferred on his own request, he is treated as the junior most in the cadre at the new place of posting.

Cases of Chain Pulling on Kasganj and Achhanera Station

*6494. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of cases in which trains were stopped by pulling chains between different stations on Kasganj and Achhnera metre gauge line station-wise, during 1976-77 and 1977-78 and the loss the railway had to incur on this account year-wise; and

(b) the number of persons apprehended by Government in the above cases and action taken against them as also the precautionary measures being contemplated ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) There were 485 and 428 cases during 1976-77 and 1977-78 respectively in which trains were stopped at stations or out-side stations due to unauthorised alarm chain pulling and disturbance of vacuum system in trains on Kasganj-Achhnera metre gauge section of N.E. Railway. Trains suffered loss of running time to the extent of 66 hrs. 22 mts. in 1976-77 and 63 hrs. 6 mts. in 1977-78 on this account.

(b) Five persons were apprehended and prosecuted in each year. In addition to normal checking by TTEs, special checking squad, ambush checks by plain clothed TTEs were conducted. Educative posters and hand bills were displayed for the information of rail users. These checks are being further intensified in coordination with civil authorities in this section.

Stoppage of Shuttle Train at Naini Gate

*6495. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he had given orders on 30th December, 1977 to stop C.O.D. shuttle train at Naini Gate instead of at Chhipki (Allahabad) platform but these orders have not been complied with by the concerned officials and 12 persons have already been killed due to accidents; and

(b) if so, the action taken by Government against the officers responsible for the violation of these orders ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Shoe Narain) : (a) and (b) No. However, stoppage of the train at either of the two level crossing gates beyond Chheoki Yard viz., one on the main line and the other on the goods lines, is not desirable from the safety point of view. The question of orders not being obeyed does not arise.

13 LSS/78—7

Suggestions by Staff to avoid Accidents

†6496. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware of the fact that the previous Railway Minister, Shri C. M. Poonacha had called upon all the categories of staff to give suggestions for avoiding accidents;

(b) if so, whether he proposes to invite suggestions from the train operating staff i.e. Station Master, Guards, C&W Staff, Drivers and Signal and Telecommunication Staff to suggest ways and means to prevent accidents;

(c) whether great resentment prevails in the operation staff against the attitude of the Officers who keep them harassing and that is why a large number of accidents have taken place after October 24, 1977—Safety Fortnight; and

(d) if so, what are his views in this connection ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) Suggestions for prevention of accidents are welcome not only from railway employees but also from others. The Railway Accidents Enquiry Committee, which has recently been set up to review the position of accidents and examine the adequacy of the existing organisation, equipment and practices for ensuring safe running of trains and suggest measures for prevention of accidents, would no doubt take into consideration the views of the various categories of staff.

(c) No. In fact, during the 4-month period from November, 1977 to February, 1978 there were fewer train accidents as compared to the previous 4-month period i.e. July 1977 to October, 1977.

(d) Does not arise.

Sale of fake tickets

6497. **Shri Ram Kanwar Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether complaints have been received by the railway department about the sale of fake tickets at New Delhi Station as a result of which passengers have to pay fare two three times more for their destinations;

(b) if so, the action taken so far against the employees found responsible therefor; and

(c) if not action proposed to be taken in this regard ?

Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No specific complaint of sale of fake tickets at New Delhi Station has been received by the Railway Department. However, investigations by Viginlance Directorate of the Railway Board on receipt of a source information, created a suspicion that one or more Ticket Examiners at New Delhi Station are in possession of forged Excess Fare Ticket Books.

(b) and (c) The preliminary report of investigation has been forwarded to the C.B.I. for further invesigation and action. The CBI have registered a case on the basis of information given by the Ministry of Railways and investigation by CBI are under progress.

तेल शोधक कारखानों के लिए अशोधित तेल की अपलब्धता

6498. **श्री वयालार रवि** : क्य **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोधित तेल की अनउपलब्धता के कारण तेल शोधक कारखाने अपनी पूरी क्षमता में कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) बम्बई हाई से उपलब्ध अशोधित तेल को विभिन्न तेल शोधक कारखानों में साफ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी, नहीं। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल की जितनी भी आवश्यकता है उतना कच्चा तेल शोधनशालाओं को दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत रिफाइनरी में कोचीन रिफाइनरी और कालटक्स आयल रिफाइनरी (इण्डिया) लिमिटेड में प्रतिवर्ष बम्बई हाई के 5.2 मिलियन मी० टन कच्चे तेल के शोधन के लिये पहले से ही प्रबन्ध कर दिये गये हैं। तथापि मानसून के दौरान कच्चा तेल टैंकों द्वारा कोचीन शोधनशाला और विजय में कोरिल को नहीं भेजा जा सकता। इसी कारण से बम्बई हाई कच्चे तेल की शोधन क्षमता इस अवधि के दौरान 4.0 मि० मी० टन प्रति वर्ष की दर से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई को दे दिया गया है।

प्रतिवर्ष 2 मिलियन मीट्रिक टन बम्बई हाई कच्चे तेल का शोधन करने के लिए कोयली शोधनशाला में और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० को कोटिल शोधनशालाओं में प्रति वर्ष एक मिलियन मीट्रिक टन बम्बई हाई कच्चे तेल साफ करने के लिये क्षमताओं को बढ़ाने के लिये सुविधायें दी जा रही हैं। निर्माणाधीन मथुरा शोधनशाला जब आरम्भ होगी तब यह प्रतिवर्ष 3 मिलियन मी० टन बम्बई हाई कच्चे तेल का शोधन करेगी।

आई०बी०पी० द्वारा ढंकंन ब्रदर्स और एलैक्स लारी से बामर लारी एण्ड कम्पनी के शेयर क्रमशः 95 रुपये और 85 रुपये की दर से खरीदने के संक्षिप्त कारणों का निम्नलिखित उल्लेख किया जाता है:—

1. आई०बी०पी० ही एक मात्र ऐसी कम्पनी है, जिसे बामर लारी के वर्ष 1955 से अत्यधिक शेयर अधिग्रहण किये हुए थे। इसके पास उक्त कम्पनी के 30.09 प्रतिशत शेयर थे और इसने संयुक्त रूप से एलैक्स लारी एंड कम्पनी (जो कि बामर लारी कम्पनी की मूल कम्पनी है), 27.55 प्रतिशत शेयर लेकर इस पर संयुक्त रूप से नियंत्रित किया।

2. वर्ष 1968 में, इंगलैण्ड में वाल्टर ढंकंन समूह द्वारा एलैक्स लारी का अधिग्रहण किया गया था। जो कि भारत के ढंकंन ब्रादस की एक सहयोजित कम्पनी है। ढंकंन ब्रादर्स ने भारत में एल०आई० सी० और खुले बाजार से बामर लारी के 22.59 प्रतिशत शेयर खरीदे और बाल्टर ढंकंन के साथ एलैक्स लारी के शेयरों को खरीदने की व्यवस्था की, जो इसे 50.14 प्रतिशत शेयर देगी और इससे उसका अत्यधिक नियंत्रण हो जायेगा।

3. ढंकंन ब्रादर्स ने एलैक्स लारी के शेयरों को 95 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदने के लिए जनवरी, 1969 में भारत सरकार से अनुमति मांगी।

4. जनवरी, 1970 में आई०ओ०सी० ने आई०बी०पी० में निहित ब्रितानवी कम्पनी से अधिकांश शेयर अधिग्रहण किये और इस प्रकार से आई०बी०पी० एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी बन गई।

5. बामर लारी के मण्डल में आई०बी०पी० के प्रतिनिधि ने इस आशय का मत व्यक्त किया कि ढंकंन ब्रादर्स अपने हितों के अनुसार इस कम्पनी का प्रबन्ध कर रही थी। और वह शेयर धारियों के हितों का ध्यान नहीं कर रही थी। भारत सरकार को भी इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और कम्पनी विधि मण्डल ने इस की जांच पड़ताल की, जिसने उक्त शिकायत की पुष्टि की।

6. इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत बामर लारी मण्डल में दो सरकारी निदेशक नियुक्त किये।

7. एलैक्स लारी शेयरों के मम्बन्ध में पूर्व क्रय अधिकार के बारे में कानूनी सलाह के अन्तर्गत आई०बी०पी० ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया और इस आशय के स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जिससे एलैक्स लारी पर ढंकंन ब्रादर्स को अपने शेयरों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लग गया।

8. भारत सरकार द्वारा उक्त कदमों के उठाये जाने के बाद ढंकंन ब्रादर्स ने यह महसूस किया कि वे बामर लारी का प्रबन्ध अपने तरीके से तब तक नहीं कर सकती जब तक कि आई०बी०पी० के इस कम्पनी में शेयर हैं। अतः सुलह करने के प्रयास में, उन्होंने सरकार को दो वैकल्पिक प्रस्तावों की पेशकश की, जिन पर बात करने के पश्चात उनका निम्नलिखित स्वरूप बन गया :—

(क) ढंकंस को आई०बी०पी० के शेयरों को प्रति शेयर 160 रुपये की दर से खरीदना; अथवा

(ख) आई०बी०पी० द्वारा ढंकंन के शेयरों को प्रति शेयर 95 रुपये की दर से अधिग्रहण करना और साथ ही एलैक्स लारी के शेयरों को खरीदना।

उक्त दो विकल्पों के अलावा आई०बी०पी० के लिये तीसरा विकल्प यह था कि यथापूर्व स्थिति को बनाये रखना और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जिसमें अपील आदि करने से भी कई वर्ष लग सकते हैं; इसी दौरान बामर लारी समूह की वित्तीय स्थिति क्षीण हो गई होती।

9. पश्चिम बंगाल में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के कारण इस सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई करनी जरूरी थी, ताकि ढंकंन ब्रादर्स बामर लारी समूह को अपने ढंग से न चला सके जिसके परिणामस्वरूप इस कम्पनी को बन्द करने की नौबत न आये और बेरोजगारी में वृद्धि न हो। इस विचारधारा से तथा इस आशय के तथ्य से कि आई०बी०पी० के शेयर ढंकन्स को बेचने से वृहद् गोयंका घराने की क्रिया कलापों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई होती और इसका तात्पर्य एक निजी सेक्टर की कम्पनी के हक में एक सार्वजनिक क्षत्र की कम्पनी के अधिकार को समाप्त करना होगा; सरकार को आई०बी०पी० द्वारा बामर लारी को अधिग्रहण करने का निर्णय देना पड़ा।

10. जहां तक प्रदत्त मूल्य का सम्बन्ध है, इन शेयरों का मूल्यांकन करने के लिये सरकार द्वारा जो मानदण्ड अपनाया गया था, वह निम्नलिखित तीन मूल्यों का औसत है :—

(क) परिसम्पत्ति मूल्य;

(ख) बाजार मूल्य;

(ग) लाभ अर्जन का क्षमता मूल्य।

68 रुपये के बाजार मूल्य को लेने और पिछले तीन वर्षों (जिसके परिणाम स्वरूप और अधिक मूल्य निकलेगा) के परिणामों को लेने की औपचारिक प्रथा के बावजूद यर लारी के खराब से खराब (जनवरी, 1971–मई, 1972) के समय पर आधारित लाभ अर्जित करने के मूसय को लेने के बावजूद अर्थ विभाग ने प्रति शेयर 174.60 रुपये के परिसम्पत्ति मूल्य को लेते हुए एक शेयर के लिये 95.60 रुपये का उचित मूल्य निकाला। परन्तु यदि हम बाजार मूल्य पर बामर लारी के निवेशों के मूल्यों और इसकी अचल सम्पत्तियों के वर्तमान वसूली योग्य मूल्य पर विचार करें तो बामर लारी के शेयरों का वास्तविक मूल्य प्रति शेयर 300 रुपये से ऊपर बैठता है। आई०बी०पी० का औसतन खरीद मूल्य प्रति शेयर 89.60 रुपये निकलता है।

11. यह कहना सही नहीं है कि बामर लारी एक घाटे वाला व्यावसायिक कम्पनी थी। इसे वर्ष 1971 में पहली बार हानि हुई। यह हानि चाय के माल गोदाम के व्यापार में बन्द गति के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप जनवरी, 1972 में इस कम्पनी के वास्तविक रूप से न्बद होने की नौबत आ गई और यदि इस कारण से हुई हानि को निकाल दें, तो उस वर्ष का लाभ 17 लाख रुपये तक होगा। सरकार यदि मात्र इस अकेले वर्ष को देखती और अपनें शेयरों को वापिस लेने का मिर्णय ले लेती तो इससे ढंकंन को ही सहायता होगी जो कि हर वक्त बामर लारी को अपने नियंत्रण में करने के लिये उत्सुक रहती थी। बामर लारी और इसकी सहायक कम्पनियों का ब्यौरा सदा मजबूत रहता है और इसमें विस्तार तथा सुधरे हुए कार्य निष्पादनों की अच्छी संभावना है।

12. बामर लारी पर नियंत्रण करने के लिए निर्णय ले लिये जाने से, आई०बी०पी० के लिये मात्र एक ही रास्ता रह गया था कि वह ढंकंन आदर्स और एलैक्स लारी से तय शुद्ध मूल्य पर उसके शेयरों को खरीद ले, जो कि इन दोनों के पास 50.14 प्रतिशत शेयर थे। यहां तक कि यदि बाजार में इन शेयरों की खरीद पुनः आरम्भ हो जाती तो भी केवल 4.6 प्रतिशत शेयर खरीद के लिये उपलब्ध हो पाते, इससे बाजार मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई होती; और आई०बी०पी० का इस पर नियंत्रण करने वाला हित सफल नहीं हुआ होता, जो कि उसका उद्देश्य था। मैसर्स एलैक्स लारी और ढंकंस के बीच इकट्ठा अपने शेयरों को बेचने से संबंधित सहमति हो गई। प्रदत्त मूल्य उचित था और इस खरीद से तथा ढंकन्स आदर्स का इन महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण करने की योजनायें कारगर ढंग और अन्तिम रूप से समाप्त हो गई।

कालीकट और शोरनूर के बीच रेलगाड़ियों को चलाने के बारे में अभ्यावेदन

6499. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विशेषकर कालीकट और शोरनूर के बीच रेल गाड़ी की सुविधाओं के बारे में केरल में मालाबार क्षेत्र के कुछ नागरिकों से 2 नवम्बर, 1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या मुख्य बातें कहीं गई हैं, और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) इसमें 514 कण्णनूर-कालीकट सवारी गाड़ी को कोचीन/शोराणूर तक बढ़ाये जाने, नम्बर 65 कोचीन-कण्णनूर सवारी गाड़ी को पुनः चलाये जाने तथा कालीकट/शोरानूर के बीच एक अतिरिक्त सवारी गाड़ी चलायी जाने की मांगें थी।

(ग) 65 कोचीन कण्णानूर सवारी गाड़ी का शोरणूर-कण्णनूर के बीच चलाना बन्द कर दिया गया क्योंकि उपलब्ध स्थान का कम उपयोग होता था। फिर भी नम्बर 511 सवारी गाड़ी को ओलवक्कोड कण्णनूर खंड पर बढ़ा कर इस खंड के लिए प्रतिपूरक सेवा उपलब्ध करा दी गयी है। इससे नम्बर 65 कोचीन शोराणूर गाड़ी से कोचीन से आने वाले तथा कण्णानूर जाने के इच्छुक यात्रियों को शोराणूर में सुविधाजनक मेल मिल जाता है। कण्णनूर से कोचीन जाने वाले यात्रियों के लिए नं० 62 कण्णनूर कोयम्बतूर सवारी गाड़ी जो कण्णनूर कालीकट सवारी गाड़ी के पीछे पीछे चलती है शोराणूर में 66 शोराणूर-कोचीन सवारी गाड़ी से सुविधा जनक मेल लाती है। अतः नं 514 सवारी गाड़ी को कोचीन तक बढ़ाने अथवा नं० 65 सवारी गाड़ी कोकण्णनूर तक बढ़ाना वांछनीय नहीं है।

कालीकट और शोराणूर के बीच चलने वाले यातायात की आवश्यकता इस खंड पर चल रही 3 जोड़ी सवारी गाड़ी से पूरी हो जाती हैं। अतः एक अतिरिक्त गाड़ी चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जमालपुर वर्कशाप के रेल कर्मचारी

6500. **डा० रामजी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ईस्टर्न रेलवे मैन यूनियन, वर्कशाप ब्रांच, जमालपुर द्वारा दिया गया जमालपुर वर्कशाप के रेल कर्मचारियों का कोई अभ्यावेदन मिला;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि वर्कशाप उसकी स्टील फाउण्डरी, फोर्ज शाप और रोलिंग मिल में काम नहीं है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (शिव नारायण) : (क) जी हां, पिछले वर्ष एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) भाप रेल इंजनों के आवधिक ओवरहाल के कार्यभार में कमी की प्रतिपूर्ति के लिए उत्पादन की अतिरिक्त लाइनें शुरू करने का विनिश्चय किया गया है। डीजल हाइड्रलिक रेल इंजनों की अवधिक ओवरहाल के लिए 1.22 करोड़ रुपये की लागत पर जमालपुर कारखाने में सुविधाओं की व्यवस्था करने की एक योजना 1978-79 के बजट में शामिल कर ली गयी है।

(ग) इस समय जमालपुर कारखाने में पर्याप्त कार्यभार है और कार्यभार के अभाव के कारण कोई भी उपयूनिट प्रभावित नहीं है।

लोको शैडों का कम उपयोग

6502. **पी० जी० मावलंकर** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युतीकरण और या अन्य कारणों से देश के विभिन्न भागों में लोको शैडों का प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त लोकों शैडों की पूरी क्षमता का उपयोग किया रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कैसे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) विद्युतीकरण हो जाने के कारण कुछ खंडों के भाप रेल इंजन शेडों के कार्यभार में कमी आयी है।

(ख) से (घ) भाप रेल इंजन शैडों को उनकी क्षमता तथा दक्षता का भरपूर उपयोग करने हेतु डीजलीकरण/विद्युतीकरण के कारण कार्य भार में कमी होने से भाप रेल इंजनों के बेड़े में अनुपातिक कमी कर के कर्मचारियों और पूंजी में उपयुक्त पुनः समायोजन किया गया है।

तेल के लिए ड्रिलिंग और खोज कार्य पर प्रदूषण का प्रभाव

6503. **श्री पी० जी० मावलंकर** क्या **पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात, बम्बई, असम आदि के विशाल क्षेत्रों में जहां तेल और प्राकृतिक गैस मिलती है, उसके लिये ड्रिलिंग और आगे खोज की जाती है, किसी प्रकार के प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी फार्मास्युटिकल्स कंपनियों द्वारा अधिक मूल्य लिया जाना

6504. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री अमरीकी फार्मास्युटिकल कम्पनियों पर विश्वासघात के मुकदमों के बारे में 21 फरवरी, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर में उल्लिखित प्रत्येक अमरीकी फार्मास्यूटिकल फर्म द्वारा अतारांकित तथा विदेशी खरीदों पर अनुमानतः कितना अधिक मूल्य लिया :

(ख) इन फर्मों द्वारा अधिक मूल्य लेने का तरीका क्या है;

(ग) इस अवैध कार्य का वास्तव में कब पता लगाया; और

(घ) अमरीका के उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए यदि कोई अनुवर्ती कार्य-वाही की जा रही है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क), (ख), (ग) और (घ) यू० एस० सेनेट की समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में यह भारत सरकार के 1969 में नोटिस में आया था कि 6 यू० एस० औषध कम्पनियों अर्थात् फाइजर सिनामिड, स्क्यूब, ब्रिस्टल मेयर्स, उपजान और ओविन ने कुछ ब्रांड स्पेक्ट्रम एन्टीबायसेटिक्स के सामूहिक रूप से मूल्य निर्धारित करने में षड़यन्त्र किया था जिसमें उन्होंने 1954—67 की अवधि के दौरान उसकी आंतरिक तथा विदेशी खरीद के लिए अधिक दाम लिया है। भारत सरकार ने 11-10-74 को इन सभी 6 कम्पनियों के विरुद्ध यू० एस० न्यायालय में दिवानी मुकदमा दर्ज किया था।

भारत द्वारा खरीद पर इन कम्पनियों द्वारा लिए गए अधिक दाम की राशि और इससे हुई हानि भारत अटार्नी के परामर्श से निर्धारित की जा रही है।

अब यू० एस० उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि क्लैटन अधिनियम की व्याख्या के अन्तर्गत विदेशी राष्ट्र भी एक व्यक्ति है और वह राष्ट्र हानि के लिए मुकदमा दर्ज कर सकता है अतः भारत सरकार द्वारा यू० एस० न्यायालयों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

यूनियन कर्बाइड इंडिया लि०

6505. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत अमरीकी बहुराष्ट्रिक फर्म, यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० की प्रदत्त पूंजी और अस्तियां कितनी हैं;

(ख) कम्पनी के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या कम्पनी का वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, अभी हाल तक, यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० की एक सहवर्ती कम्पनी, बैकेलाइड हाइलय का प्रबन्ध निदेशक था;

(घ) क्या सरकार को कम्पनी के कुछ कर्मचारियों से बिना हस्ताक्षर किया हुआ एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें वर्तमान प्रबन्ध निदेशक और कम्पनी के अन्य उच्च प्रबन्ध अधिकारियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके अनियमित गतिविधियां करने के गम्भीर आरोपों का उल्लेख है; और

(ङ) उक्त आरोपों पर अगर कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, एक बहुराष्ट्रिक कम्पनी, अर्थात् यूनियन कार्बाइड कारपोरेश आफ यू० एस० ए० की एक सहायक कम्पनी है । इसकी 25-12-1977 तक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 18.53 करोड़ रुपये की राशि की है, तथा इसकी परिसम्सपतियों का मूल्य 68.19 करोड़ रुपये हैं ।

(ख) कम्पनी की 25-12-77 को वर्ष समाप्ति की वार्षिक रिपोर्ट में यथा वर्णित इसके निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार थी:

सर्वश्री

1. केशव महिन्द्रा	अध्यक्ष
2. वी० वी० सेलिनियस	उपाध्यक्ष
3. डबल्यू० आर० कोरिया	प्रबन्ध निदेशक
4. पी० सी० बनर्जिया	उप-प्रबन्ध निदेशक
5. ए० एम० एम० अरुणाचलम	
6. वी० पी० आर्य	
7. जे० वी० ला	
8. ए० डब्ल्यू लुज	
9. भास्कर मित्तर	
10. एन० जे० मोडन	
11. आर० नटराजन	
12. जेम्स एम० राज	
13. जे० एम० रेहफील्ड	

(ग) हां, श्रीमान जी । डा० डब्ल्यू० आर० कोरिया, जो 15-8-1977 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किये गये थे, बैकेलाइट हेलम लि० जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० की 15-8-1977 तक एक सहयोगी कम्पनी थी, के भी प्रबन्ध निदेशक थे।

(घ) नहीं, श्रीमान् जी। कम्पनी कार्य विभाग को बिना हस्ताक्षर का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

अगरतला और आसाम के बीच रेल मार्ग

6506. श्री ज्योतिर्मय बसु:
श्री जनार्दन पुजारी

क्या रेल मंत्री अगरतला और आसाम के बीच रेल मार्ग के बारे में 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री नृपेन चक्रवर्ती ने 12 जनवरी 1978 को उनसे भेंट करके यह मांग की थी कि धर्मनगर से कुमारघाट तक और फिर अगरतला होते हुए सबरूम तक रेल लाईन का विस्तार शीघ्रता के साथ किया जाये,

(ख) क्या त्रिपुरा की जनता ने रेल सुविधाओं का विस्तार करने की मांग का लकर एक दिन का शांतिपूर्ण बंद' आयोजित किया था, और

(ग) यदि हां, तो इस पर यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) उत्तर-पूर्व कौंसिल द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में निर्माण के लिए प्रस्तावित 6 लाइनों में से त्रिपुरा में स्थित धर्मनगर-कुमारघाट लाइन भी एक है। इन प्रस्तावों की गहराई से जांच-पड़ताल करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक समिति नियुक्त की गयी है तथा लाइनों के निर्माण का विनिश्चय समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगा, जिसे अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया है।

हल्दिया में और उसके आसपास रेल सुविधायें

6507. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया रिफाइनरी एम्प्लाइज यूनियन और भारतीय उर्वरक निगम एम्प्लाइज यूनियन, हल्दिया के जनरल सेक्रेट्रियों ने उन्हें 14 नवम्बर, 1977 को एक ज्ञापन दिया था जिसमें सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि हल्दिया में और उसके आसपास रेल सुविधाएं प्रदान की जायें :

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या लिखा था, और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शिव नारायण : (क) और (ख) हल्दिया रिफायनरी इम्प्लाइज यूनियन और एफ सी० आई० इम्प्लाइज यूनियन का ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ लेकिन श्री मदनमोहन बोस, अध्यक्ष, हल्दिया रिफायनरी इम्पलाइज यूनियन से 1-2-78 के अभ्यावेदन की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में सुझाव है।

1. बज-बज, रायचक के रास्ते सियालदह-नामखाना रेल सम्पर्क का निर्माण।

2. हुगली नदी पर कुकराहाटी और रायचक के बीच नियमित लांच सेवा के माध्यम से हल्दिया और कलकत्ता के बीच सीधे सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था हो जायेगी जो बजबज—नामखाना रेल सम्पर्क से मिल कर कलकत्ता वरास्ता पांशकुड़ा की वर्तमान मार्ग की तुलना में कम दूरी का और किफायती मार्ग होगा।

(ग) प्रस्तावित बजबज—नामखाना रेल सम्पर्क के लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण करते समय सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

Loading of Line Stone for Durgapur Steel Plant

†6508. Shri Sharad Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether M/s. Sundersons, Maihar loaded lime stone rakes from Maihar, Central Railway for Durgapur (Hindustan Steel Ltd.);

(b) whether an inquiry into the irregularities was conducted through the C.B.I. or some other agency and as a result M/s. S. N. Sundersons were blacklisted by the Hindustan Steel Limited, Durgapur; and

(c) if so, the facts revealed in the course of inquiry for which the firm was found to be guilty and whether any of the Directors of this firm has been a member of the Z.U.R.C.C. and D.U.R.C.C. and if so, for what period ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes. Upto March, 1975.

(b) and (c) Yes. An enquiry was conducted by the Central Bureau of Investigation, Ranchi into the irregularities alleged to have been committed by M/s. Sundersons but M/s. Sundersons have not so far been blacklisted by Hindustan Steel Limited, Durgapur. The results of this enquiry are not known to the Management of Durgapur Steel Plant, Ministry of Steel & Mines or to the Ministry of Railways. No representation was given in Z.R.U.C.C./D.R.U.C.C. on Central Railway to M/s. Sundersons Minerals Ltd. However, Shri S. N. Berry at present Director of this firm was given representation in the D.R.U.C.C./Jabalpur for two terms in 1972 and 1973 and from 1-9-1975 to 31-12-1977 under 'Special Interest' as Secretary, Satna Lime Stone Company, Satna.

Rakes of Limestone sent from Maihar to TISCO

6509. Shri Sharad Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of rakes of limestone sent from Maihar, Kahangaon, Niwar Central Railway to Tatanagar (TISCO) during the last seven years;

(b) the weight of limestone in each rake in respect of which freights have been paid and the weight for which payment has been made by TISCO;

(c) the name of the firm which has been supplying the limestone and who has paid freights therefor; and

(d) number of rakes loaded from 1970 to 1977 and the variation in weight in case of each rake ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Hindi knowing staff

†**6510. Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of sections in the Ministry/Department and the number among them whicd have more than 80 per cent Hindi knowing staff;

(b) the total number of sections where notings and drafting are done in Hindi together with the reasons for not doing so in rest of them; and

(c) whether clear instructions have been issued to all the sections to do notings and drafting in Hindi and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) The total number of sections in the Ministry/Department is 75. Out of these 69 sections have more than 80% Hindi knowing staff.

(b) The total number of sections where noting and drafting is done in Hindi is 14. The Ministry of Law, Justice and Company Affairs consists of the Department of Legal Affairs, Leglslative Department, Department of Justice and the Department of Company Affairs. As the work performed in these Departments is of a legal nature, the scope for use of Hindi in noting and drafting in the remaining sections is limited. However, these sections also make use of Hindi in their noting and drafting as and when required.

(c) Yes, Sir.

संगचल कर्मचारियों (रनिंग स्टाफ) के कार्य घंटे

6511. श्री यशवन्त बोरोले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय रेलगाड़ियों के संगचल कर्मचारियों के कार्यघण्टों के प्रश्न पर निर्णय करने के लिये सक्रियता से विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त लोगों की भर्ती के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) इस संबम्ध में निर्णय कब किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) रनिंग कर्मचारियों के काम के घंटों को 12 से घटाकर 10 करने के बारे में सिद्धान्त रूप से पहले ही विनिश्चय किया गया है ताकि क्षेत्रीय रेलें इस विनिश्चय को कार्यान्वित कर सकें। इसके लिए रेल मंत्रालय ने दिसम्बर, 1977 और जनवरी 1978 के बीच 2700 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी थी।

चलती गाड़ियों में अपराध

6512. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष, 1976 और 1977 में चलती रेल गाड़ियों में कितने घृणित अपराध हुए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इंडियन रोप मन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन का अभ्यावेदन

6513. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रोप मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने जूट बैचिंग आयल के अत्यधिक मूल्यों के विरोध में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री **हेमवती नन्दन बहुगुणा**) : जी, हां।

(ख) 1978-79 के लिए बजट प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप मूल्य में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली, रेलवे स्टेशन में कोचिंग कलर्कों को कामशियल एप्रेन्टिस के रूप में पदोन्नति करना

6514. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे कुछ एवजी कोचिंग क्लर्कों की 1975-76 में कामर्शियल एप्रेन्टिसों के रूप में पदोन्नति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों को एक अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी गई थी; यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है और अनियमित लाभ के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बताया जाये; और

(ग) क्या उनके माता-पिता को पुरस्कार/अग्रिम वेतन वृद्धि तथा अन्य लाभ भी दिये गये थे; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां। 1975-76 में एक मामले में एक रेल कर्मचारी जो पार्सल बाबू के रूप में काम कर रहा था, को वाणिज्यिक प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे पार्सल बाबू के रूप में 1974 की रेल हड़ताल की अवधि में उसकी वफादारी के लिए एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी गयी थी। इस मामले में दिये गये लाभ की यथार्थता के प्रश्न पर रेल मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रारम्भ में कर्मचारी के पिता को नकद पुरस्कार दिया गया था, जिसे बाद में अग्रिम वेतन वृद्धि में परिवर्तित कर दिया गया था। बाद में, 1975 के अन्त तक उसके पुत्र को वाणिज्यिक प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ को वापस ले लिया गया था।

नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी

6515. **डा० विजय मण्डल** : क्या **रेल** मन्त्रीय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) वाल्टेयर के अधीन काम कर रहे सैंकड़ों रेलवे नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी करने का प्रस्ताव है, यद्यपि वे 8 से 17 वर्ष की लगातार सेवा कर चुके हैं, जो इस सरकार की मूल नीति के प्रतिकूल हैं,

(ख) क्या इन श्रमिकों को छंटनी किये जाने से बचाने और वैकल्पिक परियोजनाओं में उन्हें खपाने अथवा स्थायी रिक्तियों में उन्हें नियुक्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ।

(ग) क्या वैकल्पिक परियोजनाओं में उन्हें खपाते समय उनके वेतन की दर को संरक्षण देने के लिए कोई कार्यवाही की जाती है, और

(घ) यद्यपि इन श्रमिकों की 6 अक्तूबर, 1977 को छानबीन की गई, फिर भी पैनल को अनिर्णीत रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू-ऊधमपुर रेलवे लाइन

6516. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-ऊधमपुर रेलवे लाइन के निर्माण पर इस वर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है,

(ख) यदि कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है, तो सदन में मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वचन को ध्यान में रखते हुए इसका क्या कारण है, और

(ग) क्या अखनूर से अथवा उसके आसपास से होते हुए जम्मू से पुंछ को जोड़कर जम्मू को रेलवे जंक्शन बनाने के प्रश्न पर भी उनका मन्त्रालय सक्रिय विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जम्मू-ऊधमपुर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण (इंजीनियरी) सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस सर्वेक्षण की अनुमानित लागत 11.69 लाख रुपये है । इस परियोजना को आरम्भ करने का विनिश्चय नहीं किया गया है तथा यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ग) अखनूर होते हुए जम्मू से पुंछ तक रेलवे लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव इस समय, विचाराधीन नहीं है ।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च अधिकारियों की नियुक्ति

6517. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा किये जा रहे भेदभाव के बार में सरकार को फरवरी, 1978 के दौरान बहुत से कनिष्ठ अधिकारियों ने कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में उल्लिखित बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उच्च अधिकारियों की ऐसी नियुक्तियां कुछ समय पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित की थीं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) अनुमान है कि माननीय सदस्य उन अस्थायी सहायक अधिकारियों का उल्लेख कर रहे हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए थे। इन अधिकारियों से, उनको श्रेणी 1 में स्थायी रूप से खपाने, उनकी सेवा की अवधि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने तथा पदोन्नति की सम्भावनाओं के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Number of vendors Zone-wise

6518. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the rate of commission of vendors, the vending department of the railways and the number of such vendors, zone-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : The rates of commission vary from 2% to 25%.

The strength of Commission Vendors as on 30-6-77 zone-wise was as under :—

1. Central	537
2. Eastern	938
3. Northern	853
4. North-Eastern	385
5. Northeast Frontier	44
6. Southern	332
7. South-Central	204
8. South-Eastern	546
9. Western	176

रेलवे में नई नियुक्तियां

6519. श्री समर गुह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार के गठन के बाद 31 जनवरी, 1978 तक रेलवे में कुशल तथा अकुशल श्रेणियों में नियुक्तियों सहित कितने बेरोजगार नवयुवकों को नई नियुक्तियां दी गई हैं,

(ख) उनके (एक) रेलवे वार (दो) मुख्यालय वार, (तीन) महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशनवार, (चार) अस्थायी अथवा नैमित्तिक (पांच) स्थायी और (छः) नियुक्तियों की विभिन्न श्रेणियों वार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा 1978-79 के दौरान अनुमानतः विभिन्न प्रकार की कितनी भर्तियां किये जाने, की सम्भावना है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ?

पश्चिम बंगाल में तटीय क्षेत्रों में तट-दूर छिद्रण कार्य

6520. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में तट दूर छिद्रण कार्य त्याग दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो (एक) इस छिद्रण कार्य को करने का दायित्व किस कम्पनी ने लिया था। (दो) छिद्रण कितनी गहराई तक किया गया; और (तीन) अधिक गहराई तक छिद्रण कार्य न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में अन्य स्थानों पर (तटदूर) छिद्र कार्य शुरू किया जायगा;

(घ) यदि हां, अथवा यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल तक उड़ीसा तट के समीप बंगाल की खाड़ी में तटदूर तेल पाये जाने की सम्भावनाओं के बारे में वैज्ञानिक आंकड़ों सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) कालसंबर्ग भारत समूह ने पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से दूर अपतटीय क्षेत्र में दो पृथक-पृथक संरचनाओं में दो कुएं और उड़ीसा के एक भाग में क्रमश: 4069 और 4648 मीटर की गहराई तक खुदाई की। इन कुओं में हाईड्रोकार्बन्स का पता न लगने से इन्हें छोड़ दिया गया था और इस दल ने 1-8-1977 को ठेके को समाप्त करने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की। खोदी गई गहराई इन दोनों संरचनाओं में सम्भावी हाईड्रोकार्बन्स की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिये पर्याप्त समझी जाती है।

देश में संयुक्त इण्डों-सोवियत दल द्वारा किये गये तेल तथा गैस की सम्भावनाओं का पूर्वानुमानित मूल्यांकन के अनुसार पश्चिम बंगाल बसिन के लिये तेल तथा मुक्त गैस के पूर्वानुमानित आरक्षणों में से तेल का भाग लगभग 450 मिलियन मी० टन और मुक्त गैस का आरक्षण 2050 बिलियन घन मीटर है। इनमें से लगभग 130 मिलियन मी० टन तेल के वसूली योग्य आरक्षण का पूर्वानुमानित मूल्यांकन आता है और इसमें भूमि से 40 मिलियन मी० टन और अपतटीय क्षेत्र से 90 मिलियन मी० टन० के आरक्षण हैं और मुक्त गस का मूल्यांकन लगभग 1650 बिलियन घन मीटर आता है। उसी अध्ययन अनुसार, महानदी बेसिन से तेल के लिये 5 मिलियन मी० टन और मुक्त गैस के लिये 55 बिलियन घन मीटर का पूर्वानुमानित मूल्यांकन निकलता है। इनमें से वसूली योग्य तेल के लिए 1.5 मिलियन घन मी० टन के पूर्वानुमानित आरक्षणों के मूल्यांकन का अनुमान है।

इस क्षेत्र में भूभौतिकीय सर्वेक्षण और अन्वेषी व्यधन कार्य से उपलब्ध अपतटीय आंकड़ों और तटवर्ती भाग से उसी आंकड़ों का रूसी विशेषज्ञों के दल की सहायता से ओ एन जी सी द्वारा विश्लेषण किया जाता है। इस क्षेत्र में भावी अन्वेषण का कार्यक्रम तैयार करना इस विश्लेषण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

Requirements of various fertilizers

6521. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the total requirement of various fertilizers in the country and the percentage thereof being met from indigenous production;

(b) the extent to which production thereof is likely to increase during the Sixth Five Year Plan; and

(c) the time by which the country would become self-sufficient in the fertilizers ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) The requirement and production of fertilizers during 1977-78 are given below :

(Quantity in lakh tonnes in terms of nutrients)

	Requirement (Estimated)	Production	Percentage of production to requirement
Nitrogen	28.88	20.13	69.7%
Phosphate	8.27	6.70	81%
Potash	4.69	There is no indigenous production of potash (K_2O)	

(b) and (c) Twelve large sized fertilizer projects are presently under implementation as part of a large scale programme for expansion of fertilizer capacity. With the completion of these projects the production by 1982-83, the last year of the Sixth Five Year Plan, is estimated to be 41 lakh tonnes of nitrogen and 11.25 lakh tonnes of phosphate as against an estimated demand of 52.50 lakh tonnes of nitrogen and 16 lakh tonnes of phosphate. In order to reduce the gap and move closer towards self-sufficiency, it is proposed to take up four large sized nitrogenous fertilizer plants based on the gas available from Bombay High/South Bassein structure and one plant based on the gas available from the oil fields of Oil India Limited and ONGC in Assam. Besides, M/s. Nagarjuna Fertilizers are setting up a fertilizer plant at Kakinada in Andhra Pradesh. There is also a proposal from M/s. Indian Explosives Limited fro expansion of the capacity of their existing fertilizer plant at Kanpur.

Indian Railway Conference Association

***6522. Shri Ram Prakash Tripathi :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) when Indian Railway Conference Association was set up and the objective thereof;

(b) the jurisdiction and working thereof at present; and

(c) whether it is proposed to disband it keeping in view the non-utility thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) In the year 1904-05. Its objectives were to (i) frame rules for management of interchange traffic, (ii) to maintain wagon pools, and (iii) to conduct neutral examination of wagons at interchange points between the Company Railways.

(b) All the Government Railways, Light Railways, Port Trust Railways, etc. are members of this Association. The present functions of Indian Railway Conference Association are as under :(i) neutral control examination, (ii) work relating to hire and accountal of wagons, including billing of transactions with Pakistan and Bangladesh Railways, (iii) Commercial Committees, (iv) Publication, collection and collation of information regarding wagon interchange and such other functions as may be assigned to it from time to time. In addition, the Indian Railway Conference Association is now handling the work relating to Metre Gauge interchange which, in due course, is scheduled to be switched on to Board's Computor Centre, as has been done in the case of work relating to Broad Gauge interchange.

(c) Indian Railway Conference Association has many important functions to perform and as such it is not proposed to disband it.

Old Stations in Marathwada Division

6523. Shri Keshavrao Dhondge : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of old stations in Marathwada Division in Maharashtra proposed to be modernised and provided facilities by Government; and

(b) the names of the stations proposed to be renovated and modernised and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) One station viz. Aurangabad, in Marathwada region is proposed to be renovated.

महाराष्ट्र में कुकिंग गैस सिलेंडरों के लिए जमा राशि

6524. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1978 को महाराष्ट्र के विभिन्न एजेंटों के पास कुकिंग गैस सिलेंडरों के लिए कुल जमाराशि कितनी है;

(ख) क्या इस प्रकार की जमा राशि पर ग्राहकों को कोई ब्याज दिया जाता है और किस दर पर;

(ग) क्या यह जमाराशि केवल एजेंटों के पास ही रहती है अथवा इसका कोई भाग सम्बन्धित कम्पनी के पास जमा किया जाता है; और

(घ) ये जमाराशियां किस प्रकार उपयोग की जाती हैं?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग) और (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण (अनुबंध) में दी गयी है।

(क), (ख), (ग) और (घ) तरल पैट्रोलियम गैस (खाना पकाने वाली गैस) के सिलेण्डरों के लिए जमानती रकम जिस पर कोई ब्याज नहीं होता, विपणन कम्पनियों के पास रहती है क्योंकि किसी एक समय प्रति उपभोक्ता, रख-रखाव और लाने जाने के लिए समय आदि को विचार में रखते हुए एक से अधिक सिलेण्डरों की आवश्यकता होती है इसके लिए अतिरिक्त निवेश आवश्यक होता है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं से सिलेण्डरों के लिए कोई किराया नहीं वसूल किया जाता। सिलेण्डर वापस करते समय जमानती रकम लौटाई जाती है। उद्योग की यह एक प्रथा है। विपणन लाभ निर्धारित करत समय तेल मूल्य समिति ने इस प्रथा को विचार में रखा था।

महाराष्ट्र में तरल पैट्रोलियम गैस का विपणन तीन तेल कम्पनियों द्वारा किया जाता है :—ये हैं भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन, लि० तथा कालटेक्स आयल रिफाइनिंग इण्डिया लिमिटेड। भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा तरल पैट्रोलियम गैस का वितरण सीधे ही किया जाता है जबकि हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन तथा कालटेक्स आयल रिफाइनिंग इंडिया लिमिटेड तरल पेट्रोलियम गैस का वितरण छूट ग्राही व्यक्तियों के माध्यम से करते हैं।

सिलेंडर डिपाजिड धन राशि का उपयोग सिलेण्डरों की प्रतिपूर्ति और तरल पैट्रोलियम गैस सुविधा की प्रक्रिया को कार्यकुशल स्तर पर बनाये रखने के लिए तैयार किया जाता है।

भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड सिलेण्डर डिपाजिट अपने ही पास रखते हैं। 1-3-1978 को समस्त भारत में भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एकत्र की गयी और उसी के पास रखी हुई डिपाजिट धनराशि 5.7 करोड़ रुपये थी। महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में ऐसी डिपाजिट के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन का सम्बन्ध है सिलेण्डर डिपाजिट की धनराशि छूट ग्राही व्यक्तियों के पास रहती है जोकि सिलेण्डरों के मालिक हैं। जिसमें हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के निवेश से प्राप्त सिलेण्डर और रेगुलेटर सम्मिलित नहीं हैं। 1-3 78 को महाराष्ट्र में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम गैस के उपभोक्ताओं से 326 लाख रुपये की डिपाजिट थी, जिसमें से 274 लाख रुपये छूट ग्राही व्यक्तियों के पास थे और शेष 54 लाख रुपये हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन के पास थे।

जहां तक काल्टेक्स आयल रिफाइनिंग इंडिया का सम्बन्ध है, इस कम्पनी को सरकारी अधिकार में लिए जाने से सिलेण्डरों की प्राप्ति छूट ग्राही व्यक्तियों द्वारा की जाती है। छूट ग्राही व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गये सिलेण्डरों के लिए 51.36 लाख रुपये की धनराशि छूट ग्राही व्यक्तियों के पास है। इस कम्पनी को सरकारी अधिकार में लिए जाने के बाद इस कम्पनी द्वारा दिए गये सिलेण्डरों के लिए करीब 14.98 लाख रुपये की डिपाजिट इस कम्पनी के पास रखी गयी हैं।

पश्चिम रेलवे में पत्थरों का जमा हो जाना

6525. **श्री चतुर्भुज** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में कोटा, मोड़क, भवानी मंडी, रामगंज मंडी तथा अन्य स्टेशनों पर माल डिब्बों की कमी के कारण उन स्थानों पर पत्थर भारी मात्रा में जमा हो गये हैं जिसके परिणामस्वरूप वहां नियुक्त 15,000 श्रमिकों की छंटनी की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर शीघ्र ही माल-डिब्बे उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) पश्चिम रेलवे पर कोटा, मोड़क, दरा और रामगंज मण्डी पत्थर लदान के मुख्य स्टेशन हैं। भिवानी मण्डी से पत्थर का कोई यातायात नहीं होता। वरीयता के आधार पर अनिवार्य पण्यों की निकासी के लिए, रेलों की वचनबद्धता के अनुसार, बकाया पड़े पत्थर यातायात की यथासंभव शीघ्र ढुलाई के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1977-78 के दौरान पश्चिम रेलवे पर से 13,910 माल डिब्बों मे पत्थरों का लदान किया गया। इस यातायात की निकासी कुछ बकाया रह गयी है जो कि पश्चिम रेलवे पर प्रारम्भिक यातायात की वहन दूरी में भारी वृद्धि के कारण हुई। यह 1976-77 में ढोये गये यातायात के 506 कि० मी० प्रति टन से बढ़कर 1977-78 में 552 कि० मी० हो गयी और इससे माल डिब्बों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

गुजरात को वैगनों का दिया जाना

6526. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान गुजरात राज्य को वैगन गत वर्षों की तुलना में बहुत कम दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या थे ;

(ग) क्या 1 मार्च, 1978 से भी राज्य को वैगन बहुत कम दिये जा रहे हैं और कुछ मामलों में वैगनों की कमी से कांडला से अशोधित तेल का भेजा जाना काफी कम हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य को वैगनों के दिये जाने में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) गुजरात में राज्य रेलवे स्टेशनों पर पिछले वर्ष की तुलना में 1977-78 के दौरान बड़ी लाइन के 9,000 माल डिब्बों और मीटर लाइन के 12,900 माल डिब्बों का अधिक आबंटन और लदान किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले वर्ष की तुलमा में मार्च, 1978 में भी मालडिब्बों का आबंटन और लदान अधिक था। कांडला से कच्चे तेल के संचलन का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Line between Khandwa and Dohad

***6527. Shri Aghan Singh Thakur :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a demand has been made for construction of a new railway line between Khandwa and Dohad via Bhikarngaon, Khargaon and Badwani; and

(b) if so, what action is proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes; a representation has been received for construction of a rail link between Khandwa and Dohad for economic, cultural and commercial development of tribal districts of West Nimar, Dhar.

(b) Khandwa is already connected with Dohad via the break of gauge point at Ratlam, the distance being 370 kms. The proposed direct B.G. line, 290 kms. long, will cost around Rs. 54 crores at the present day prices. It will not be possible to consider the proposal at present on account of severe constraint of resources.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिये गये ठेके और लाइसेंस

6528. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित उनके मंत्रालय, इससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कुल कितने ठेके / लाइसेंस दिये गये हैं और जनता शासन की पूरी अवधि के दौरान इन ठेकों/लाइसेंसों के प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुचन्वित जनजातियों का यदि कोई हिस्सा है तो वह क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : ठेका देने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है । ठेकेदार, उन व्यक्तियों के समुदाय, जिनको ठेका दिया जाता है की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

इस मंत्रालय या उपक्रमों द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किये जाते।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये सिद्धांत

6529. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सरकार द्वारा क्या सिद्धान्त अपनाये जाते हैं ; और

(ख) उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश अल्प संख्याक समुदायों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 217 के उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं।

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण और उनकी नियुक्ति

6530. **श्री वयालार रवि** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधिपति के स्थानान्तरण के बारे में एक संविवाद उत्पन्न हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने न्यायाधीशों के स्थानान्तरण तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में नए मानदण्ड तैयार करने के बारे में कोई प्रस्ताव किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) आपात-स्थिति के दौरान न्यायाधीशों की सहमति के बिना उनके स्थानान्तरण से एक संविवाद उत्पन्न हो गया था।

(ख) न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय को, उनकी सहमति के बिना स्थानान्तरण करने की कोई नीति अपनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, अतः स्थानान्तरण के संबन्ध में कोई मानदण्ड अपनाने के प्रश्न पर विचार करने का कोई अवसर नहीं आया है। जहां तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबन्ध है, यह संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार की जाती है। यह प्रश्न कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई सुधार किया जा सकता है, विधि आयोग को भेज दिया गया है।

बनारस में श्री जगजीवन राम का पुतला जलाये जाने के कथित समाचार के बारे में

RE. REPORTED BURNING OF EFFIGY OF SHRI JAGJIWAN RAM AT BANARAS

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय आज के समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि बनारस में बाबू जगजीवन राम का पुतला जलाया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्व-विद्यालय का उपकुलपति एक गैर ब्राह्मण व्यक्ति को बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार नहीं है जबकि हरिजनों के नेता श्री जगजीवन राम की बेइज्जती की गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखें कि यह यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। संसद इसे बहुत गंभीरता से ले। श्री जगजीवन राम हमारे रक्षा मंत्री है इन घटनाओं के संबन्ध में हम बार बार शिकायत कर रहे हैं। इन अत्याचारों का जारी रहना देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। मेरे सहयोगी श्री वयालार रवि ने इस संबन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए।

श्री हरिकेष बहादुर (गोरखपुर) : उत्तर प्रदेश में एक अत्यधिक आश्चर्य जनक घटना हुई है। राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर यही होगा कि हम नियमों के अनुरूप चले वाद-विवाद करने का भी तरीका है। अभी हमें नियम 377 के अधीन मामलों को भी लेना है। यह कोई शून्य काल नहीं है।

श्री के० गोपाल : (उठ खड़े हुए)

श्री सौगत राय : बनारस में जबकि श्री जगजीवन राम का पुतला जलाया गया........... (**व्यवधान**) यह एक महत्वपूर्ण मामला है................(**व्यवधान**)

श्री दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपकी अनुमति से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। देश में ऐसी घटनाओं का होना बहुत शर्मनाक बात है। श्री राय ने श्री जगजीवन राम को हरिजनों का नेता बताया है। जानबूझ कर ऐसा कहा गया है। आप रिकार्ड देख लीजिए....... (**व्यवधान**)

श्री सौगत राय : यह गलत है मैंने................(**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : क्या उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है भी ?

डा० वंसत कुमार पंडित (राजगढ़) : कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी गई थी उसके बारे में आपने कहा था कि आप उस पर बुधवार को विचार करेंगे; अखबार की रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं कल मैं इस बारे में नेताओं की बैठक बुलाऊंगा और बैठक में इस बारे में चर्चा की जाएगी।

श्री वयालार रवि : (चिरयिंकील) : यह मामला बहुत गंभीर है। प्रश्न केवल श्री जगजीवन रामजी के बारे में ही नहीं है, कई और बातें भी इसमें शामिल हैं कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं दी जा चुकी हैं विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर गोली बारी हुई है लगभग 10-12 लोग तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में मारे गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस की नियत क्या है?

यह कह देने से कि यह राज्य का विषय है हम संतुष्ट नहीं होंगे। यह बहुत गंभीर मामला है। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। इस पर चर्चा की अनुमति दी जाए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

रसायन तथा उर्वरक सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति के गठन के बारे में

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एच० एन० बहुगुणा) : मैं रसायन तथा उर्वरक सम्बन्धी परामर्शदात्री ममिनि के गठन के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा दिनांक 10 अप्रैल, 1978 के मरकारी संकल्प संख्या एल०–16013(4)/78–सी० एच०-II डैस्क की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए। संख्या एल० टी० 2063/78]

ANNUAL REPORT OF THE DEVELOPMENT COUNCIL FOR ORGANIC CHEMICAL INDUSTRIES FOR 1976-77

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : I beg to lay on the table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Development Council for Organic Chemical Industries for the year 1976-77 under sub-section (4) of section 7 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[Placed in the Library please see No. L.T. 2064/78[

नियम 377 के अधीन सूचनाओं के बारे में
Re. NOTICES UNDER RULE 377

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय मैंने नियम 377 के अंतर्गत एक सूचना दी है। तमिलनाडु में बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। कल और परसों मदुरै में गोलीबारी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आपको बाद में मौका दिया जाएगा।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मैंने भी नियम 377 के अधीन एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मामला विचाराधीन है।

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera) : I have also given a notice under Rule 377. 400 houses have been burnt in my constituency. The relief that State Government has provided is very negligible.

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना विचाराधीन है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

5 अप्रैल, 1978 को बेलाडीला लौह अयस्क खान क्षेत्र में पुलिस द्वारा गोली बारी

Shri D. G. Gawai (Buldana) : Sir, I call the attention of the Minister of Steel and Mines to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"Reported police firing at the Bailadila Iron Ore Mines in Bastar on 5 April, 1978 resulting in the death of several workers and injury to many others."

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत दुःख है कि 5 अप्रैल, 1978 को बस्तर जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बैलाडिला की लौह अयस्क की खानों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनमें कई

लोगों की जानें गई हैं। उनमें पुलिस का एक हैड कांस्टेबल भी था और बहुत से अन्य लोग घायल हुए थे। इन घायलों में राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी खनन कार्य कर रहे कामगारों को काफी चोटें आई थीं। इनमें दो व्यक्तियों की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण विभाग के मंत्री श्री बलिराम कश्यप ने पुलिस महानिरीक्षक के साथ 6 अप्रैल, 1978 को घटनास्थल का दौरा किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस घटना की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच करवाई जाएगी। उन्होंने मृतकों, जिनमें हैड कांस्टेबल भी था, के परिवारों को तत्काल 5000 रुपए प्रत्येक परिवार को अनुग्रहपूर्वक अदायगी की भी घोषणा की है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो पुलिस की गोली से घायल हुआ है, 1000 रुपये तथा जो व्यक्ति अन्यथा घायल हुए हैं और अस्पताल में दाखिल किए गए हैं उनमें से प्रत्येक को 250 रुपये दिए जाएंगे।

2. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भी मृतकों के परिवारों को 5000 रुपए प्रत्येक परिवार तथा सभी घायलों तथा अस्पताल में दाखिल व्यक्तियों (लगभग 60 व्यक्ति) में प्रति व्यक्ति को एक हजार रुपये की तत्काल अनुग्रहपूर्वक अदायगी की घोषणा की है। इसके अलावा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम उन सभी लोगों को जिनकी झोपड़ियां जला दी गई हैं, सौ रुपये प्रत्येक परिवार के हिसाब से देगा। ठेकेदार ने भी मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबन्धियों को 1000 रुपये की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की घोषणा की है।

3. यद्यपि हमें न्यायिक जांच समिति के निष्कर्षो की प्रतीक्षा करनी होगी, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य संतप्त परिवारों के प्रति इस सदन की सहानुभूति प्रकट करने में मेरे साथ हैं।

4. जैसा कि मैंने 31 मार्च, 1978 को राज्य सभा में कहा था बैलाडिला में ठेका प्रथा द्वारा मजदूरों से फ्लोट ओर के खनन का कार्य अस्थायी तौर पर उस समय तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान के इस्पात कारखानों को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए दीर्घकालीन करार के अन्तर्गत किये गये वायदों को पूरा करने के लिए यंत्रीकृत खानों से पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होना शुरू नहीं हो जाता। इस करार के अन्तर्गत जापान को बैलाडिला से लौह-अयस्क का निश्चित मात्रा में निर्यात किया जाएगा जो वर्ष 1971-72 में 49 लाख टन से बढ़कर वर्ष 1975-76 में तथा उसके बाद वर्ष 1981 तक 80 लाख टन प्रतिवर्ष होगा।

5. पिछले 2 या 3 वर्षो में संसार भर में इस्पात उद्योग में बहुत मंदी रही है। जापान में यह मन्दी विशेष रूप से है। वहां इस वर्ष लगभग 14 करोड़ टन क्षमता से घटकर लगभग 10 करोड़ टन रह गई है, इसलिए जापान के इस्पात उद्योग ने वर्ष 1978-79 में बैलाडिला की खानों से लौह-अयस्क की 80 लाख टन आयोजित मात्रा के मुकाबले में केवल 60 लाख टन लौह अयस्क लेना स्वीकार किया है। पिछले वर्ष अर्थात् 1977-78 में भी इन्हीं कारणों से जापान ने केवल 60 लाख टन लौह अयस्क लिया था जबकि करार के अन्तर्गत उसे 81.6 लाख टन लौहअयस्क लेना था लेकिन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बैलाडिला में श्रमिकों द्वारा लौह अयस्क निकालने का काम इस आशा से जारी रखा कि वर्ष 1978-79 में जापान अधिक लौह अयस्क खरीदेगा। परिणामस्वरूप खानों पर और विशाखापत्तनम की बन्दरगाह पर 1 अप्रैल, 1978 को बैलाडिला के लौह अयस्क का स्टाक 20 लाख टन तक पहुंच गया है जो अब तक जमा हुए स्टाक से सबसे अधिक है और इससे अधिक स्टाक करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में श्रमिकों द्वारा खनन कार्य को चरणों में अस्थायी तौर पर समाप्त करना आवश्यक हो गया था। इस्पात उद्योग में विश्वभर में अभूतपूर्व मंदी के कारण लौह अयस्क की निकासी के लिए किए गए हमारे सभी प्रयत्न असफल रहे हैं।

6. पिछले 2–3 वर्षो से बैलाडिला में श्रमिकों द्वारा खनन कार्य के चार ठेके चल रहे हैं जिनमें लगभग 7,000 श्रमिक काम करते हैं। इस बात को देखते हुए कि बैलाडिला-5 की नई खान में उत्पादन होना शुरू हो गया है श्रमिकों द्वारा खनन कार्य के इन ठेकों को 1 अप्रैल, 1978 से शुरू करके 12

महीनों में क्रमिक रूप से समाप्त करने की योजना बनाई गई थी। मैसर्स अशोक माईनिंग कम्पनी का ठेका 31-3-1978 को समाप्त हो गया था। इस कम्पनी में लगभग 1375 श्रमिक काम करते थे। दूसरे दो ठेके अगस्त/सितम्बर, 1978 में समाप्त हो रहे हैं और शेष चौथा ठेका 31 मार्च, 1979 तक है। चल रहे ठेकों के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में 15 लाख टन लौह अस्यक दिया जाना है। जैसाकि मैंने पहले बताया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पास पहले ही 20 लाख टन लौह अयस्क का स्टाक जमा हो गया है और उसके लिए मात्र 5 लाख टन और लौह अस्यक रखना कठिन है। जाहिर है कि इन परिस्थितियों में खनन कार्य का जो ठेका 31 मार्च, 1978 को समाप्त होना था उसे आगे बढ़ाना सम्भव नहीं था।

7. फ्लोट और खनन करार की समाप्ति की तारीख समीप आने के कारण मैसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी ने दिसम्बर, 1977 में अपने कामगारों को छंटनी के नोटिस जारी कर दिए थे। इस पर, एक यूनियन-संयुक्त खदान मजदूर संघ यूनियन ने ठेकेदार द्वारा छंटनी के नोटिस वापिस लेने के लिए एक औद्योगिक विवाद खड़ा कर दिया और 10-2-78 को सीधी कार्रवाई करने की धमकी दी। इसके पश्चात् संयुक्त खदान मजदूर यूनियन और मैटल एंड माइन्स वर्कर्स यूनियन ने 10 और 28 मार्च, 1978 के बीच बैलाडिला में क्रमिक भूख हड़तालों, जलूसों और नारे बाजी का सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की यूनियन के नेताओं और पदाधिकारियों के अलावा मार्च के अन्त में बाहर से भी कुछ लोग बैलाडिला में आ गए थे, उन्होंने उत्तेजक भाषण दिए और कामगारों को हिंसा के लिए भड़काया।

8. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबन्धकों ने यूनियन के नेताओं और ठेकेदारों के साथ कई बैंठकें की और उन्हें जापान के इस्पात उद्योग में मंदी आने के कारण उत्पन्न हुई सारी स्थिति बताई। ठेकेदार ने भी लगभग 800 कामगारों को अन्य स्थानों पर अस्थायी तौर पर दूसरा काम देने की पेशकश की। लेकिन संयुक्त खदान मजदूर संघ यूनियन ने 30 मार्च, 1978 से पूर्ण हड़ताल करने का आवाहन किया और 30 मार्च को उन्होंने एक जलूस निकाला और कामगारों को जानबूझ कर पुलिस के घेरे को तोड़ने और दरवाजा तोड़कर प्रशासनिक भवन में घुसने और 'सुरक्षित' क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने के लिए जानबूझ कर भड़काया । 30 मार्च, 1978 की रात को उन कामगारों को जो काम करना चाहते थे और रेल डिब्बों में लदान का काम कर रहे थे डराया-धमकाया गया और उनको काम करने से रोका गया।

9. 31 मार्च को कामगारों के एक दल को महाप्रबन्धक के कार्यालय में घुसने और हुल्लड़ मचाने तथा घेराव करने के लिए भड़काया गया। 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार करना पड़ा। 1 अप्रैल को लौह-अयस्क ले जाने वाली रेलगाड़ियों तथा कामगारों को खानों तक ले जाने वाली बसों को रोकने की घटनाएं फिर हुई। हिंसा पर उतारू भीड़ ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्यालय में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और जब उसे ऐसा करने से रोका गया तो उसने पत्थर फेंकने शुरू कर दिये। हिंसा पर उतारू उस भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

10. इस बीच छंटनी से प्रभावित होने वाले कामगारों को प्रबन्धकों और ठेकेदार द्वारा समझाने बुझाने के प्रयत्नों के बाद कामगारों ने छंटनी के लाभ लेना स्वीकार कर लिया। 1 और 3 अप्रैल, 1978 के बीच ठेकेदार द्वारा रखे गए 1375 कामगार/कर्मचारियों में से, जिनको छंटनी के लाभ मिलते थे, 1327 कामगारों ने उनको मिलने वाली धनराशि ले ली थी और वह अपने-अपने घरों को चले गए थे। लेकिन जैसाकि बाद की घटनाओं से जाहिर है ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों ने स्थित से अनुचित लाभ उठाने और उन कामगारों को, जिनकी छंटनी नहीं की गई थी, भड़काने और आगजनी तथा हिंसा की वारदातें करने के लिए भड़काया।

11. 5, अप्रैल, 1978 को प्रातः से ही यूनियन तथा बाहर के कुछ नेताओं ने कामगारों को हिंसा के लिए और महा-प्रबन्धक के घर का घेराव करने के लिए भड़काया। लगभग प्रातः 7.30 बजे

जब कुछ इच्छुक कामगार अपने-अपने काम पर जाने के लिए इकट्ठे हुए उस समय दूसरे कामगारों की भीड़ हिंसा पर उतर आई और उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। लगभग प्रातः 10 बजे दांतेवाड़ के उप-क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के नेतृत्व में भेजी गई पुलिस की एक पार्टी पर लाठियों और घातक हथियारों से हमला किया गया। उप-क्षेत्रीय दण्डाधिकारी और पुलिस के अन्य 28 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं और एक हैड कांस्टेबल श्री कमल सिंह की बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् कामगारों की एक बेकाबू भीड़ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के महा-प्रबन्धक के निवास-स्थान की ओर बढ़ी और ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों पर हमला कर दिया। बाद में इस क्षेत्र में दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लगाई गई निषेध आज्ञा का उल्लंघन करते हुए लोगों की भीड़ जमा हो गई और उसने पुलिस पर आक्रमण कर दिया और कुछ पुलिस कर्मचारियों से हाथापाई की तथा उनको काफी चोटें पहुंचाईं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के 11 गोले छोड़े परन्तु उससे कोई लाभ न हुआ। आखिरकार मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार आत्म-रक्षा के लिए पुलिस ने 21 गोलियां चलाईं। प्राप्त जानकारी से मालूम होता है कि इन घटनाओं में 11 व्यक्तियों की जानें गईं और कुल 95 व्यक्ति, जिनमें 29 पुलिस कर्मचारी भी शामिल हैं, जख्मी हुए। 60 व्यक्तियों को जिनमें एक मजिस्ट्रेट, 16 पुलिस कर्मचारी और 43 कामगार भी शामिल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया।

12. स्थिति पर काबू पाने के लिये 5 अप्रैल, 1978 को सायं 3 बजे से 24 घंटों के लिये करफ्यू लगा दिया गया था परन्तु रात्रि को 8.30 बजे लोगों की कुछ बेकाबू भीड़ ने दो क्षेत्रों में बहुत सी झोंपड़ियों में आग लगा दी। उसी दिन पानी सप्लाई करने वाली एक पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचाया गया।

13. 7 अप्रैल, 1978 को प्रातः 7 बजे से करफ्यू हटा लिया गया है। राज्य सरकार के प्राधिकारी स्थिति पर सतत् नजर रखे हुए हैं। धारा 144 अभी तक लगी हुई है और पिछले 5 दिनों से किसी भी अप्रिय घटना के बारे में जानकारी नहीं मिली है।

14. यद्यपि मुझे उन कामगारों से जिनको खनन कार्य में कमी होने के कारण बेलाडिला से जाना पड़ा और दूसरे स्थानों पर नौकरी की तलाश करनी पड़ी, पूरी सहानुभूति है तथापि सदन मेरे से इस बात से सहमत होगा कि संसार की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के उतार चढ़ाव से जिनसे हमारे पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है, कामगारों के हितों और उनकी जानों की बिल्कुल परवाह न करके तुच्छ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शरारतपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जा सकती, जैसाकि बेलाडिला में कुछ तत्वों द्वारा किया गया प्रतीत होता है। इस स्थिति को अत्यन्त सावधानी तथा सूझबूझ से सुलझाने की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन मेरे से इस बात पर सहमत होगा कि लौह अयस्क उद्योग में बेरोजगारी की समस्या का, जो संसार की परिस्थितियों से हमारे सामने आ गई है, समाधान हिंसा से नहीं किया जा सकता है।

Shri D. G. Gawai : The workers in iron ore mines depend for their livelihood on the work in the mines. They are very poor people and most of them are Adivasis, Harijans and belong to backward sections of the society. The contractors' action in retrenching these poor people drove them to the brink of starvation. Therefore, their demand for work is most justified and should be conceded to enable them to feed their children. But their voice was not heard and atrocities were perpetrated on them. If the Hon'ble Minister would have called the representatives of the employees and the contractors and assured them that they would be provided with work elsewhere the ugly situation that took place there could have been averted.

The police in our country has become very cruel. When the helpless workers asked for justice, they were subjected to many atrocities. Their huts were burnt and they were rendered homeless. The police opened fire without any provocation and many workers

lost their lives. As per reports appearing in newspapers, as many as 100 workers were killed there.

If the Hon'ble Minister had taken necessary steps before hand, this ugly situation could have been averted.

श्री बीजू पटनायक: श्री गवई जानते हैं कि मैं बैलेडीला गया था और वहां जाकर मैंने यूनियन के नेताओं से बातचीत की थी। विश्व भर में मन्दी के कारण हमारे लोह अयस्क उद्योग के सम एक भारी संकट था और वहां मैंने लोगों को आगाह किया था कि हमें समय समय पर छंटनी करनी पड़ सकती है।

श्री गवई को ज्ञात है कि जिन लोगों की छंटनी की गई है वे आदिवासी ही नहीं थे बल्कि कुछ मेरे राज्य के लोग भी थे। उन्हें छंटनी के लाभ दिये गये हैं। गड़बड़ी उन लोगों ने नहीं की बल्कि अन्य व्यक्तियों --

****श्री बसंत साठे**: यह समस्या लगभग 7,000 लोगों को काम देने के प्रश्न से सम्बन्धित है जापान को हम से प्रतिवर्ष 80 लाख टन लौह अयस्क लेना था वह 1971-72 में 49 लाख टन लौह अयस्क दिया गया और 1975-76 में यह बढ़कर 80 लाख टन हो गया। जब आप इस तरह को दीर्घकालीन व्यवस्था करते हैं तो क्या आप की यह जिम्मेवारी नहीं हो जाती कि वहां पर की करने वाले लोगों के रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए। आज आप कुछ लोगों को नौकरी पर रखते हैं और कल उन्हें मंदी के कारण निकाल देते हैं, तो यह ठीक बात नहीं है।

ठेकेदारों की भी वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था के बारे में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं पहला संविदा 1978 में समाप्त होना था तो इन 1375 कर्मचारियों के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लेकिन खनन उद्योग के इन लोगों के लिए अस्थायी नौकरियों की व्यवस्था भी नहीं की गई जबकि जनता सरकार ने यह वायदा किया था कि वे प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे।

इन 1375 कर्मचारियों में से 1327 ने अपनी मजदूरी प्राप्त की और अपने अपने घर की राह ली। अब आप सभा को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शेष 48 कर्मचारियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सरकार को गोली चलानी पड़ी।

मंत्री महोदय ने कहा कि स्थिति के सामान्य बनाने के लिए 5 अप्रैल, 1978 को दोपहर बाद 3 बजे कर्फ्यू लगाना पड़ा। फिर रात को कुछ समाज-विरोधी तत्वों ने दोनों क्षेत्रों की कुछ झोंपड़ियों में आग लगा दी। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस ने गरीब मजदूरों पर अत्याचार नहीं किये क्योंकि एक हैड कांस्टेबिल की मृत्यु हो गई? और किन्हीं अन्य व्यक्तियों ने कर्मचारियों की झोंपड़ियां जला दीं। सरकार का इस बारे में क्या रवैया है?

अब जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवारों को 5000 रुपये दिये जा रहे हैं। जब वे लोग जिन्दा थे तब आपने उनकी परवाह नहीं की और अब आप उनके परिवार को यह थोड़ी सी राशि देकर शान्त करना चाहते हैं।

आजकल भी कर्मचारी अपने मांगों को पेश करते हैं तो उन पर गोली चला दी जाती है। यह प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक है। कर्मचारियों के विवादों को पहले ही निबटाया जाना चाहिए ताकि गोली चलाने तक की नौबत ही न आये।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by Chair.

मुझे एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि कुछ मजदूर नेताओं की पत्नियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें तंग किया जा रहा है। इसकी जांच की जानी चाहिए, कर्मचारियों में यह भावना होनी चाहिए कि यदि वे शान्ति से रहें तो सरकार हिंसा पर उतारू नहीं होगी।

क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में खानों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी और कर्मचारियों को इस प्रकार नौकरी से नहीं निकाला जायेगा और ऐसी स्थिति फिर पैदा नहीं होगी ?

श्री बीजू पटनायक : पिछली सरकार ने मशीनों के प्रयोग पर बहुत जोर दिया। जो काम आदमी कर सकता था उसको उसके लिए मशीनें लगाई गईं। राष्ट्र के करोड़ों रुपए नइ मशीनों पर खर्च किये गये। ये मशीनें तैयार हैं और ये काम कर रही हैं। इनके बावजूद पिछले वर्ष मैंने इन लोगों को काम पर रखा जिससे बैलाडिला में 20 लाख टन लौह अयस्क जमा हो गया। आज लौह अयस्क का कुल स्टाक 60 लाख टन है।

मैंने कहा कि विश्व के इस्पात उद्योग संकट में है। सो मैंने पहले ही उन लोगों को बता दिया था कि सरकार उनको रोजगार देने में असमर्थ है। सरकार उनके लिए और नौकरियां भी नहीं ढूंढ सकती: यह 7000 मजदूरों का ही सवाल नहीं है। यह करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का सवाल है। वहां पर जो हिंसा हुई वह श्रमिक संघ के नेताओं ने भड़काई थी। उच्च न्यायालय का एक जज इस मामले की जांच कर रहा है और इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

श्री वसन्त साठे : मैंने पूछा था कि भविष्य में एक प्रकार की छंटनी न हो इसके लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बीजू पटनायक : किसी भी लौह अयस्क उद्योग में छंटनी हो सकती है और अस्थायी लोगों को कहीं और काम तलाश करा होगा।

Shri Yamuna Prasad Shastri (Rewa) : It is not correct to say that no Adivasi has been killed there. It is surprising that our steel industry has not been able to utilise the iron ore. Our steel production is less than even 10 million tonnes whereas in a small country like Japan, it is 110 million tonnes and in the U.S.A., it is 210 million tonnes. Still we maintain that the iron ore is lying unutilised in our country and, therefore, we shall have to retrench people. Speaking on the demands for the Steel Ministry I had said that there is need for setting up a mini steel plant at Bailadilla. If you had utilised the iron ore there, the necessity for retrenchment would not have arisen.

The State Government had in the past requested the Central Government to set up a modernised plant there but that request was not accepded to. If the said plant had been set up there, retrenchment of the people could have been avoided. Now the retrenched employees are being asked to find out jobs elsewhere. Hundreds of workers have been shot dead there. If the Honourable Minister had considered the demands of the workers sympathetically, thas situation could be averted.

These 1375 employees should have been provided with alternative jobs. This unhappy situation is the creation of Government. Therefore, the Hon'ble Minister should resign from the Government as he is directly responsible for what happened there.

It is the responsibility of the Government to provide jobs to these workers. Besides, Government should also take steps to ensure that the judicial enquiry into the incident there is held in an impartial manner.

श्री बीजू पटनायक : इस स्थिति का सामना सावधानी से करना होगा। हिंसा से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी।

उन मजदूरों को ठेकेदार द्वारा अस्थायी तौर पर रखा गया था। उन्हें नौकरी देना सरकार के लिए संभव नहीं है ।

मिनी-स्टील प्लांट से भी कोई लाभ नहीं होगा। इसमें लौह अयस्क की जरूरत नहीं होती। मैंने ठेकेदार से कहा है कि कम से कम ८०० लोगों को कहीं और अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाये। ये मजदूर ठेके पर रखे गये थे। अब मशीनें तैयार हो गई हैं जिन पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। इसलिए इन लोगों की छंटनी करनी ही होगी। हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा। ये मशीनें पिछली सरकार की देन हैं। हम इसमें कुछ नही कर सकते। कुछ लोगों को नौकरी से हटाना ही होगा।

Shri Daya Ram Shakya (Farrukhabad) : Government know it before hand that 7000 workers would be rendered unemployed there but still Government took no action to provide alternative jobs to them well in time. The resentment of the workers being retrenched is not unjustified. They did not do any such thing that necessitated the opening of fire there. In the statement of the Hon'ble Minister, it has been said that certain persons who want these to demonstrate, threw stones etc.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[The Deputy Speaker in the Chair]

Did any policeman receive any injury as a result thereof ? When police opened fire, no policeman had received any injury. It cannot be believed that the employees set their own huts on fire. Therefore, this report received by Government is tainted.

The Hon'ble Minister said that these labourers had been appointed on contract basis. Then, is it not the responsibility of the Government to provide work to the contract labour ? The Government has shown utter neglect in this regard. If these 1370 persons had been provided with work, this ugly situation could be averted.

As per the declared policy of the Government, it is the responsibility of the Government to provide work to everyone. Government cannot escape its responsibility. As the matter is *subjudice*, I would not say much in this regard but I would urge upon the Government to take steps to ensure that such incidents do not reccur in future.

श्री बीजू पटनायक : ठेके पर लगे मजदूरों को काम दिलाने की गारंटी नहीं दी जा सकती। जनता सरकार की नीति के अनुसार गांवों में काफी काम होगा। ये लोग गांवों में जाकर काम ढूंढ सकते हैं।

हो सकता है वही ठेकेदार इन मजदूरों को कहीं और काम दे दे। दिल्ली के आस-पास हम हजारों बेरोजगार मजदूरों को देखते हैं। पर क्योंकि उनकी कोई यूनियन नहीं है, इसलिए उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। यह हिंसा यूनियन के नेताओं द्वारा प्रेरित है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : फिर कर्मचारी संघों के नेताओं को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है; जबकि श्री साठे ने यह कह दिया है कि यह कर्मचारी संघ के नेताओं ने नहीं किया है उन्हें कर्मचारी संघ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री बीजू पटनायक : मैंने कसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम अनेक पोतों की अन्धाधुन्ध तथा आत्मघातीपूर्ण बिक्री के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अध्यधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) मैसर्स सिथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड बरेली से हिन्दुस्पान स्टील संयंत्रों द्वारा बेंजीन की सप्लाई का मामला।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहानपुर) : मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विभिन्न संयंत्र मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड बरेली को पिछले 14 वर्ष से बेन्जीन सप्लाई करते रहे हैं। बहुत से टैंक वैगनों में फैक्ट्री को मात्रा से अधिक बेंजीन मिलता रहा है जिसे सिन्थेटिकस एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड ने भी स्वीकार किया है लेकिन इस अतिरिक्त बेन्ज़ीन के मूल्य का भुगतान उपभोक्ता कम्पनी ने नहीं किया। इस्पात और खान मंत्री इसकी पूरी जांच कर रहे हैं तो कम्पनी से व्याज और जुर्माने समेत तुरन्त भुगतान करने के लिए कहा जाये।

(दो) गांधी दर्शन के सात कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का समाचार

श्री वसन्त साठे (अकोला) : समाचार मिला है कि गांधी दर्शन के 103 कर्मचारियों में से सात कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है और 6 पैवेलियनों में से 4 पैवेलियन बन्द कर दिए गए हैं। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। उनके वेतन में भी कमी करने का विचार किया गया है। स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक कर्मचारी की पत्नी ने आत्म हत्या कर ली है। कर्मचारी बिना किसी परिणाम की आशा से पिछले कई दिन से आन्दोलन कर रहे हैं।

(तीन) मदुरै जिले में वेदसन्दूर गांव के कृषकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का समाचार

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै): समाचार आया है कि 9 तारीख को मदुरै जिले के वेदसन्दूर गांव में अपनी कठिनाइयों के निराकरण के लिए आन्दोलन कर रहे खेतिहर किसानों पर पुलिस ने गोली चलाई। यह भी समाचार है कि सेना को भी बुलाया गया। सरकार इस घटना, इसके कारणों और इसके पीछे कौन है, इन सब पर मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें।

(चार) भारतीय रेलों में अस्थाई कर्मचारियों की सेवा शर्तें।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़): मैं सदन का ध्यान भारतीय रेलों के अस्थायी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये कर्मचारी लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के बाद भर्ती किए गए थे। इन कर्मचारियों और सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों की वरिष्टता में और इन्हें स्थायी करने में भेद भाव बरता गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में अस्थायी अधिकारियों के अधिकार भी सीधे भरती किए गए कर्मचारियों के बराबर करने सम्बन्धी बात को स्वीकार किया है। आपात स्थिति के दौरान संस्थापना संहिता में किए गए अवैध संशोधन को समाप्त करने हेतु न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही न करने की सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्यवाही की जाये।

बजट सामान्य अनुदानों की मांगें 1978-79

BUDGET GENERAL DEMANDS FOR GRANTS 1978-79

(एक) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(दो) संस्कृति विभाग (जारी)

Shri Ram Naresh Kushwaha (Salempur) : Education has been the most neglected subject during the last 30 years. It is a well known fact that under the present system of education, educational institutions are simply producing slaves in the form of lovers of white-collor jobs and are only increasing the number of educated unemployed including all kinds of indiscipline.

The previous Government first talked of fundamental change in the education policy and then of bringing a radical change in it, but in practice nothing was done. Merely 10+2+3 system has been introduced by them, which is not at all suitable to this country from the point of view of load of subjects and the facilities available here. The experiments conducted by Gandhiji in the field of education and those made in Kashi Vidyapeeth, Gujarat Vidyapeeth, Shanti Niketan and Gurukul Kangri have never been tried here by the Education Ministry.

There is no use of going on creating an army of educated unemployed. Employment oriented education should be provided after High School or Intermediate examination. Agricultural Colleges should be opened at places where students can do practical work. Similarly technical institutions should be set up in areas where students should be made to work compulsorily in the adjoining industries and thus participate in production.

Janata Party leaders, on the one hand, are saying that good provisions in the 42nd Constitution Amendment may be retained whereas on the other the Education Minister has declared that the subject 'Education shall not be retained in the Concurrent List. By this step taken by this Gvernment the teachers in various parts of the country have started agitation. It is not the right time to remove education from the Concurrent List.

The Janata Party also promised to provide equal apportunities of education to all and to abolish Public Schools to achieve this end. On the contrary the Minister wants to retain them. The people of this country will not tolerate it for long.

The present system of examination is one of the main causes of discontentment and disturbance. Linking the results of Examination with employment is resulting in adoption of unfair means by students. For Employment, examinations should be taken separately and those who qualify in those should be recruited.

A national wage policy should be framed for teachers. It would be better if a national wage policy is framed for all the employees so that persons possessing same qualifications do not get different pay scales in the different fields of services. Pay scales should be job-oriented and not qualification oriented.

English should be discontinued as medium of education and Hindi and other regional languages should take its place.

Free railway passes should be issued to the students who have to travel daily for going to their institutions of education.

Casteism and corruption are rampant in Banaras Hindu University. Serious efforts should be made to root them out from there.

प्रो० दलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) शिक्षा प्रणाली के बारे में हमारा दृष्टिकोण नया होना चाहिए और उसका ढांचा भी बदला जाये। भारतीय परिस्थितियों में अभी भी गांधी जी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों का महत्व है। लेकिन अभी तक उन्हें लागू करने के लिए गंभीरता से प्रयत्न नहीं किए गये, फलस्वरूप हमने शिक्षा में विघटनवादी प्रवृत्तियों को ही उभारा है। शिक्षा की 10+2+3 की नई प्रणाली तभी सफल हो सकती है कि जब हम सभी स्तरों पर गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को लागू कर सकें।

लोक नायक श्री जय प्रकाश नारायण ने देश में इस विषय पर वाद-विवाद आयोजित किये जाने पर बल दिया है, ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन पर राष्ट्रीय विचारधारा का पता चल सके। इसके बिना 'पूर्ण क्रांति' का नारा केवल राजनीतिक पैंतरेबाजी बन कर रह जायेगी।

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में इस बात पर बल दिया गया है कि देश के सभी भागों में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सरकारी स्कूलों में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू की जाये। लेकिन रिपोर्ट मिलने के 12 वर्ष बाद भी हम इस आदर्श से दूर हैं।

स्कूल में छात्र 4 भागों में बंटे हुए हैं। बुनियादी शिक्षा किसानों के बच्चों के लिए है और उच्च शिक्षा वे सभी साधारण स्कूलों में पाते हैं तथा उच्चतर शिक्षा मध्य वर्ग के लोगों के लिए है जबकि मंत्रियों के बच्चे पब्लिक स्कूलों या विदेशों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह बहुत गंभीर स्थिति है जिससे देश में विघटनतावादी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं

1977 की जनगणना के अनुसार देश में 43 करोड़ लोग अशिक्षित हैं जिनमें से 18 करोड़ व्यस्क अशिक्षित हैं। गत वर्षों में पढ़े लिखों की संख्या जरूर बढ़ी है लेकिन अनपढ़ों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वयस्क अशिक्षित के लिए एक जोरदार कार्यक्रम चलाया जाये जिसे 5 वर्षों में लागू किया जाये। इस प्रयोजनार्थ गांवों का एक समूह बनाया जाय और प्रत्येक समूह में अपेक्षित वयस्क शिक्षा केन्द्र बनाये जायें। इस कार्य में साहस और शिक्षा के लिए अधिक निधि की जरूरत है। मुझे आशा है कि शिक्षा मंत्री नयी शिक्षा प्रणाली के बारे में साहसिक कदम उठायेंगे और देश की राजनीति से इस धब्बे को दूर करेंगे।

हमारे देश में 16 करोड़ लोगों को आरम्भिक शिक्षा की आवश्यकता है। वर्ष 1971 में सभी श्रेणियां के 6 करोड़ विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी और अब यह सुविधा 7 करोड़ विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई गई है। शेष 9 करोड़ लोगों का क्या होगा? उनकी आरम्भिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा या सर्वकालिक शिक्षा के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो की जानी चाहिए। यदि हमने शीघ्र ही इस दिशा में कुछ न किया, तो हम इस विकट समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे।

देश से निरक्षरता को दूर करने के लिए सेवा निवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक ऐसा संगठन है जिसे हर वर्ष निरक्षरता को दूर करने के लिए धनराशि दी जाती है परन्तु यह संगठन उपयुक्त कार्य नहीं कर रहा है। प्रत्येक वर्ष यह संगठन उन्हीं आंकड़ों की पुनरावृत्ति कर देता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह बात हर वर्ष न हो।

देश में 104 विश्वविद्यालय तथा नौ संस्थान हैं जिन्हें विश्वविद्यालयों के अनुरूप ही माना जाता है इन सभी के समक्ष अनेक समस्याएं हैं। इस समय बिहार में एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो खुला हो। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने अपने सेवाकाल में वृद्धि करवाने के उद्देश्य से अपने प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक उप-महानिदेशक की आयु 2½ वर्ष कम कर दी है यद्यपि इस व्यक्ति ने 38 वर्ष पहले मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कदाचारों का यही एक मामला नहीं है। अतः ऐसे अनेक मामले वहां हुए हैं। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस विश्वविद्यालय के पिछले 10 वर्ष के अध्यापन, प्रशासनिक तथा वित्तीय पहलुओं की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए।

तथ्य तो यह है कि सभी विश्वविद्यालयों तथा विशेष रूप से आपातकालीन समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि विश्व भारती अधिनियम को शीघ्र लाने का प्रयत्न करें। इस अधिनियम को तैयार करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसमें अध्यापकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो तथा निर्वाचन सिद्धांतों को भी प्राथमिकता प्रदान की जाये ।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद समग्र रूप से हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाई हैं। परिषद के जो अधिकारी देश में इधर-उधर दौरा करते हैं, उनके यात्रा तथा मंहगाई भत्ते पर खर्च की जाती है तथा उसे प्रकाशनों या शोध प्रकाशनों पर खर्च नहीं किया जाता । यदि परिषद् पर वही अकुशल तथा बेईमान लोग हावी रहते हैं जिन्हें परिषद् के अनियमित तरीकों से लाया गया था, तो परिषद् के कार्यकरण में सुधार की आशा नहीं की जा सकती। मंत्री महोदय, को यह आश्वासन देना चाहिए कि ऐतिहासिक परिषद की स्थिति सुधारने के लिए समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुकन्द मंडल (मथुरापुर) यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी हमारे देश के समक्ष कोई शिक्षा नीति नहीं है। निरक्षर लोगों की प्रतिशतता अभी भी काफी अधिक है। हम शिक्षा के क्षेत्र में निश्चय ही बहुत पिछड़े हुए हैं।

सरकार को उपयुक्त शिक्षा नीति बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिएं जिसके फलस्वरूप शिक्षा का शीघ्र विस्तार हो सके तथा निरक्षरता को समाप्त किया जा सके। स्त्रियों के अधिकारों की उचित सुरक्षा की जानी चाहिए ।

लोगों को शिक्षा देने का दायित्व राज्य सरकारों का होना चाहिए तथा उसमें होने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

आज भारत में विद्यार्थियों में काफी असंतोष व्याप्त है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे युवक तथा युवतियों को शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारी शिक्षा रोजगार प्रधान होनी चाहिए। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को उपयुक्त कदम उठाने चाहिए नहीं तो ऐसे ही असंतोष व्यक्त करते रहेंगे जैसे कि वह पिछले दिनों से कर रहे हैं।

देश की शिक्षा पद्धति में उपयुक्त सुधार किये जाने चाहिये । मेरे दल ने एक दस्तावेज़ परिचालित किया था जिसका शीर्षक था "पीप्लज प्लेन फार ऐजूकेशन" । यदि मंत्री महोदय चाहें तो वह इसका उपयोग कर सकते हैं । शिक्षा नीति बनाते समय सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । 11 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिये ।

प्रौढ़ शिक्षा के कार्य की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । इस कार्य के लिये उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही प्रौढ़ आयु वाले बच्चों को खेलों आदि में भाग लेने के अवसर भी प्रदान किये जाने चाहिये ।

इस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दसवीं तक या उससे आगे तक शिक्षा प्राप्त करने के उपयुक्त अवसर उपलब्ध हो सके । प्राथमिक स्तर तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

हमारे देश में स्त्रियां सदा ही सामाजिक असमानताओं तथा भेदभाव के कारण दुख पाती चली आई हैं, इन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिये तथा स्त्रियों को उनका उपयुक्त स्थान दिलाया जाना चाहिये।

Shri Vijay Kumar Malhotra (Delhi-South) : The Minister of Education deserved appreciation for the work done by him during the last one year. But it should be understood that no Education Minister would be able to bring improvements in the field of education with decreasing provision of funds. The allocation for education had been reduced from 7.2 per cent in the First Five Year Plan to only 1.9 per cent of the total plan expenditure in the first year of 6th Plan. More funds should therefore, be provided for education if new schemes for changes in the system were to be implemented fully. It would also be in accordance with the national educational policy, approved by Parliament, which laid down that the aim should be gradually to increase the investment on education so as to reach a level of expenditure of 6 per cent of the national income as early as possible.

Our national education policy contemplated that Government would review every five years the progress made and recommend guidelines for future developments. But no such review had been undertaken even after a lapse of 10 years.

As regards 10+2+3 system, it was approved by the Education Commission and accepted in the national education policy. There was no weakness in this system. The defects were in its 'implementation' the difficulties were being faced only on account of subjects, courses and text books prescribed. It would not be good to change the pattern every now and then. The Minister should clearly state as to what his future policy would be.

I am one with those who demand abolition of public schools. But in these 10 years, the number of public schools had increased by 5-7 times and in no school admission are being made on the basis of merit only. If it is not possible to abolish public schools, at least they should be frozen to their present number.

Education should be imparted in regional languages. English loving people have created hinderances in the preparation of translated version of text books in regional languages. This should be looked into.

Recommendations made by the Committee on Standards of Education appointed by U.G.C. in 1961 have not been implemented. Steps should taken to see that these recommendations are implemented as early as possible.

***श्री आर० कोलनथाईवेल** (तिरुचेंगोड़) : विश्व के अन्य देशों की तुलना में हम शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और आर्थिक दृष्टि से अल्प-विकसित हैं। हमारा ध्येय शिक्षा को सुधारने के लिये आवंटित धन को सावधानीपूर्वक खर्च करने का होना चाहिये।

हम अभी तक औसत से ऊपर बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम बनाते आए हैं। यदि हम उनमें निरक्षरता को समाप्त करना चाहते हैं तो हमारा शैक्षणिक पाठ्यक्रम आम लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं होनी चाहिए। मंत्री महोदय एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करने के मामले पर ध्यान दें जो हमारे लोगों को इज्जत से जीवन निर्वाह करने के लायक बना सकें। शिक्षा समस्याओं को हल करने के बारे में रवैये के प्रति मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिक्षा पद्धति में आमूल मूल परिवर्तन करने से पूर्व हमें लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसी तरह से देश के 65 प्रतिशत नवयुवकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा विदेशों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का पता नहीं है। उनको यही पता नहीं होता कि इसके लिए किसे मिलना है तथा औपचारिकताओं को कैसे भरना है। उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत की जानी चाहिए। छात्र-

वृत्तियों तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि नवयुवक उनसे लाभान्वित हो सकें ।

दुर्भाग्यवश हमारे शिक्षा स्थल राजनीति के अड्डे बन गए हैं । अतः राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए कि वे शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश न करें । छात्रों को राजनीति त्याग देनी चाहिए और उन पर राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए ।

जानबूझकर अथवा अनजाने में शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है । जनता सरकार ने आश्वासन दिया था कि शिक्षा को समवर्ती सूची से निकाल दिया जाएगा इसलिए अब शिक्षा को समवर्ती सूची से निकाल दिया जाना चाहिए ।

शिक्षा का उद्देश्य केवल बड़े-बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना चाहिए अपितु उसमें नवयुवकों में उत्साह पैदा करने की क्षमता भी होनी चाहिए । समूचे देश के लिए एक समान पाठ्यक्रम रखना व्यावहारिक नहीं है । शिक्षा में स्थानीय लोगों की प्रतिभा का उपयोग किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त यह स्थानीय प्रतिभाशाली लोगों के अनुकूल होनी चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की आवश्यकता के बारे में हमें आत्मसंतोष नहीं होना चाहिए ।

हमारा उद्देश्य शिक्षा का स्तर अच्छा करने का होना चाहिए । शिक्षा प्रदान करने के अवसर बढ़ाये जाने चाहिए और देश से निरक्षरता को दूर करना चाहिए ।

श्री ए०ई० टी० बैरो (मनोनीत आंग्ल-भारतीय) : संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संस्थाओं की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने का उपबन्ध है । शिक्षा के संबंध में अल्पसंख्यकों को दिया गया संरक्षण उचित तथा निश्चित है । यहां तक कि डा० अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी अल्पसंख्यक को शिक्षा संबंधी संस्थाओं की स्थापना करने से नहीं रोका जायेगा । अल्पसंख्यकों को अपने इस अधिकार का उपयोग करने के लिए समय-समय पर न्यायालय में जाना पड़ता है । यह आवश्यक नहीं होना चाहिए । मैं शिक्षा मंत्री को पूछता हूं कि अब वह अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखकर दिल्ली शिक्षा अधिनियम के नियमों पर पुनः विचार करें ।

नियम 59 के अनुसार अल्पसंख्यकों को गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के मामले में शिक्षा निदेश उस अल्पसंख्यक समुदाय के दो व्यक्तियों को मनोनीत करेगा । किन्तु उच्चतम न्यायालय ने इस बात को अस्वीकार कर दिया था लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है । इसी तरह गुजरात राज्य के अहमदा-बाद में सेंट अज्जवियर कालेज के बारे में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा है कि प्रबन्ध निकाय में बाहरी व्यक्तियों को रखने से अल्पसंख्यकों द्वारा चलाये जाने वाली संस्थाओं के प्रशासन में अतिक्रमण होता है । अतः मंत्री जी को इन नियमों में सुधार करना चाहिए ।

दिल्ली में स्कूलों को केवल अस्थायी मान्यता दी जा रही है । जहां तक 10+2 प्रणाली का संबंध है, हमने एक ऐसी प्रणाली की योजना बनायी है जिसका सभी शिक्षा शास्त्री अनुमोदन करेंगे । आदि से शाह समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया और इस बात पर विचार किया गया कि क्या 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए या इस चरण पर एक परीक्षा होनी चाहिए । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आठवीं कक्षा के पश्चात् एक परीक्षा करना वांछनीय नहीं है ।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

*Summarised Hindi version of English translation of the speech delivered in Tamil.

केवल दिल्ली में ही नहीं, अपितु समूचे देश में सभी स्कूल दस जमा दो की शिक्षा प्रणाली के बारे में ठोस निर्णय चाहते हैं । यदि इस संबंध में ठोस वक्तव्य दे दिया जाये तो इससे देश के हजारों बच्चों तथा उनके मां बापों को राहतें मिलेंगी ।

Shri Bhanu Kumar Shastri (Udipur) : It was hoped that the education system of India would improve after independence. I feel that those responsible for laying down policy of education did not have clear conception of education. It is like a artist going to make a sketch of a idoldoes not having the clear image of the idol. There is lawless-ness in colleges and universities.

Who has given the thoughts of untouchability and regionalsim. Why don't we think in terms of one India and live like its citilzens? Then only we can bring National integration. There is good deal of talk about emotional integration in the country, but it appears that our basic approach to bring it about through the medium of education is wrong. As a result our student community is destroying their own National property.

The Minister of Education deserves congratulations for introducing reforms in the educational system during the last one year. But the changes that were introduced are incomplete. We have not created among our students a sense of dignity of labour. At the same time, we have not imparted labour Oriental Education to our youths. Such kind of education will not inculcate among our youths the desired values. So our educa-tional system still requires a good deal of overhauling.

Our primary teachers should be highly qualified teachers. It is not fair that only matriculate or J.T.C. teachers should be entrusted with the jobs of teaching our boys at the primary stage.

In spite of large number of educational Commissions and Committees to suggest the reforms in our educational system, there is no season as to why we cannot impart high moral education to our students. As a result, there has been a good deal of moral degradation in our country during the last 30 years.

A climate of uncertaintity is today prevailing in the field of education due to incep-tion of 10+2+3 pattern. It should be removed and a clear cut policy should be placed before the country.

Sanskrit should not be treated as a language only. It should be given its due place in our educational corriculum.

Corrupt persons should not be appointed as Chancellors or Vice-Chancellors of our Universities. Such persons cannot build the character of our students and our Nation. If anything wrong on the part of any Chancellor or Vice-Chancellor comes to Minister's notice, he should immediately remove him from his post.

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगें वास्तविक रूप से निराशाजनक हैं । 12,000 करोड़ रुपये में से केवल 4 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग, समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग पर खर्च किए गए हैं । समूचे देश में प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी पद्धति पर कोई व्यय नहीं किया गया है । प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी केवल कुछ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

आज भी गांवों तथा अंचलों में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं । सरकार को गांवों में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए । गांवों में शिक्षा विस्तार के लिए हमें अभी भी 11 लाख प्राइमरी अध्यापकों की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए धन प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । तीन-भाषा सूत्री फार्मूला प्राइमरी स्कूलों में भी लागू किया जाना चाहिए । कालेजों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाने चाहिए, वहां हिन्दी पढ़ाई जानी चाहिए । गांव में प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में पुस्तकालय, रेडियो तथा टेलीविजन की व्यवस्था की जानी चाहिए । स्वतन्त्रता के

30 वर्षों के बावजूद भी आज हमारे देश में निरक्षरता का बोलबाला है । अतः विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों तथा कालेजों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सरकार को अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए ।

तकनीकी शिक्षा के लिए केवल 26 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । हमारे 80 प्रतिशत स्नातक हमारी दोषपूर्ण नीति के कारण बेरोजगार हैं । अतः रोजगार प्रधान शिक्षा योजना के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

स्कूलों तथा कालेजों में अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए । इसका एक कारण यह है कि राजनीतिक दल छात्रों को राजनीति में खींच लेते हैं । अतः छात्रों में राज-नीतिक भावनाएं पैदा नहीं की जानी चाहिए ।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : Our educational experts have time and again suggested that the number of examinations should be reduced. But this suggestion has not been implemented so far. In spite of expenditure to the tune of hundred of crores of rupees in the field of education, our educational system has failed to achieve the desired objects. Now one can find that even though sufficient grants have been given to schools for enforcing higher secondary system and the latest 10+2+3 system, the desired objective has not been achieved and the students have to waste more time in their educational career.

The standard of sports and the games has deteriorated. Now the physical education has been made compulsory in Punjab but there are no adequate arrangements for teachers imparting physical education there.

Before introducing any new scheme in the field of education, it must be seen that adequate funds are made available for implementing it.

The standard of teachers who impart training to the students must be raised.

No haste should be made in the implementation of 10+2+3 system of education If deep thought should be given to it and only then it should be implemented.

श्री चरण नरजरी (कोकाझार) : हमारी शिक्षा का ढांचा स्तूपाकार है, जिसमें सबसे ऊपर विश्वविद्यालय है, और आधार पर वृहत्त आयाम है तो प्राथमिक स्कूलों के रूप में असंख्य स्तम्भों के सहारे खड़ा है । हमारी शिक्षा का स्तर गिरा है क्योंकि उचित देखभाल की कमी के कारण शिक्षा के आधारभूत स्तम्भ कमजोर हो रहे हैं । अतः शिक्षा मंत्री को प्राथमिक शिक्षा की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए ।

हमारे देश में एक समान नीति नहीं है । विभिन्न राज्यों ने भिन्न-भिन्न शिक्षा नीतियां अपनाई हैं । समान शिक्षा नीति के अभाव के कारण समूचे देश में आम छात्रों के शैक्षणिक जीवन पर गम्भीर प्रभाव डाला है ।

हिन्दी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और इस बात पर कोई मतभेद नहीं है । परन्तु इसके साथ साथ अंग्रेजी भी सम्पर्क भाषा के रूप में भारत में रहनी चाहिए । अंग्रेजी भाषा तब तक रहनी चाहिए जब तक कि इसका स्थान हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी नहीं ले लेती ।

विभिन्न राज्यों में आदिवासी भाषाओं को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । देश के उन भाषायी ग्रुपों को, जिनकी अपनी स्वयं की लिपि नहीं है, देवनागरी लिपि दी जानी चाहिए ।

आसाम में बोडो भाषा बोलने वाले लोगों ने बोडो भाषा के लिए देवनागरी लिपि को स्वीकार किया है । बोडो लोगों की भाषा को 1963 में प्राइमरी स्टेज पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता दी गई थी । प्रबल आन्दोलन के बाद बोडो भाषा को 1968 में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा

के माध्यम के रूप में मान्यता दी गई। 1976 में बोडो भाषा को गोहाटी विश्वविद्यालय द्वारा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

आसाम में बोडो माध्यम वाले छात्रों के लिए 3000 से अधिक प्राथमिक स्कूल और 200 माध्यमिक स्कूल हैं। अधिकांश स्कूल बिना अध्यापकों, बिना सरकारी सहायता, बिना स्कूल भवनों के चल रहे हैं और राज्य सरकार भी इस समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है। समय-समय पर बोडो साहित्य सभा ने राज्य सरकार को तथा केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन भेजे किन्तु किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया।

देवनागरी लिपि चालू की गई है, परन्तु बोडो माध्यम से पढ़ाने वाले अध्यापकों को देवनागरी लिपि की जानकारी नहीं है। बोडो माध्यम के अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इसके लिए विशेष प्रबन्ध किए जाने चाहिए। मेरे अपने टाउन में एक बेसिक प्रशिक्षण स्कूल है जहां पर बोडो माध्यम के अध्यापक प्रशिक्षण पाते हैं। उस स्कूल को देवनागरी लिपि के लिए पूर्ण रूपेण प्रशिक्षण केन्द्र में बदला जाना चाहिए।

शिक्षा को एक केन्द्र का विषय बनाया जाना चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं है तो इसे एक समवर्ती विषय बनाया जाना चाहिए, परन्तु राज्य विषय नहीं।

शिक्षा मंत्री को आसाम में बोडो माध्यम की शिक्षा के उचित कार्यान्वियन के लिए अलग से धनराशि का आवंटन करना चाहिए क्योंकि आसाम में वर्तमान शिक्षा विभाग इस संबंध में उत्पन्न समस्या का हल करने में सक्षम नहीं है। इसी कारण बोडो साहित्य सभा बोडो माध्यम में शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय की मांग कर रही है।

प्रत्येक वर्ष बोडो माध्यम से पढ़ने वाले बहुत से बोडो छात्र हाईस्कूलों से शिक्षा प्राप्त करके बाहर आते हैं। उनके लिए कालेजों में उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि कालेजो में बोडो माध्यम नहीं है। इन लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में कालेजों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री वसंत साठे (अकोला) : 1977-78 में समाज कल्याण के लिए केवल 12.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि 20 पैसे से भी कम प्रति व्यक्ति बैठता है। समाज कल्याण विभाग को देशभर के समस्त बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम, महिलाओं के कल्याण, असहाय महिलाओं के पुनर्वास, वयस्क शिक्षा, खेलकूद और अन्य विभिन्न समाज कल्याण गतिविधियों के लिए ध्यान देना होगा। अतः इस विभाग के लिए यह राशि अपर्याप्त है। हमें कुछ सामाजिक कल्याण उपायों के प्रति युक्तियुक्त पूर्ण रवैया अपनाना चाहिए।

मद्य निषेध आवश्यक है। लोगों को शराब पीने की आदत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शराब बुरी चीज है। आज तक विश्व के किसी भी भाग में मद्यनिषेध पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। हमारे देश में कुछ राज्यों में मद्यनिषेध लागू किया गया किन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। जिस ढंग से आप मद्य निषेध लागू करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी।

आज हमारे देश में निस्सहाय महिलाओं को अपना तन-बदन बेचना पड़ रहा है। यह एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है।

अपने देश में जहां कहीं भी मद्यनिषेध लागू किया गया है, वही असफलता हाथ लगी है। मैं समझता हूं कि पूर्ण मद्यनिषेध की बात असफल हो जायेगी।

संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी में पिछले 4 वर्षों में कोई नियमित सचिव नहीं रहा है। संगीत नाटक अकादमी में एक संयुक्त सचिव को उप-चैयरमैन बनाया गया है। यह बहुत ही

अजीब घोटाला है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देकर इन दोनों सगठनों का मूल्यांकन करना चाहिये तथा स्थिति में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिये ।

Shri S. S. Das (Silamastu) : It has been stated in the Ministry's annual report that 10+2+3 system has been accepted by all and it would be implemented. But in today's Indian Express it has been published that this system will be scrapped soon and in it's place 8+4+3 would be introduced. The Government should have a clear cut policy on education and that policy should be implemented.

In accordance with the manifesto of the Janata Party, the Government is laying stress on primary education, school education and adult education. The Minister deserves all praise for this policy.

It has been stated in the report that 87 per cent of school going children are going to schools. This figure is wrong. Majority of children of weaker sections do not go schools because of economic compulsions. Unless this problem is tackled we could not make much headway in primary education.

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : The Education Ministry had not been allocated adequate funds. More money should be provided for this Ministry so that country's need of education are met properly. At least 10 per cent of our budget should be earmarked for education.

Education of girls in our country has been neglected. If we want to build up our country we should pay due attention to education of girls. In rural areas there are not enough High schools to provide proper education to girls. The Minister shculd pay serious attention to this matter.

There is widespread illiteracy in our country. 70 per cent of our people are illiterate and do not understand the political and economic problems of the country. If we want to preserve democracy in our country it is necessary to spread more and more education. Unless we make primary education compulsory we would not be able to tackle the problem of illiteracy.

Our Government has laid down its economic policy. Similarly a national policy on education should be formulated.

It is good that the Government have formulated a programme of adult education. We should take up the programme of spreading literacy on war-footing. Help of religious, social, political and other organisations should be taken in this task. Services of students should also be utilised. We should have an education army to banish illiteracy from our country. Boards should be set up at Central, State, District and Block levels for proper implementation of adult education programmes.

University education should be restricted to only brilliant students who really deserve it. Other students should be given vocational training after eighth class, so that they could go to industrial field.

There is a text book for 11th class students which gives wrong historical information about Aryans. It is written in that book that Aryans ate beef etc. All this is wrong. The Minister should look into the matter and take immediate steps to stop teaching of wrong history.

***श्री ए० सुन्ना साहिब** (पालघाट) : यह तो मानी हुई बात है कि देश की प्रगति के लिए निरक्षरता सबसे बड़ा अवरोध है । स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्षों के बाद भी हम देखने हैं कि प्राथमिक शिक्षा की भी उपेक्षा की जा रही है । 6 वर्ष से 11 वर्ष के आयु के बच्चों को अधिकाधिक शिक्षा की सुविधाएं देने की महती आवश्यकता है ।

मुझे खेद है कि अनुसन्धान कर्ताओं ने 10+2+3 या 8+4+2 के बारे में विवादास्पद निष्कर्ष लिए हैं और मानवता के उभरते हुए पुरुषों को अपनी सनक का शिकार बनाते हैं । शिक्षा पद्धति के लिए

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Hindi version of English translation of the speech delivered in Tamil.

व्यवसायीकरण एकमात्र मापदण्ड होना चाहिए और इसी से ही भविष्य में राष्ट्र की सहायता की जा सकती है ।

जहां तक अल्पसंख्यकों की शिक्षा का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश में अधिकतम मुसलमानों की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मुसलिम कालेजों और स्कूलों में 50 प्रतिशत छात्र गैर-मुसलमान समुदायों के होते हैं । सका मुख्य कारण इस अल्पसंख्यक समुदाय में आर्थिक पिछड़ापन है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को और अधिक शिक्षा सुविधाएं दी जायें ।

पिछली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली तमिल पुस्तक ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य नहीं है । इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सम्बन्धित क्षेत्र की भाषा और संस्कृति से अनभिज्ञ लोगों को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने के लिए समिति में शामिल किया गया था ।

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले और इसे गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों का समुचित सम्मान नहीं किया जाता है । उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में बिलियर्ड चैम्पियनशिप जीत कर राष्ट्र को गौरव प्रदान किया था । लेकिन उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने बधाई सन्देश तक नहीं भेजा है । जब वह देश में वापस आया तो उसकी इस विजय को मान्यता तक नहीं दी गई और मंत्रालय के खेल-कूद विभाग द्वारा उसके लिए कोई स्वागत समारोह का आयोजन तक नहीं किया गया । खिलाड़ी देश राष्ट्र के मेरूदण्ड होते हैं और उन्हें उचित देय सम्मान दिया जाना ही चाहिए ।

देश के राष्ट्रीय प्राचीन स्मारकों की ओर पुरातत्वीय विभाग का बहुत ही उदासीन रवैया है। मेरे पालघाट चुनाव क्षेत्र में 400 वर्ष पुराना किला है जिसे टीपू सुलतान द्वारा बनाया गया बताया जाता है । अब इसकी बहुत ही जर्जर स्थिति है और इस किले की देख रेख करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है । ऐसे स्मारकों की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

Shri Chandra Shekhar Singh (Varanasi) : Through the present system of education we will not be able to bring the desired development in the country. It is rather this system which had resulted in an atmosphere of unrest throughout the field of education in the country. It is a matter of regret that even after 30 years of the attainment of independence, the system of education in the country has not been changed.

Lord Macaulay introduced English in India with the objective of smooth functioning of British regime in the country. Our language was declared poor. Crores of our countrymen became victoms of the inferiority complex for want of knowledge of the English language. The English language still continues to enjoy the same importance. English language is still prevalent in courts and even in Parliament. Our Constituent Assembly committed the first mistake when it specified a period of 15 years for removal of the English language from our public life. It was because of this that another mistake was committed by Lok Sabha when it passed a resolution for indefinite continuance of the English language.

If we are to achieve all round development of the country with the required pace, we would have to change our language policy. We will have to come out of the grip of the trinity of English loving politicians, businessmen and bureaucrats and would have to give equal status to Hindustani and the regional languages.

Today West Germany and Japan are among the leading countries in the field of technology, science and industries. But they are depending on the English language. At present we are spending more time on acquiring the knowledge of English than on acquiring the knowledge of subjects. Why should we not follow the example set by West Germany and Japan ?

Importance of English in employment should be abolished. Employment opportunities should be provided on the basis of population of various States and Union Territories.

10+2+3 system of education is very much burdensome for the students. It should be changed at the earliest. Education should be made employment oriented. Three-language formula should also be abolished.

Education should be made free and upto tenth class it should be made compulsory for all. Vigorous attempts should be made to remove illiteracy and regional imbalances in the field of education. There shall be uniform system of eudcation and syllabi throughout the country. Radical changes are thus required to be brought about in the field of education.

Shri Phirangi Prasad (Bansgoan) : The reduction in the budget allocation for education has lessened the importance of education. The basic foundation of our educational system is very weak and no provision had been made to make it stronger.

The existing number of students in the primary schools was only false and incorrect, because most of the school-going boys worked as domestic servants in the houses of rich people. Such young school going boys should not be allowed to be employed and they must be given preliminary primary education.

The Education Minister deserved congratulations for enforcing the scheme of adult education on a national scale since 2nd October, 1978.

The disparity in regard to pay scales or other facilities to secondary school teachers in the country has to be removed. Serious thought has to be given to their condition, and the subject of secondary education has to be included in the Concurrent List.

As regards higher education, it has to be developed as more technical and vocational. The boys of the well-to-do families should not be given preference in Government services.

The condition of schools for harijans and social welfare was very pitiable, and special attention should be given to improve it.

As regards the 10+2+3 pattern of education, the climate of uncertainty in this regard should be removed and a clear-cut policy should be laid down.

The University administration is also responsible to some extent for the disturbance in Universities. Measures should be taken to see that university students are given due facilities for continuing their studies. Attempts should be made to do away untouchability from the schools.

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (ग्रादिला बाद) : शिक्षा विभाग में हमेशा ग्रनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है । जो भी शिक्षा पद्धति निश्चित की जाये वह हमेशा के लिए एक बार निश्चित कर दी जाए जिससे छात्र ग्रौर उनके माता-पिता इसके संबंध में निश्चित हो जाएं ।

42वें संशोधन विधेयक के ग्रनुसार शिक्षा समवर्ती सूचि में रखी गयी थी । यह एक सही निर्णय था । पता चला है कि सरकार इस विषय पर फिर से निर्णय कर रही है। देश भर में शिक्षा की एक सी पद्धति ग्रपनाने के लिए शिक्षा को समवर्ती सूचि में रखना ग्रावश्यक है। मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करें ।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा का संबंध है, प्रतिवेदन के ग्रनुसार 6 से 14 वर्ष तक के 845.36 लाख विद्यार्थियों का नाम दर्ज किया गया है तथा इसके ग्रलावा 452 लाख विद्यार्थियों का नाम दर्ज किया जाना बाकी है । सरकार का लक्ष्य 452 लाख विद्यार्थियों का नाम दर्ज करने का था। यह समझ नहीं ग्राता कि यह ग्रांकड़े उन्होंने किस ग्राधार पर एकत्रित किए हैं। सम्भवतः उन्होंने इसके लिए जन संख्या वृद्धि की दर को दृष्टिगत रखते हुए ग्रागामी 7 वर्षों की संख्या निकाल ली है । मंत्री महोदय को एक बार फिर

यही प्रयत्न करके सही आंकड़े निकालने चाहिएं। वह 452 लाख विद्यार्थी 7 वर्षों में दाखिल करना चाहते हैं परन्तु यह काफी लम्बा समय है । मंत्री महोदय को इस पर पुर्नविचार करके योजना के अन्तर्गत समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए ।

शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश नीतियों को गलत तरीके से क्रिया चयन किया गया है। मंत्री महोदय को इन्हें सही ढंग से क्रियान्वित करवाने की ओर ध्यान देना चाहिए ।

जहाँ तक माध्यमिक तथा हाई स्कूलों का संबंध है, उनमें गणित तथा विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं । शिक्षा के स्तर में गिरावट आने का यह भी एक कारण है ।

उच्च शिक्षा चुनींदा होनी चाहिए । मंत्री महोदय को इसके बारे में विचार करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कितने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए । उच्च शिक्षा की चिकित्सा विज्ञान तथा इंजीनियरिंग की तरह ही चुनींदा होनी चाहिए । यह निर्णय भी किया जाना चाहिए कि कितने विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा दी जा सकती है । यदि इसके बारे में निर्णय न किया गया तो स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जायेगी । अतः मंत्री महोदय को इस मामले के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

Shri Roop Nath Singh Yadava (Pratapgarh) : The education policy which has been pursued during the last 30 years has benefited only the rich people. Harijans, tribals, Muslims and backward classes have not derived any benefit from our education system.

Children of well to do families studied in public schools. Poor people could not afford to send their children to those schools. These schools are producing an elitist class. Our Vice-President had rightly said in one of his speeches the other day that a few upper cast families still predominated the senior cadres such as IAS, IPS and IFS. Primarily because our educational and examination system continued to weigh heavily in favour of the so-called socially superior sections of Indian society. He further said that it was time that we scrapped the public school system and provided similar schooling to the sons and daughters of all sections of society. The Education Minister should take a bold and revolutionary step by abolishing these public schools. If public schools are not to be abolished then 70 per cent of the seats in those schools shall be filled by admitting children of harijans, tribals and backward classes.

Articles 15(4) and 16(4) of the Constitution allowed the Government to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes. Under the provisions of these Articles the Tamilnadu Government in 1971-72 made reservation of seats for backward classes and scheduled castes and scheduled tribes in educational institutions. The Supreme Court has held this order valid. The Education Minister should implement this policy so far as admission to educational institutions is concerned.

Shrimati P. Chavan (Carad) : The allocation of funds for Education Ministry is inadequate. More funds shall be provided to meet the education needs of our country.

Since independence we have not been able to formulate our education policy. The Education Minister should discharge his duty toward expansion of education in the country and furmulate a suitable education policy. That way he will be honouring the promises made by Janata Party during elections.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखिएगा।

इसके पश्चात् लोकसभा बुधवार, 12 अप्रैल, 1978/22 चैत्र, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, April 12, 1978/ Chaitra 22, 1900 (Saka).

MGIPRRND—Sec. Ist Day—13 LSS/78—Dated 12-10-78—210.